# Page No.1

# राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ७ } द्वितीय विधान सभा के सातवें सत्र का १७ वां दिवस { संख्या १३



बुधवार, १६ दिसम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई। (श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन) :

## तारांकित प्रश्नोत्तर

[ सिंचाई कृषि सार्वजनिक निर्माण स्वायत्त शासन रसद पंचायत पशुपालन यातायात स्वास्थ्य एवं चिकित्सा श्रम, जन सम्पर्क तथा गृह विभाग ]

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न डा० बहादुरसिंह

### पार्वती बांध में आई हुई भूमि का मुआवजा

३७६. **डॉ० बहादुरसिंह** ( धौलपुर): क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रकार का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या पार्वती बांध के अन्दर जिन व्यक्तियों के मकान, भूमि आदि आ गई उनको मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या यह सत्य है कि ग्राम लीलोटी, कुरगमा और भवनपुरा को अभी तक मुआ-वजा नहीं दिया गया ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि पिपरेंट ग्राम में कुआं का भी मुआवजा नहीं दिया गया ?

(४) क्या सरकार उपरोक्त मुआवजा देने के लिये कोई तिथि निश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उप-मंत्र, सचाई** (श्री भी भाई) :

(१) डूब में आने वाले मकानों का मुआवजा दे दिया गया है और भूमि के मुआ-वजे के चुकारे की तजवीज जारी है।

(२) कुरगामा के डूब में आने वाले मकानों का मुआवजा दे दिया है जब कि अन्य डूब में नहीं आते हैं।

(३) मुआवजा देने की तजवीज जारी है।

(४) डूब में आने वाले मकान, कुए व जमीनों का जो मुआवजा देना बाकी है उसका चुकारा ३०–६–६० के पहले करने की तज-वीज है।

**डॉ० बहादुरसिंह** : क्या सरकार लीलोट और भवनपुरा जो गांव हैं जो डूब में नहीं आ रहे हैं उनकी दुबारा सर्वे कराई जाय तो क्या सरकार दुबारा सर्वे कराने के लिये तैयार है ?

**श्री भीखाभाई** : विलेज मेप्स वापिस चैक हो रहे हैं। उपरोक्त गांव दरअसल डूब में आते हैं तो मुआवजा दिया जायेगा।

# Page No.2



**डॉ० बहादुरसिंह** : कब तक कर लिया जायेगा ?

**श्री भीखाभाई** : कार्यवाही जारी है ।

**प्रश्न संख्या ३८०**

**श्री अध्यक्ष** : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

( अनुपस्थित )

श्री मंगलसिंह : नागोर जिला कृषि अधिकारी द्वारा लॉग बुक में गल्त इन्द्राज

३८१. **श्री मंगलसिंह** : [ रानीवाडा-श्री लक्ष्मीचन्द ( सांचोर ) द्वारा पूछा गया ] :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि नागोर जिला कृषि अधिकारी दिनांक ३०-१०-५८ को जीप से अजमेर व ब्यावर गये थे और उन्होंने लॉग बुक में गल्त इन्द्राज किया है कि वे केरीया, चीजाथल, रीयां, भीटीया व गंटेया गए ?

(ख) क्या यह सत्य है कि वे गंठिया डेढ साल से कभी नहीं गये ?

(ग) क्या यह सही है कि दिनांक ३०-१०-५८ को जिला कृषि अधिकारी का मुकाम रात को कालेसरा था जब कि लॉग बुक में हॉल्ट मेड़ता बताया गया है ?

(घ) क्या यह सही है कि वे मेड़ता में दिनांक ३१-१०-५८ को सुबह आये व फिर मोकाला गये तथा वहां से वापिस मेड़ता आ गए ?

**उप-मंत्री, कृषि (श्रीदौलतराम सारण)** :

(क) जी नहीं ।

(ख) जी हाँ, गये थे ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

श्री लक्ष्मीचन्द : आप किन आधारों पर यह कहते हैं ?

**श्री दौलतराम सारण** : प्राप्त सूचना के आधार पर ।

**श्री लक्ष्मीचन्द** : क्या जिस ऑफिसर के खिलाफ यह बात कही गई उन्हीं के कहने से कह रहे हैं या किस आधार पर ?

**श्री दौलतराम सारण** : हमने जानकारी की है उस आधार पर कहते हैं ।

**प्रश्न संख्या ३८२**

**श्री अध्यक्ष** : श्री मनोहर कोठारी ।

( अनुपस्थित )

श्री मनरूपराम परिहार ।

## देसूरी, खारची और सोजत तहसीलों में सड़क निर्माण योजनाए

३८३. **श्री मनरूपराम परिहार** (खारची सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

# Page No.3



(श्री मनरूपराम परिहार)

(१) क्या यह सही है कि देसूरी, खारची और सोजत तहसीलों में मोटर बसों की रूटों पर स्टेट के समय से ही टार रोड, ग्रेवलरोड एवं मेटल्ड रोड आदि बनी हुई हैं ?

(२) उक्त सड़कों में से कौन कौन सी सड़कों की कितने कितने मील तक कब कब मरम्मत कराई गई तथा उन पर अलग अलग कितनी कितनी धनराशि खर्च हुई ?

(३) क्या यह भी सही है कि इन सड़कों पर साल भर बसें चलती रहती हैं ? यदि हां, तो कौन कौन सी सड़क पर ? यदि नहीं, तो कौन कौन सी सड़कें कब बन्द रहती हैं और क्यों ?

(४) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन तहसीलों में कोई नई सड़कें सरकार द्वारा निर्माण हुई हैं ? यदि हां, तो कहां कहां और कितनी मील लम्बी और उन पर कुल कितनी धन राशि खर्च हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्य क्रम के अन्तर्गत जिला योजना की स्कीम द्वारा खारची, देसूरी तहसीलों में कौन कौन सी नई सड़कें कहां से कहां तक कितनी कितनी मील लम्बी बननी हैं और उन पर अलग अलग कितनी कितनी धनराशि खर्च करने का एस्टीमेट पाली जिला प्लान में लिया गया है ?

(६) क्या यह भी सही है कि इन नई सड़कों पर सर्वे हो चुका है ?

**उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :**

(१) जी हां।

सूची 'ए' प्रस्तुत है।

(३) इस विभाग को जानकारी नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

(४) सूची 'बी' प्रस्तुत है।

(५) सूची 'सी' प्रस्तुत है।

(६) जोजावर से कामलीघाट और केनपुरा से देसूरी तक सड़कों को छोड़ कर शेष अन्य सड़कों का सर्वे हो चुका है।

( कृपया परिशिष्ट १ देखिए )

**श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) :** यह सर्वे कब कम्पलीट हुई ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

**श्री लक्ष्मीचन्द :** तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि सर्वे कम्पलीट हो गई ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** विभागीय सूचना के आधार पर और पंचवर्षीय योजना के आधार पर।

**श्री शंकरलाल : (रायपुर) :** क्या इसमें जैतपुरा से रानी जाने वाली सड़क भी शामिल है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये सड़कें हैं।

**श्री अध्यक्ष :** महाराज श्री हुकमसिंह।

## कुचामन नगरपालिका के नामजद उपाध्यक्ष द्वारा नगरपालिका कोष का दुरुपयोग

# Page No.4



३८४. **महाराज श्री हुकमसिंह** :[ जैसलमेर-श्री लक्ष्मीचन्द ( सांचोर ) द्वारा पूछा गया] :-क्या मंत्री स्वायत्त शासनविभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि कुंचामन नगरपालिका के नामजद उपाध्यक्ष ने अपने कार्यकाल में नगरपालिका के कोष का दुरुपयोग किया ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनके कार्यकाल में हुए १३,००० रु० के कार्य की किसी बाहरी अधिकारी से जांच कराने को तैयार है ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त उपाध्यक्ष ने अपने पद से हटने के कुछ समय पूर्व अपने आदमियों की दुगुनी मजदूरी कर दी थी तथा इन्हीं दिनों पालिका के कतिपय सदस्यों ने भी अपने निजी मकानों के लिये सामान एकत्रित करने को पालिका के साधन भी काम में लिये थे ?

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

**उप-मंत्री, स्वायत्त शासन** ( श्री पूनमचन्द बिश्नोई ) :

(१) जी हां
शिकायत प्राप्त हुई है ।

(२) जो शिकायत प्राप्त हुई उस संबंध में जांच करने के लिये जिलाधीश, नागोर को लिखा गया है ।

(३) इस आशय की शिकायत सरकार को नहीं मिली ।

(४) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**श्री लक्ष्मीचन्द** : जिलाधीश, जालोर को कब लिखा ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : २३-८-५६ को ।

**श्री लक्ष्मीचन्द** : यह शिकायत कब आई ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई**: २२-८-५६को ।

**प्रश्न संख्या ३८५**

**श्री अध्यक्ष** : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

( अनुपस्थित )

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

## लालसोट राजमार्ग

३८६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित**(लालसोट): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) लालसोट राजमार्ग का १० मील से १५ मील तक का रास्ता कच्चा कबसे पड़ा है?

(२) इसको पक्का बनाने हेतु सरकार ने कब कब कितनी कितनी धनराशि खर्च की ?

(३) इस छोटे से टुकड़े के अब तक कच्चे पड़े रहने के क्या कारण हैं?

(४) सरकार इसे कब तक पक्का बना कर सीमेंटे डकराने का विचार कर रही है ?

(५) यदि नहीं, तो क्यों ?

Page No.5



( श्री प्रभुलाल पुरोहित )

(६) क्या यह सच है कि उक्त मार्ग पर भिलमिली नदी का मार्ग वर्षा के दिनों में खराब हो जाता है ?

(७) इस संबंध में सरकार ने अब तक उसे ठीक कराने व बांध बनाने के लिये क्या प्रयास किया ?

(८) क्या यह सच है कि जयपुर स्टेट के समय से ही उक्त मार्ग पर यह ७ मील का टुकड़ा कच्चा चला आ रहा है ?

**उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) मील १० तथा १५ मील पहले ही पक्की है बाकी मीलों का ठेका दिया जा चुका है।

(२) सन् १९५६-५७ में १,१८३ रु०,
सन् १९५७ में ७८५ रु०,

कुल १९,६८ रु० खर्च किया गया है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) ठेका दिया गया है। सीमेन्ट कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

(६) जी हां।

(७) सड़क का कार्य चालू है। बंध के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(८) जी नहीं।

**श्री प्रभुलाल पुरोहित** : यहां ठेका किसको दिया गया ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : श्री सुन्ना-लाल कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया।

**श्री प्रभुलाल पुरोहित** : काम शुरू किया गया या नहीं ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : यह जानकारी नहीं है।

**श्री प्रभुलाल पुरोहित** : किस तारीख को दिया गया ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री पी० के० चौधरी

## कोटा (quota) लाइसेन्स देने के आधार

**३८७. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा)** : Will the Civil Supplies Minister be pleased to state :—

1. Will the Government place at the table of the House a list showing the names and addresses of parties to whom quota licences have been issued to import iron and steel for industrial purpose to manufacture Cycles and Cycle Parts, Sewing Machines, Wires, Nails, Netting Nutes and Bolts ?

2. Is it correct that quite a number of these quota licence holders have no manufacturing plants or factories of their own ? If so, on what basis these parties have been issued quota licences ?

**उप-मंत्री, खाद्य एवं रसद** (श्री रिखब-चन्द धारीवाल) : 1. The required list

# Page No.6



(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

has been laid on the table of the House.

2. No, the question does not arise.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री पी० के० चौधरी : How many of these companies are registered for sales Tax ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That is a separate question.

श्री पी० के० चौधरी : Many of these companies whose names are given here, are found to be not registered for Sales Tax and they are not selling the articles for which the quota is given to them.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : For that also there should be a separate notice. This question has nothing to do with Sales Tax.

श्री पी० के० चौधरी : I have got a list with me and I find that quite a number of the companies which are receiving the quota for Iron and Steel, they are not manufacturing the things for which this quota is given. They are not actually selling them and are not registered for Sales Tax.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I have not given you that list. That may be quite a separate list. You only wanted a list showing the names and addresses of the firms to which quota licences have been issued for Iron and Steel, and that has been supplied to the Hon'ble Member.

श्री पी० के० चौधरी : What I allege is that the companies to which you are giving iron and steel quotas, quitea number of them do not do any manufacturing of the articles for which the quota is received and the quota is sold in black market. That is the allegation.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Your information is wrong.

श्री पी० के० चौधरी : Can you tell me where this Jaipur Wire Netting Industry, Jaipur, sells its manufactured articles ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Whatever they are importing under the licence, they are using for the manufacture of the articles. The progress made by the companies is also indicated in the column No. 4 of the list.

श्री पी० के० चौधरी : The whole point is that the Hon'ble Minister is unaware that these companies are not using the iron and steel obtained by them under the quota licence properly, but are selling it in black market.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There is no complaint of selling these articles in black market. Whatever is impor-

# Page No.7



( श्री रिखबचन्द धारीवाल )

ted is utilised for the purpose for which the licence is granted to them.

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट । श्री शंकरलाल ।

## जैतारण के पंचायत इन्सपेक्टर के विरुद्ध हुई शिकायत की जांच

३८८. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या मंत्री पंचायत विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या पाली जिले के जैतारण के पंचायत इन्सपेक्टर श्री रामचन्द्र के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायत पेश हुई है कि उसने तहसील पंचायत, रायपुर के चुनाव में व्यक्ति विशेष को सरपंचों व पंचों के मत दिलाने के लिये दिनांक १०- ८- ५६ को पंचायत घर के भवन में रायपुर तहसील के सरपंच व पंचों को सरकार से काम के बहाने आमन्त्रित किया और उस बैठक में तहसील पंचायत के चुनाव में किन किन उम्मीदवारों को मत देना है उसके लिये प्रभावित किया ?

(२) क्या उक्त शिकायत की जांच की गई ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा ?

**उप मन्त्री, पंचायत** (श्री दौलतराम सारण): (१) जी हां।

(२) जांच की गई। शिकायत साबित नहीं हुई।

**श्री शंकरलाल** : क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी उसको जांच की इत्तला नहीं दी गई और न उसकी गवाही ली गई जांच के दौरान में ?

**श्री दौलतराम सारण** : यह सूचना तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है कि किस किस को बुलाया, किस किस से पूछा, क्या किया ।

**श्री शंकरलाल** : यह जांच किसने की ?

**श्री दौलतराम सारण** : डिप्टी कलेक्टर ने और उस जांच में शिकायत सही नहीं पाई गई ।

**श्री शंकरलाल** : जिस व्यक्ति ने शिकायत की, क्या उसको जांच में बुलाया तक नहीं, यह सही है ?

**श्री दौलतराम सारण** : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

**श्री शंकरलाल** : तो क्या सरकार पुनः जांच करावेगी जिसमें उसे भी बुलाकर पूछा जाय और उससे भी गवाही मांगी जाय ?

**स्वायत्त शासन मंत्री** ( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ) : डिप्टी कलेक्टर को कहा गया जाँच के लिये । अब उस जांच में यह तो मालूम हुआ कि पंच वगैरह बुलाये गये और इकट्ठे किये गये पर कन्वेसिंग किया हो, ऐसी बात नहीं पाई गई ।

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना): जिस तारीख को मीटिंग बुलाई गई उस तारीख में डिप्टी मिनिस्टर साहब रायपुर गये थे कि नहीं ?

**श्री दौलतराम सारण** : किस तारीख को ?

**श्री श्रीभानसिंह** : जिस तारीख को इन्सपेक्टर साहब ने कन्वेसिंग करने के लिये पंचायत में पंचों वगैरह को बुलाया था ।

# Page No.8



**श्री दौलतराम सारण** : जी नहीं।

**श्री श्रीभानसिंह** : आप उसके आस-पास के गांवों में गये होंगे। आसपास नहीं गये थे क्या ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : पाली गये होंगे, आसपास गये होंगे तो गये होंगे, इससे क्या लेना है ? क्या वे दौरा नहीं कर सकते ?

**श्री श्रीभानसिंह** : यही तो हम कह रहे हैं। आप उनका टी. ए., डी. ए. बिल देखकर जरा और चैक-अप कर लें। हमारी सूचना है कि वे रायपुर उस तारीख को गये थे।

**श्री दौलतराम सारण** : शिकायत इन्सपेक्टर की है, डिप्टी मिनिस्टर बीच में कहीं से आया ? माननीय सदस्य को भ्रम हो रहा है।

**श्री श्रीभानसिंह** : भ्रम बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप वहां पर गये थे इन्सपेक्टर को यह कहने कि पंचों को यह कहा जाये कि किसको वोट देना है।

**श्री शंकरलाल** : यह दूसरी बात है साहब, डिप्टी मिनिस्टर साहब तो बाद में गये थे। १०-८-५९ की तारीख के बाद में टूर हुआ था। आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

( हंसी )

**उप-मंत्री, स्वायत्त शासन** ( श्री पूनम चन्द बिश्नोई ) : But a Deputy Minister is certainly entitled to canvass for votes. He is not debarred.

**श्री श्रीभानसिंह** : He is not debarred; what I said was that he did canvass.

**श्री शंकरलाल** : इससे कोई उनका ताल्लुक नहीं है। आगे मंत्री महोदय ने फरमाया कि पंच वास्तव में इकट्ठे हुए थे तो क्या इस इन्सपेक्टर ने उनको इकट्ठा किया था और क्या इस बात की जांच की गई कि उसने कन्वेसिंग किया था और इसलिये इकट्ठा किया था ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : पंचायत के सम्बन्ध में इकट्ठे किये गये थे कन्वेसिंग के सम्बन्ध में नहीं।

**श्री शंकरलाल** : क्या एजेन्डा था फिर? जब दो रोज बाद ही इलेक्शन होने जा रहा था तो दो रोज पहले बुलाने का क्या मतलब था ? इस बात की जांच की गई या नहीं ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : वे तो पंचों से बात करते रहते हैं पंचायत सम्बन्धी कामों से।

**श्री शंकरलाल** : उस इलाके में सरपंचों को १०-८-५९ को इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता थी ? मीटिंग क्यों बुलाई गई इन्सपेक्टर द्वारा ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : वह तो डिपार्टमेन्टल काम के लिये बुलाई गई थी।

**श्री शंकरलाल** . या इस ख्याल से कि हम कहें उसको वोट देना ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बिल्कुल गलत है। ये तो दूसरी बातें हैं जिनके लिये बुलाया था।

श्री शंकरलाल : क्या बातें थीं ?

श्री अध्यक्ष : बताया न कि चुनाव के सम्बन्ध में नहीं, जैसे कि रोजमर्रा के काम होते हैं उनके सम्बन्ध में बुलाया गया था।

श्री शंकरलाल : वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस काम के लिये बुलाया गया था, क्या एजेन्डा था ? कई पंच और सरपंच तक यह कहने को तैयार हैं कि उनको कन्वेसिंग के लिये बुलाया गया था। यही मेरी शिकायत थी। पर जांच अच्छी तरह जैसे कराना चाहिये नहीं कराई गई।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

**की विलेज स्कीम**

३८६. श्री भीमसेन ( लूणकरणसर ): क्या पशुपालन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) महाजन व बीकानेर शहर में 'की विलेज स्कीम' कब से चालू की गई ?

(२) 'की विलेज स्कीम' के अन्तर्गत क्या क्या एक्टीविटीज होती हैं ?

(३) उपरोक्त दोनों स्थानों के सब-सेन्टर्स में क्या क्या एक्टीविटीज अब तक हुई ?

उप-मंत्री, पशुपालन ( श्री दौलतराम सारण ) : (१) महाजन केन्द्र ग्राम योजना दिनांक २-१-१६५८ से तथा बीकानेर केन्द्र ग्राम योजना दिनांक १-७-५८ से प्रारम्भ की गई।

(२) केन्द्र ग्राम योजना (की विलेज स्कीम) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमुख कार्य होते हैं:—

१. श्रेष्ठतम प्रजनन,

२. समुचित चराई,

३. रोगों के बचाव और रोकथाम,

४. पशुओं का उचित प्रबन्ध, और

५. लाभकारी वितरण द्वारा पशु सुधार

(३) महाजन तथा बीकानेर केन्द्रों पर केन्द्र ग्राम योजना के प्रशिक्षित कर्मचारी पशु पालकों में व्यक्तिगत सम्पर्क, प्रदर्शन और सामूहिक बातचीत आदि के जरिये शिक्षात्मक प्रचार तथा पशुपालन के उन्नत तरीके अपनाये गये। इन केन्द्रों पर अब तक जो कार्य किये गये उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

( कृपया परिशिष्ट ३ देखिए )

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

**बीदरखा पंचायत**

३६०. श्री प्रभुलाल पुरोहित ( लालसोट ): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

क्या यह सही है कि बीदरखा पंचायत के बड़ी होने के कारण उसके दो भाग कर दिये

# Page No.10



( श्री प्रभूलाल पुरोहित )

गये हैं और इसकी गजट में सूचना भी प्रकाशित हो गई है ? यदि हां, तो फिर सिन्दौली और बींदरखा दो अलग अलग पंचायतें घोषित क्यों नहीं की गई ?

**उप-मंत्री, स्वायत्त शासन** (श्री दौलत-राम सारण ) : (१) जी हां, दो भाग कर दिये गये हैं । सीन्दौली के बजाय राम सोनड में केन्द्र स्थान रखते हुए अलग पंचायत कायम की गई है । सूचना दिनांक ६–११–५६ के राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित हो चुकी है ।

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : इस पंचायत को किस स्टेज पर दो किया गया जब कि मिनिस्टर कन्सर्न्ड ने यह कहा था कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत केबिनेट के डिसीजन में है और जब तक रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तब तक किसी पंचायत के बारे में डिवाइड करने का डिसीजन नहीं लेगी सरकार ?

**स्वायत्त शासन मंत्री** (श्री बद्रीप्रसाद-गुप्ता) : यह प्रश्न पुराना है । इसके पहले से कागजात चले आ रहे थे और फाइनल स्टेज पर आ गया था इसलिये निकाल दिया।

**श्री श्रीभानसिंह** : फाइनल स्टेज पर आ गया पर हाउस में एश्योरेन्स दिया गया था कि जब तक रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे जब तक पंचायत समिति और जिला समिति को रीऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तब तक इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे । फिर ५६ में आफ्टर दैट आपने इस पंचायत के लिये यह डिसीजन क्यों लिया ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : एश्योरेन्स जैसी बात नहीं है । पर यह बहुत पुराना मामला चल रहा था । वह पंचायत फंक्शन नहीं कर रही थी और फाइनल स्टेज पर आ गया था इसलिये कर दिया ।

**श्री प्रभुलाल पुरोहित** : यह सिंडोला से सौंदड कैसे हो गया ?

**श्री दौलतराम सारण** : सौंदड में सहूलियत समझी गई इसलिये ।

**श्री प्रभुलाल पुरोहित** : आपने गांव-वालों को बुलाकर पूछा ?

**श्री दौलतराम सारण** : इसकी जरूरत नहीं । अपने विभाग के अधिकारियों से पूछा । उन्होंने जांच करवाई और उसकी रिपोर्ट थी कि वहां के स्थानीय लोगों की मांग थी इस-लिये इसे कर दिया जाय । यह स्थान केन्द्र स्थान में भी पड़ता था इसलिये हमने उसको मान लिया।

**श्री प्रभुलाल पुरोहित** : आपने सिंडोला और सौंदड के लोगों को बुला कर पूछा ?

**श्री दौलतराम सारण** : बुलाकर पूछना आवश्यक नहीं था ।

**श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : गजट नोटिफिकेशन सिंदौला का हुआ था या सौंदड का ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : जहां पर पंचायत का हैड क्वार्टर रखा गया उसका ।

**श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : क्या दूसरे जिलों के भी ऐसे प्रपोजल्स पुराने पड़े

( श्री मोहब्बतसिंह )

हैं और क्या उन्हें भी फाइनेलाइज किया जावेगा या साथ ही लिया जावेगा ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : इमर्जेन्सी होती है तो करते हैं, आम तौर पर नहीं करते।

**श्री श्रीभानसिंह** : पहले पेपर चल रहे थे तो क्या वे दो पंचायतों के डिविजन करने के थे और क्वेश्चन में मेन्शन्ड था वहां की पंचायत थी या थर्ड जगह को ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता**: दो ही बनाई गई थीं। हैड क्वार्टर इसका उसकी जगह रखने की बात थी।

**श्री अध्यक्ष** : श्री अमृतलाल यादव।

## भूमिहीनों को राजस्थान नहर पर कार्य करने हेतु आकर्षित करना.

३६१. **श्री अमृतलाल यादव** [जालोर सु० श्री गोवर्धनसिंह केन (बनाया-सु०) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) क्या सरकार जानती है कि यदि राजस्थान नहर पर काम करने के लिये अधिक संख्या में श्रमिक प्राप्त हो सके तो काम निर्धारित अवधि से पूर्व ही समाप्त होकर राजस्थान को अधिक अन्न, जल और विद्युत के रूप में अच्छे रिटर्न्स शीघ्र मिल सकते हैं?

(२) यदि हां, तो क्या ऐसी अवस्था में राजस्थान सरकार भूमिहीनों को राजस्थान नहर पर निर्धारित समय तक काम करने की शर्तों पर उन्हें निर्धारित भूमि देने की निश्चित घोषणा करना उचित समझती है ताकि वे अधिक संख्या में राजस्थान नहर पर काम करने के लिये आकर्षित हो सकें ?

**उप-मंत्री, सिंचाई ( श्री भीखाभाई )** : (१) जी हां, परन्तु शीघ्र कार्य समाप्त करने के लिये केवल मज़दूरों की संख्या में वृद्धि कर देना ही पर्याप्त नहीं है।

(२) भूमिहीन मजदूरों को जो राजस्थान नहर पर कार्य कर रहे हैं भूमि वितरण करने की नीति राजस्थान तथा भारत सरकार ने अभी निर्धारित नहीं की है।

**श्री गोवर्धनसिंह केन** : यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

**श्री भीखाभाई** : जब तक कोई फैसला नहीं होता तब तक विचाराधीन ही रहेगा।

**श्री अध्यक्ष** : श्री श्रीभानसिंह।

## जन सेवा आयोग तथा विभाग द्वारा आर० टी० ओज तथा ए० आर० टी० ओज का चयन

३६२. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Transport be pleased to state :—

1. Did the Transport Department send to the Public Service Commisson its requisition for selecting R. T. Os. and A. R. T. Os. and others in years 1958 and 1959 separately ?

2. If so, what was the total numbr for such requistion

# Page No.12



(श्री श्रीभानसिंह )

3. How many posts were adverti-sed by the Public Service Commission for selection to various posts ?

4. How many persons were selec-ted by the Public Service Commission and how many did the Department finally appoint ? Please give separately the names of those selected by the P- S. C., and those extra; if any, appointed by the Department without the approval of the Public Service Commission.

5. How many appeared before the Public Service Commission from the Department itself and how many were selected by it and how many were rejectd by it ? Please give their names separatel.

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है, आगे दिया जायेगा ।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका जो जवाब माननीय मंत्री महोदय जो यहां पर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर को डेप्यूटाइज कर रहे थे उन्होंने जवाब दिया है तो इसका उत्तर अभी तक क्यों नहीं आया ? रीज़न क्या है ? क्या हैडक्वार्टर्स यहां पर नहीं हैं । जैसलमेर में सिचुएटेड हैं या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन्स नहीं हैं या रोड्स नहीं हैं ; Why the reply is not given ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, रिप्लाई में कई बार देरी हो जाती है । कई बार विभागों से उनकी अधूरी सूचना आ जाती है तो उनको वापिस लिखना पड़ता है । तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ।

श्री श्रीभानसिंह : अब यह सेशन तो १८ तारीख को खत्म हो रहा है और जो रूल्स में प्रेस्क्राइब है उसके मुताबिक हम प्रश्न देते हैं तो या तो रूल को हटाया जाये या फिर बतायें कि सूचना नहीं आने में क्या दिक्कत है समय पर ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कई बार ऐसा होता है कि सूचना नहीं आती है । आम तौर से तो सूचना आ ही जाती है कभी कभी नहीं आती ।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा हेबीचुएली हो रहा है । दो, तीन रोज पहले भी ऐसा ही जवाब दिया गया है । यह तो लिखी हुई चीज़ है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा या नहीं भेजा । इसमें ऐसी कौन सी चीज है कि जिसमें गवर्नमेंट के पास सूचना नहीं है ।

सूचना इकट्ठी करनी है, पूछताछ करनी है । They have to collect some information and it will take 2 or 3 days more to collect that. They have informed us.

श्री श्री भानसिंह : काफी इन्फोर्मेशन नहीं है केवल १९५८-५९ के बारे में पूछा है । कोई ज्यादा इनफोर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी है ।

श्री अध्यक्ष : आपने पूछा है कि किस-किस ने एप्लाई किया, किस का सलेक्शन हुआ । They have to collect all the information.

Page No.13



**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : Without the permission of the Department, the Departmental Candidates would not have appeared......

**श्री अध्यक्ष** : वह तो पब्लिक सर्विस कमीशन से ही पूछेंगे ।

**श्री श्रीभानसिंह** : डिपार्टमेंट तो यहीं पर है वह पी० एस० सी० से क्या पूछेंगे ? The question was specific as to how mony candidates appeared from the Department itself.

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : बाहर से भी अर्जियां आई हैं ।

**श्री पी० के० चौधरी** ( फुलेरा ) : His question was specifically for the Departmental Candidates only.

**श्री अध्यक्ष** : I think it is difficult to keep a record as to how many people of the Department went for interview. I don't think they keep a statement of it.

**श्री पी० के० चौधरी** : The P. S. C Office also could have been contacted telephonically and the information could have been obtained. If the Government had taken it seriously, they could have sent a man to obtain the information.

**श्री श्रीभानसिंह** : Even otherwise they must be maintaining a record in the Department of those persons whose applications are forwarded by them and who are their own employees It is not that they prepare the list only when a question is put here.

**श्री अध्यक्ष** : It seems to be so.

**श्री श्रीभानसिंह** : In that case I will submit that there should be some decision, otherwise it is futile for us to put questions.

**श्री अध्यक्ष** : There cannot be any decision on this. The only thing is that I can press the Government on my part. Hon'ble Members can give vent to their feelings on the matter and we hope that some how the pressure will be exerted on the Government and the condition will be better.

Next: Sri Ramkaran Singh.

### सुभाषनगर (अजमेर) के पास डाले जाने वाले कूड़े की अन्यत्र व्यवस्था

३६३. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) क्या अजमेर में रामगंज के पास एक सुभाषनगर बसाया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि इसके पास अजमेर शहर का मलवा डाला जाता है जो कि पहले दूसरी जगह डाला जाता था ?

(३) क्या उक्त सुभाषनगर में मलवे की बदबू की वजह से रहना मुश्किल हो रहा है ?

# Page No.14



( श्री रामकरणसिंह )

(४) क्या सरकार मलवे को बस्ती से दूर किसी अन्य स्थान पर डलवाने की व्यवस्था करेगी ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई):-

(१) जी हां।

(२) जी हां। नगरपालिका, अजमेर का यहां एक ट्रेन्चिंग ग्राउन्ड है जो वर्षों से चला आ रहा है।

(३) जी हां।

(४) कोई ऐसी स्कीम कौंसिल के विचाराधीन नहीं है।

**श्री रामकरणसिंह** : तो क्या जिस समय यह मलवे के डाले जाने का केन्द्र था तो जब प्लॉट्स वहां पर दिये गये तो सरकार ने नहीं सोचा कि यह बस्ती किस तरह से अपना रहन सहन निभा सकेगी ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : स्कीम बनाई गई और जो वहां पर बसना चाहते थे उनको भी दिखता था।

**श्री रामकरणसिंह** : क्या सरकार की ऐसी नीति है कि जहां गंदा केन्द्र हो वहां बस्ती बसाई जाये ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : यह योजना नहीं है। अजमेर के पास पहाड़ आगे हुए हैं और वही खुली जमीन थी इसलिये वहां बसाया गया। यह व्यवस्था सीवेज वगैरह डालने से ही दूर हो सकती है लेकिन वहां पर काफी वाटर सप्लाई नहीं है और जब वहां पर वाटर सप्लाई काफी हो तभी यह समस्या दूर हो सकती है।

**श्री रामकरणसिंह** : जब बस्ती नहीं बसी थी तो दूसरी जगह डाला जाता था, जैसा कि आपने दूसरे के उत्तर में बताया तो उस केन्द्र को बस्ती के नजदीक क्यों लाया गया ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : वहां पर ट्रेन्चिंग ग्राउन्ड पहले से ही था।

**श्री रामकरणसिंह** : आजकल जहां गन्दा डाला जाता है इससे कुछ साल पहले बहुत दूर डाला जाता था।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : जी नहीं, वह सुभाष कॉलोनी बनी उस समय वहीं पर ट्रेन्चिंग ग्राउन्ड था।

**श्री रामकरणसिंह** : मैं आपकी जानकारी के लिये सूचना दे रहा हूं कि इसके पूर्व बहुत दूर डाला जाता था। कुछ सालों से यहां डालना आरम्भ किया है।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : यह कॉलोनी बसने से पहले ही वहां डाला जाता था, ऐसी मेरी सूचना है।

प्र०सं० ३६४

**श्री अध्यक्ष** : श्री लच्छुराम।

(अनुपस्थित)

श्री मोहब्बतसिंह।

**बम्बई राज्य से लिये गये कर्मचारियों तथा राजस्थान राज्य कर्मचारियों (यातायात) की वेतन श्रृंखला तथा भत्तों में समानता**

२१५. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Transport be pleased to answer :-

1. Is it a fact that the staff taken over from Bombay State are getting line allowance, night halt allowance and overtime allowance in the State transport at Abu Road ?

2. Is it also a fact that the Rajasthan employees recruited to perform similar duties are deprived of such allowances ?

3. Does the Government propose to bring uniformity in their scales and allowances with persons taken from Bombay State Transport ?

उप-मंत्री, शिक्षा ( श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : 1. Yes.

2. Yes.

3. Matter is under consideration of the Government.

श्री मोहब्बतसिंह : Since how long this is under consideration of the Government and how long it will take to decide ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Since the integration of Mount Abu with Rajasthan; and it shall take some time, because it involves certain financial implications and representations of other places are also to be considered

श्री मोहब्बतसिंह : Which are those other places except the State of Sirohi where State buses are run ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : We are planning to have Nationalisation of Road transport and the matter has to be looked into in light of that.

श्री मोहब्बतसिंह : That was only recently. But so far at which place in Rajasthan the State buses are run ? Why are the Rajasthan employees recruited to perform similar duties and not given these allowances ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : That is a question of policy. It is a different question as to where the State buses are being run at present ? Since we are enforcing Nationalisation, we have to consider this matter in light of that ?

श्री मोहब्बतसिंह : Why that staff is being paid these allowances which has been taken over from the Bombay State.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : We cannot take a decision which is detrimentel to their existing pay-scales when interating them. Their salaries etc. were to be protected.

श्री मोहब्बतसिंह : This is a question of allowances, not of salaries.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Yes, all privileges.

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

**राजस्थान अस्पताल कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत मांगपत्र पर निर्णय**

३९३. **श्री मुरलीधर व्यास** :(बीकानेर सिटी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :-

क्या राजस्थान अस्पताल कर्मचारी संघ ने दिनांक ६ मई को सरकार के समक्ष कोई मांगपत्र रखा ? यदि हां, तो वह किस संबंध में था व सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया ? यदि नहीं लिया, तो क्यों ?

**उप-मंत्री, स्वास्थ्य** (श्री भीखाभाई) : जी हां, यह मांग विचाराधीन है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : क्या मांग थी?

**स्वास्थ्य मंत्री** (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : ये मांगें ११ हैं। उसमें टाइम के बारे में, छुट्टियों के बारे में, वर्दियों के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में ग्रेड इन्क्रीमेन्ट के बारे में हैं। इस तरह से ११ डिमान्डस हैं जो कि गवर्नमेन्ट के पास अण्डर कन्सीडरेशन हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : इनमें से कुछ डिमान्ड्स इस तरह की हैं कि कानून के मुताबिक उसको मिल जानी चाहिए तो उनमें सरकार अपनी तरफ से क्यों विलम्ब करती है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : विलम्ब की बात नहीं है। वह तो ६ मई को डाइरेक्टर ऑफ हैल्थ सर्विसेज़ को दिया था और उन्होंने गवर्नमेन्ट को रिकमेन्ड करके भेजा है वह अण्डर कन्सीडरेशन है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : क्या रिकमन्ड करके भेजा है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मांग के बारे में राय भेजी है डिसीजन के लिए।

**श्री मुरलीधर व्यास** : क्या सिफारिश भेजी है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : वह इन्टेरिम सिफारिश है उसके जानने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : मांग के संबंध में क्या सिफारिश की है ? कम से कम आप यह तो बता दें कि इन इन बातों की सिफारिश की है।

**श्री अध्यक्ष** : सिफारिश कुछ भी करें। सरकार निर्णय लेगी। उसके बारे में विचार करेगी। किस अधिकारी ने क्या रिकमन्ड किया है, यह आवश्यकता नहीं है बताने की।

**श्री गिरधारीलाल** ( नोखा ) : सरकार कब तक निर्णय करेगी ?

**श्री मुरलीधर व्यास** : इसमें क्या ठीक बात नहीं है अगर आप बता दें कि, किसने क्या सिफारिश की है ?

**श्री भीखाभाई** : फिर तो आप यह भी पूछेंगे कि एल. डी. सी. ने क्या लिखा है, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी ने क्या लिखा है।

**श्री मुरलीधर व्यास**: मैं डाइरेक्टर के लिए पूछ रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : वह आवश्यक नहीं है।

**श्री गिरधारीलाल** : सरकार निर्णय कब तक ले लेगी ?

**श्री भीखाभाई** : जल्दी ही करने की कोशिश करेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री भैरोंसिंह।

### आयुर्वेदिक एवं यूनानी परीक्षाओं के संचालन हेतु बोर्ड की स्थापना

२६७. **श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ): क्या स्वास्थ्य एवं जन चिकित्सा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :--

(१) क्या इण्डियन मेडिसन बोर्ड के अन्तर्गत सरकार ने किसी ऐसे बोर्ड की स्थापना की है जो कि आयुर्वेदिक तथा यूनानी परीक्षाओं का संचालन करता है ?

(२) यदि नहीं, तो क्या सरकार शीघ्र ही अन्य प्रान्तों की तरह उपरोक्त बोर्ड की स्थापना करेगी ?

**उप-मंत्री, स्वास्थ्य** ( श्री भीखाभाई ): (१) सरकार ने आयुर्वेद विभाग में एक ऐसे बोर्ड की स्थापना की है जो नवीन नियमावली के अनुसार आयुर्वेदिक परीक्षाओं का संचालक करता है।

(२) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि ऐसा विचार नहीं है कि इंडियन मेडिसन बोर्ड के आधीन इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाय ?

**स्वास्थ्य मंत्री** ( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ): ऐसा करने का कोई प्रोविजन नहीं है। इंडियन मेडिसन जो एक्ट बना हुआ है। हम नहीं कर सकते हैं। जब तक कि उसमें उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं हो।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सच है कि और स्टेट्स में खास तौर से यू० पी० में इसी एक्ट के अन्तर्गत इस प्रकार के बोर्ड की स्थापना की गई है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : राजस्थान के अन्दर अलग एक्ट है। राजस्थान का एक्ट जो बना हुआ है उसके अन्दर कोई प्रोविजन नहीं है कि इसके अन्दर में अख्त्यारात दे दें।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि एक्ट के अन्दर इस प्रकार का संशोधन लाया जाकर एक अलग व्यवस्था की जाय ?

**श्री भीखाभाई** : सरकार इससे अच्छा यह समझती है कि युनिवर्सिटी के द्वारा इम्तिहान लिये जायं और युनिवर्सिटी से उसके बारे में बातचीत चल रही है।

**डॉ० बहादुरसिंह** ( धौलपुर ) : सरकार की युनिवर्सिटी से बातचीत चलते हुए काफी अर्सा हो गया है। युनिवर्सिटी ने क्या उत्तर दिया ?

**श्री भीखाभाई** : युनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन्स अभी चल रहे हैं।

**डॉ० बहादुरसिंह** : क्या यह सच है कि मौजूदा परीक्षाएं कानूनी तौर से नहीं होने के कारण दूसरी स्टेटस नहीं मानती हैं ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : कानून के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट को अख्तियार है इम्तिहान लेने के।

**श्री भैरोंसिंह** : उनका जब तक रिकॉगनेशन नहीं हो, कानून के अंतर्गत मान्यता नहीं हो, जब तक कि एक्ट के अन्दर परीक्षाएं नहीं होती है तो उनकी मान्यता नहीं होती हैं

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : राजस्थान ने डिपार्टमेंटली उनको मान्यताएं दे रखी हैं।

**डा० बहादुरसिंह** : जो परीक्षाएं रजिस्ट्रार लेता है वह एक्ट के अन्तर्गत नहीं है इसलिए दूसरे लोग या स्टेट्स से उनको मान्यता प्राप्त नहीं है।

# Page No.18



**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : ऐसी बात नहीं है; और स्टेट्स से हमारी बातचीत चल रही है। जब हम उनकी परीक्षाओं को रिकगनाइज़ करते हैं तो वे हमारी परीक्षाओं को भी मान्यता देंगे।

**डॉ० बहादुरसिंह** : माननीय मंत्री महोदय एक भी नजीर ऐसी नहीं दे सकते हैं कि किसी स्टेट ने आपकी परीक्षाओं को मान्यता दी हो।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : बातचीत चल रही है।

**श्री भैरोंसिंह** : आपको इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि एक्ट के अन्दर संशोधन किया जाकर उस एक्ट के अन्दर परीक्षाओं की व्यवस्था की जा सके ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : उसकी आवश्यकता नहीं है। हम चाहते कि हैं युनिवर्सिटी हीं इम्तिहान लिया करे। उससे बातचीत चल रही है।

**प्रश्न संख्या ३६८**

**श्री अध्यक्ष** : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
( अनुपस्थित )

**प्रश्न संख्या ३६६**

श्री तनसिंह।

**( अनुपस्थित )**

श्री मूलचन्द डागा।

## श्रमिकों के लिए मुकर्रर न्यूनतम वेतन

४००. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या श्रम मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में किन किन जिलों में न्यूनतम वेतन श्रमिकों के लिये किन किन क्षेत्रों में कितना कितना किस किस आधार पर कब से मुकर्रर किया गया है ?

(२) यदि उपरोक्त कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं ?

**श्रम मंत्री** ( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अभी इस सदन में दिया जा चुका है। वैसे माननीय सदस्य चाहें तो इसको रिपीट कर दूं कि यह कहां कहां लागू किया गया है मिनिमम वेजेज़ एक्ट। उसका जवाब दे चुका हूं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

**श्री मूलचन्द डागा** : लेकिन क्या आप ठीक समझते है कि १ रु०, २५ नये पैसे या २१ नये पैसे० लिविंग वेज आजकल के एक मजदूर के लिए काफी हो सकती है ? क्या यह उचित है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : यह तो मिनिमम वेज है। इसका मतलब यह नहीं है कि इससे ज्यादा नहीं मिल सकेगी। इससे कम नहीं मिले इसके लिए प्रोविजन है।

**श्री मूलचन्द डागा** : कम से कम जो पत्थर तोड़ते हैं या मजदूरी करते हैं उनके लिए आप १ रु २५० न० पै० लिविंग वेज फिक्स करना चाहते हैं?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : हमने यह नहीं कहा कि ज्यादा नहीं मिले। हमने कानून के अन्दर यह कहा कि इतना मिलना चाहिए। इससे इंकार नहीं होना चाहिए।

**श्री मूलचन्द डागा** : इस प्रकार से आप इतना डिफरेन्स रखना चाहते हैं ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : उसके बढ़ाने में दिक्कत नहीं हो सकती है। हमने मिनिमम वेजेज़ फिक्स की हैं कि कम से कम इतना मिलना चाहिए। उसमें कोई रुकावट नहींह।

**श्री शंकरलाल** (रायपुर) : न्यूनतम वेजेज़ कायम करने में क्या और प्रान्तों से जानकारी प्राप्त की है कि वहां अन्य प्रान्तों में क्या है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : अन्य प्रान्तों से ही जानकारी प्राप्त नहीं की है। हमने इन न्यूनतम वेजेज़ को नोटिफाई किया था और सजेशन इन्वाइट किये थे। इन मिनिमम वेजेज़ को गज़ट में नोटिफाई किया था।

**श्री शंकरलाल** : दूसरे प्रान्तों में न्यूनतम वेजेज क्या हैं, इस बात की जानकारी सरकार ने प्राप्त की है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : और जगह अच्छे रेट्स है, हमारे यहां कम रेट नहीं है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : सरकार ने न्यूनतम वेतन जो इस प्रकार से निर्धारित किया है उसका असर राजस्थान के विभिन्न इलाकों में लागू करने के बाद में क्या हुआ ?

क्या सरकार यह महसूस करती है कि इनको लगाने के बाद दिक्कतें खड़ी हुई हैं ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : जी नहीं। अभी तो यह थोड़े दिन पहले ही लागू हुई है। ५६ के साल में लागू हुई हैं। इसके रिज़ल्ट को एसेस करना इस समय मुश्किल है।

**श्री मूलचन्द डागा** : केन्द्रीय सरकार ने मिनिमम वेजेज़ क्या रखी हैं ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : कोई अलग नहीं है। हमारे यहां हमने डेढ़ रुपया रखा है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : डेढ़ रुपये सेभी कम आप रखते हैं।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : डेढ़ रुपया रखा है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : भीलवाड़ा में माइका माइन्स में १ रु० ५ आना रखा है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि अलग अलग इन्डस्ट्री को अलग अलग रेट्स रखे हैं। ट्रान्सपोर्ट की अलग है। माइका माइन्स में १रु. ३१ न. पै. रखे हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : यह कम क्यों रखा गया है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : बहुत से कन्सीडरेशन्स करने पड़ते हैं। इन्डस्ट्री की केपेसिटी आदि बहुत सी बातों को देख कर यह रखी गई हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : फिर यह मिनिमम वेजेज़ किस आधार पर है ? जब कि हर इन्डस्ट्री के लिए अलग अलग हो सकती है

# Page No.20



( श्री मुरलीधर व्यास )

तो फिर जैसलमेर के लिए अलग और राजस्थान के दूसरे जिलों के लिए अलग क्यों नहीं रखी गई हैं ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : इन्डस्ट्री की केपेसिटी को देख कर ही रखते हैं। बीड़ी इन्डस्ट्री की केपेसिटी है, वह कर सकती है। दूसरी इन्डस्ट्री की नहीं है। वह इन्डस्ट्री की केपेसिटी को देख कर प्रेस्क्राइब की जाती है।

**श्री मूलचन्द डागा** : रेलवे एम्प्लॉइज का २रु०, ५ आ० मुकर्रर किया है मिनिमम वेजेज भारत सरकार ने।

**प्र०सं० ४०१**

**श्री अध्यक्ष** : श्री लच्छूराम।

( अनुपस्थित )

डॉ० चन्द्रकला।

**जयपुर नगर की डिस्पेन्सरीज के कम्पाउन्डर्स का स्थानान्तरण**

४०२. **डा० चन्द्रकला** : ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : क्या स्वास्थ मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) जनवरी, १६५६ से अप्रेल, १६५६ तक जयपुर नगर की डिस्पेन्सिरियों में से कौन कौन से कम्पाउन्डरों का कहाँ कहाँ स्थानान्तरण हुआ ?

(२) क्या उक्त कम्पाउन्डर अपना अपना कार्यभार दूसरे कम्पाउन्डरों को सम्भलवाकर अपने नये स्थानों पर चले गये हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

**उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्री भोलाभाई)** : (१) निम्नलिखित तीन कम्पाउन्डरों का स्थानान्तरण हुआ :—

(क) श्री रामशरण, कम्पाउन्डर ग्रेड २, सरदार पटेल रोड डिस्पेन्सरी से पुरानीबस्ती डिस्पेन्सरी।

(ख) श्री बद्रीप्रसाद, कम्पाउन्डर ग्रेड २, पुरानीबस्ती डिस्पेन्सरी से सरदार पटेल रोड डिस्पेन्सरी।

(ग) श्री सुन्दरदास कम्पाउन्डर, ग्रेड २, पुरानीबस्ती डिस्पेन्सरी से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूरजगढ़।

(२) जी हां।

**डॉ० चन्द्रकला** : क्या यह सुन्दरदास बाकायदा चार्ज देकर और एल० पी० सी० लेकर गया था ? यदि गया था, तो किस तारीख को ?

**श्री भोखाभाई** : सुन्दरदास ड्रेसर था। अपना जो इमीजियेट, जो ऊपर का कम्पाउन्डर था उसके पास ड्रेसिंग का सामान था। वह सम्भला कर गया था।

**डॉ० चन्द्रकला** : क्या यह सच है कि डिप्टी डाइरेक्टर, मेडिकल एण्ड हेल्थ ने टेलीफोन किया था कि वह बिना चार्ज दिये गये हैं ?

**श्री भोखाभाई** : इस प्रकार की जानकारी सरकार को नहीं है। डाक्टर याजनिक ने शिकायत की थी उस पर इन्क्वायरी हुई। उस पर कोई साबित नहीं हुआ। स्टोर उसके चार्ज में नहीं था।

Page No.21



डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि उनके चार्ज में एक अलमारी थी उसमें ताला लगा हुआ है ? वह ताला डॉक्टर ने कम्पाउन्डरों के सामने खोला है ?

श्री भीखाभाई : इस प्रकार की जानकारी सरकार को नहीं है। अगर माननीय सदस्या चाहती हैं तो उसकी जानकारी की जायेगी।

डॉ० चन्द्रकला : एल० पी० सी०, यह आपने नहीं बताया कि, सुन्दरदास क्या अपने साथ लेकर गया था ?

श्री अध्यक्ष : महाराज श्री हुक्मसिंह।

**सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के संचालक द्वारा पत्रकारों के साथ ज्यादतियां**

४०३. महाराज श्री हुक्मसिंह (जैसलमेर-- एक: माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया): क्या मंत्री जनसम्पर्क विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि प्रधान मंत्री के जयपुर आगमन पर विश्वविद्यालय में हुए उत्सव में निमंत्रित पत्रकारों के लिए सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के संचालक द्वारा मोटर भेजने की व्यवस्था की गई थी ? यदि हां, तो गाड़ी पत्रकारों के लिए निश्चत स्थान पर गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि नागोर में प्रधानमंत्री के सम्मान में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, उसमें भी पत्रकारों को समावेश नहीं मिला ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ और उसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) जी हां, यह सही है। मगर गाड़ी निश्चित स्थान पर नहीं पहुंची। राजस्थान मोटर गैरेज में कोई बस का प्रबन्ध नहीं हो सका और एक प्राइवेट बस का प्रबन्ध किया गया था, मगर बस वाला समय पर नहीं आया।

(ख) जी नहीं।

श्री पी० के० चौधरी, (फुलेरा): क्या यह बात सही है कि इस बदइन्तजामी की वजह से प्रधानमन्त्री का युनिवर्सिटी का फन्कशन It was not reported in any of the local papers here ?

श्री रामकिशोर व्यास : युनिवर्सिटी वाली बात तो सही नहीं है। चली गई थी।

श्री पी० के० चौधरी : Is it a fact that it was not reported in the press also;

श्री रामकिशोर व्यास : यह नहीं बता सकता। युनिवर्सिटी पहुँचा दिये गये थे, यह बात सही है।

प्रश्न संख्या ४०४

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास

**बीकानेर की राजकुमारी मालू की मृत्यु के बाद उसके माल को चुराने व गबन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही**

४०५, श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या बीकानेर में राजकुमारी मालू की मृत्यु के बाद उसके माल को

# Page No.22



( श्री मुरलीधर व्यास )

चुराने व गबन करने की कोई शिकायत पुलिस विभाग को किसी ने दी है ? यदि हां, तो किसने ?

(२) क्या इस रिपोर्ट पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो कार्यवाही कब से प्रारम्भ की व उसकी अंत तक की रिपोर्ट क्या है ?

**गृहमंत्री** ( श्री रामकिशोर व्यास ): (१) स्वर्गीय सेठानी के दत्तक पुत्र श्री चीरूलाल मालू के भ्राता श्री बंसीलाल मालू ने शिकायत की कि सेठानी के दोहितों व दोहितियों ने जिनके हक में वह स्वेच्छा पत्र (विल) छोड़ गई थी मृतक की सम्पत्ति को हटवा दिया ।

(२) पुलिस ने दिनांक ११-१२-५७ को सी. आर. पी. सी. की धारा १५५ के अन्तर्गत दंडनायक की स्वीकृति प्राप्त करके आई. पी. सी. की धारा ४०४ में जांच आरंभ की । दिनांक ५-३-५८ को आई. पी. सी. की धारा ४२३, ४२४, ४१८ के अन्तर्गत अभियोग की जांच आरम्भ करने की स्वीकृति प्राप्त की । दोनों अभियोगों की जांच के बाद दिनांक १-१२-५८ को न्यायालय में उनका चालान कर दिया गया, जहां ये विचाराधीन है ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : चालान इस प्रकार का किया गया उससे पहले उनसे माल बरामद किया गया या नहीं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : इसमें माल बरामद करने का क्या पोइन्ट था ? आपसी डिस्प्यूट है, गवर्नमेन्ट का लेना देना नहीं है ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : पुलिस ने जब इस मामले में हस्तक्षेप किया और चालान किया तो उसके साथ जब तक माल बरामद नहीं करे तो क्या मतलब निकलता है ? किसी आदमी ने चोरी की, माल हथियाया, बम्बई सरकार तक उसकी रिपोर्ट गई, केन्द्रीय सरकार ने भी हस्तक्षेप करने का कहा तो ऐसी हालत में पुलिस ने माल बरामद क्यों नहीं किया ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह मामला सब जुडिस है इस पर बहस की जरूरत नहीं है ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : पुलिस का कर्तव्य था आपका जो काम था; उसके बारे में पूछता हूँ । आगे की बात थोड़े ही पूछता हूं जब से कि सब जुडिस है ।

**श्री रामकिशोर व्यास** : इसमें आगे-पीछे सब आ जाता है ।

**श्री अध्यक्ष** : डॉ० बहादुरसिंह ।

## चिकित्सा की मान्य पद्धति

४८६. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा की एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक, आदि में से कौन कौन सी पद्धति मान्य है?

(२) राजस्थान मेडिकल अटेन्डेन्ट्स रूल्स में एलोपैथिक पद्धति के डाक्टरों को ही अधिकृत चिकित्सक ( औथोराइज्ड मेडिकल अटेन्डेन्ट्स ) क्यों माना जाता है, वैद्यों को क्यों नहीं माना जाता ?

**उप-मंत्री, स्वास्थ्य** (श्री भीखाभाई) : केवल एलोपैथिक और आयुर्वेदिक पद्धति सरकार द्वारा मान्य है।

(२) वैद्यों को भी अधिकृत चिकित्सक (ऑथोराइज्ड मेडिकल अटेन्डेन्ट्स) बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

**डॉ० बहादुरसिंह** : यह कब तक रहेगा सरकार के विचाराधीन ?

**श्री भीखाभाई** : बहुत जल्दी ऑर्डर्स होंगे।

**डॉ० बहादुरसिंह** : क्या यह सही है कि सरकार विचार कर रही है और डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ सार्विसेज ने अपने ऑर्डर संख्या........ इस प्रकार का निकाला है कि आयुर्वेदिक और देशी पद्धतियों की चिकित्सा के लिये पैसा अलाउ नहीं करेंगे ?

**श्री भीखाभाई** : मैंने बताया कि सरकार इस पर विचार कर रही है। डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज का इससे क्या लेना देना ? जी. ए. डी. में विचार हो रहा है।

**डॉ० बहादुरसिंह** : क्या सरकार रूल्स में भी परिवर्तन करना चाहती है ?

**स्वास्थ्य मंत्री** (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): रूल्स में भी परिवर्तन कर दिये गये हैं। जी. ए. डी. से आर्डर निकलने वाले हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भैरोंसिंह।

## जिला झुंझुनू में यातायात विभाग द्वारा अदालतों में किये गये चालान

४०७. **भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) सन् १६५७-५८ व १६५६-६० में जिला झुंझुनू में यातायात विभाग द्वारा किन किनके चालान अदालत में किये तथा अदालत का किन किन के लिए क्या क्या निर्णय रहा ?

(२) जिनको अदालत द्वारा सजा मिली उनके नाम क्या क्या हैं ? यदि वे स्वयं मालिक नहीं हैं तो उन विहिकल्स या ट्रेक्टर्स के मालिक कौन हैं ?

(३) जिनका चालान अदालत में किया गया वे केसेज किस किस नेचर के थे ?

**उप-मंत्री, शिक्षा** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए आगे लिया जायेगा।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सुगनचन्द।

## बेगूं नगरपालिका द्वारा करवाये गये निर्माण कार्य

४०८. **श्री सुगनचन्द जैन** (बेगूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) बेगूं नगरपालिका ने जो अब ग्राम पंचायत है. १ फरवरी, सन् १६५६ से आज तक कितना निर्माण कार्य किया और कितनी कितनी रकम प्रत्येक कार्य में खर्च हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) निर्माण कार्य टेन्डर लेकर या बिना टेन्डर लिये कराये गये ? अगर टेन्डर लिये

# Page No.24



( श्री सुगनचन्द जैन )

गये तो कौन सी तारीख को लिये और किन किन ठेकेदारों ने टेन्डर दिये व किनके मंजूर हुए ? अगर कार्य अमानी में कराये गये तो किसने एस्टीमेट बनाया और किस रेट से और कौनसी तारीख को चुकाया हुआ ?

(३) क्या जो कार्य हुए उनकी रकम बजट में मंजूर थी ? यदि नहीं, तो किस मद में से खर्च की गई ? क्या उसकी मंजूरी ली गई ? यदि नहीं, तो सरकार ने क्या एक्शन लिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द बिश्नोई)** : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) दोनों प्रकार से कराये गये। अमानी में जो कार्य कराये गये हैं उनका एस्टीमेट नगरपालिका द्वारा पी० डब्लू० डी० की रेट के अनुसार कराया गया। अन्य ब्यौरा सूची में दिखाया गया है।

(३) जी नहीं। नगरपालिका के पास जो आय हुई उसमें से खर्च की गई। मंजूरी अभी तक नहीं ली गई है। निर्माण कार्य की सूचना प्राप्त न होने से सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

**श्री सुगनचन्द जैन** : नगरपालिका ने एस्टीमेट बनाया उसमें प्रत्येक कार्य में कितनी कितनी रकम का एस्टीमेट बनाया उसका उत्तर नहीं दिया गया जैसा कि मैंने प्रश्न में पूछा था ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : पी. डब्ल्यू. डी. की रेट पर काम कराया गया।

**श्री हरिप्रसाद यादव** (वल्लभनगर—सु०): किसमें कितना खर्च हुआ ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : सूची संलग्न है, उसमें देख लीजिये।

**श्री हरिप्रसाद यादव** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि सूची में देख लीजिये। लेकिन सूची तो सदन की मेज पर एक ही रखी जाती है फिर सभी माननीय सदस्य कैसे जान सकते हैं ? सभी के पास तो सूची नहीं है इसलिए स्पष्ट कर दें।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : कायदा यह है कि आपको सुबह ११ बजे के बजाय १० बजे पधारना चाहिए और अच्छी तरह से देखना चाहिए कि सदन की मेज पर कौन से पत्र रखे गये हैं।

**श्री हरिप्रसाद यादव** : आप उसे माननीय सदस्यों के सामने जाहिर कर सकते हैं।

**श्री सुगनचन्द जैन** : जिस दिन टेन्डर लिये गये उसीदिन पास करने का क्या कारण है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि जिस दिन लें उसी दिन पास नहीं करें। उन्होंने जरूरी समझा होगा इसलिये उसी दिन पास कर दिया होगा।

**श्री हरिप्रसाद यादव** : किस काम के लिए एस्टीमेट बनाया गया; बिल्डिंग के लिये, रोड के लिए या मैला उठाने के लिये था ?

**श्री सुगनचन्द जैन** : ३१-५ को ही टेंडर मांगे गये और उसी दिन लिये गये।

( श्री सुगनचंद जैन )

क्या टेन्डर देने वाले ठेकेदार नगरपालिका के द्वारा सर्टिफाइड ठेकेदार हैं ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : ठेकेदारी का काम करने वाले हैं। म्युनिसिपैलिटी के द्वारा सर्टिफाइड नहीं है, यदि आप चाहें तो इस बारे में जांच करवा सकते हैं।

**श्री सुगनचन्द जैन** : इस प्रश्न के तीसरे भाग में बताया गया है कि जो काम लिया है उसके विषय में किसी किस्म का न तो टेन्डर ही मांगा गया है और न एस्टीमेट ही दिया गया। इसका क्या कारण है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : आप चाहते हों तो इसकी इन्क्वायरी करवा सकते हैं।

**श्री सुगमचन्द जैन** : जिस वक्त कार्य शुरू किया उस वक्त नगरपालिका के सदस्यों ने और ठेकेदारों ने इत्तला दी थी कि नाजायज कार्य किया जा रहा है इसकी जांच कराई जाय। क्या यह जांच कराई गई ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : ऐसी शिकायत मेरे पास नहीं आई। आप चाहते हैं तो जांच करवा सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भैरोंसिंह।

**श्री रामपाल बावरी, ग्राम अरड़ की मृत्यु के विषय में हुई जांच का परिणाम**

**जांच का परिणाम**

४०९. **श्री भैरोंसिंह** -(श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम कुचील (किशनगढ़) की चोरी के सिलसिले में तफतीश के दौरान में श्री रामपाल बावरी, निवासी ग्राम अरड़ की मृत्यु हो गई ?

(२) यदि हां, तो इसकी मृत्यु के क्या कारण थे ? कौन पुलिस अधिकारी यह तफतीश कर रहे थे ? वह कहां मरा और इसकी लाश किसको सुपुर्द की गई ?

(३) क्या लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया था ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में किसी अधिकारी ने जांच की है ? यदि हां, तो क्या नतीजा रहा ?

**गृह मंत्री** -(श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) जी हां।

(२) उनकी मृत्यु चौकी कुचील की छत पर से कूद जाने से हुई। हैड कॉन्स्टेबल श्री छोगाराम मुकदमे की तफतीश कर रहा था। वह यज्ञनारायण अस्पताल किशनगढ़ में मरा उसकी मृत देह उसके भाई श्री भैरू को सम्भला दी गई।

(३) जी हां, पोस्टमार्टम की नकल संलग्न है।

(४) जी नहीं, सर्व श्री रामदेव, काना, मांगिया, बजरंग, मोहना, नमना एवं रामपाल दिनांक-७. ४. ५९. को चौकी कुचील में पूछताछ के लिये बुलाये गये और सभी को उसी दिन लौट जाने की अनुमति दे दी गई।

(५) जी हां, असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, किशनगढ ने जांच की। उसके छत से गिर कर मर जाने में कोई अपराधी नहीं था। जांच की रिपोर्ट संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सच है कि असिस्टेन्ट कमिश्नर ने जांच की है उसमें इस प्रकार की संदिग्धता पाई गई है कि जितने बावरियों के नाम आपने अभी बताये हैं उनको थाने में पीटा था ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : हालांकि मैं इसकी एविडेन्स में नहीं जाना चाहता लेकिन आपको जानकारी के लिये बता दूं कि १३ शहादतें थीं उनमें से महज एक गवाह ने कहा है कि श्री रामपाल को पीटा। जो वहां मौजूद थे वे ६ आइ-विटनेस थे। उन्होंने कहा कि नहीं पीटा। सिर्फ एक ने कहा कि पीटा और उसने भी हीयर-से से कहा।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि ६ ने यह कहा कि श्री रामपाल को नहीं पीटा ? उनमें से ७ ने कहा कि श्री रामलाल को नहीं पीटा लेकिन बाकी को पीटा ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : सिर्फ एक ही आदमी ने कहा कि पीटा है।

**श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : यह बात सही है कि उनको पीटा है, मैंने खुद ने वहां देखा है।

**श्री मूलचंद डागा** (पाली) : Was the Doctor examined by the Magistrate?

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि केवल उन लोगों की शहादत ली थी जिन लोगों ने बावरियों की शिकायत की थी या जिनके यहां चोरी हुई थी ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जी नहीं। इसमें शहादत मुख्तलिफ तरह की है। ऐसे भी हैं जो उस गांव के सरपंच .......

**श्री भैरोंसिंह** : वह सरपंच ने शिकायत की है।

**श्री रामकिशोर व्यास** : जी नहीं, वह अलग है।

**श्री भैरोंसिंह** : अलग कैसे ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : मैं अर्ज कर दूं। सरपंच है इसमें.... ...

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : नहीं है साहब उसका नाम।

**श्री रामकिशोर व्यास** : है साहब। कैलाशचन्द्र नाम का सरपंच है। इसमें ऐसे भी लोग हैं, डिफरेन्ट लोग हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : सवाल यह है कि सरपंच उन व्यक्तियों में से है, जिनके इशारे पर बावरियों को पीटा गया। मेरे पास मुख्य सचालक, बावरी सुधार सभा का पत्र है, वह पढ़ कर सुना दूं : "गांव कुचील जहां चौकी पुलिस है, फिर भी गांव के पंचान के कहने ही के मुताबिक पुलिस ने नाम बावरियों को पिटवाना शुरू कर दिया। ५, ४ गांवों के बावरियों को पीटा गया और खूब पीटा गया"—यह ऊपर का है, आगे पंच का कहना है कि उनको पीटा गया और दूसरे कहते हैं कि नहीं पीटा गया। मैं समझता हूँ यह शहादत खास तसल्लीबख्श नहीं है।

**श्री रामकिशोर व्यास** : मैंने कहा कि जो शहादतें दी गई हैं वे रिपोर्ट में हैं। एवीडेन्स और रिपोर्ट के अलावा क्या है,

( श्री रामकिशोर व्यास)

उसमें मैं नहीं जा सकता। मैंने आपसे कहा कि १३ शहादतें हुई, उनमें से ९ आई विटनेस है। उन्होंने कहा है कि मारपीट का वाकया नहीं हुआ है। एक आदमी ने कहा है कि हमारे सामने का वाकयात नहीं है। जिन्होंने शहादतें दी हैं वे प्रतिष्ठित आदमी हैं. महाजन हैं, सरपंच हैं, आस पास के रहने वाले हैं, बिरादरी के रिश्तेदार हैं, इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं। जो एवीडेन्सेज हैं उन पर ही विश्वास करना है।

**श्री श्रीभानसिंह** : क्वेश्चन यह नहीं है...........

**श्री मूलचन्द डागा** : मृत्यु का कारण क्या है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : मैं अर्ज कर दूं कि छत पर से गिरने का कारण बताया है।

**श्री श्रीभानसिंह** : जिन आदमियों को आप आई-विटनेस कहते हैं क्या उनके लिए इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट में कहा है कि ये वही आदमी थे जो कम्प्लेनेन्ट थे कि इन लोगों ने चोरी की है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : दूसरे आदमी थे।

**श्री श्रीभानसिंह** : How many of them ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जिसकी शिकायत चोरी के बारे में है वह श्री मुन्नालाल है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि जिनकी शहादतें ली गई हैं, उनके और बावरियों के बीच में मुकदमेबाजी चल रही थी और यह उनकी ही शिकायत है कि बावरी चोरी करते हैं, हम परेशान हैं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह ख्याल है, रेकर्ड में नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : रेकॉर्ड में नहीं आ सकता। क्या यह सही है कि सिटी मजिस्ट्रेट ने आम सूचना देकर इन्क्वायरी प्रारम्भ की थी और ऐसे लोगों की शहादतें ली थी जिन्होंने तार और चिट्ठी के द्वारा शिकायत भेजी थी ? उसमें स्थानीय एम. एल. ए. भी शामिल हैं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : इसका नोटिफिकेशन नहीं निकलता कि इन्क्वायरी की जा रही है।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : क्या यह बात सही है कि बावरी की कोतवाली में मृत्यु हुई, हॉस्पिटल में नहीं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जी नहीं, हॉस्पिटल में मरा है।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : जी नहीं, कोतवाली में मरा है हॉस्पिटल में नहीं। मैं इसकी इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार हूँ।

**श्रीमती गंगादेवी डाटा ( रामगढ़ )**: माननीय मंत्रीजी ने कहा कि वह छत से गिरने से मरा। क्या वह पुलिस के कब्जे में था या कब्जे से बाहर था ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जी ऐसा है, कई लोगों को बुलाया था सवालात पूछने को। बहुत से लोग आये थे। वह छत पर से गिरा.......

**श्रीमती गंगादेवी डाटा :** वह छत पर पहुंच गया था गिरने के लिए, वह उस समय पुलिस के कब्जे में नहीं था ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

**श्री भैरोंसिंह :** क्या यह माना जाय कि उस आदमी की मृत्यु हॉस्पीटल में हुई है ?

**श्री रामकिशोर व्यास :** मेरा खयाल है, हॉस्पीटल में हुई है।

**श्री अध्यक्ष :** छत पर से गिरने से हुई है।

**श्रीमती गंगादेव डाटा :** अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिये जो मैंने पूछा है।

**श्री रामकिशोर व्यास :** आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। आप फरमा यें; मैं पहले आपको उत्तर दे दूं।

**श्री भैरोंसिंह :** विशेष कृपा उन पर क्यों है ?

( हंसी )

**श्री अध्यक्ष :** दोनों प्रश्न एक हैं, कौन-सी छत से गिरा ?

**श्री रामकिशोर व्यास :** चौकी की छत है, पटरी वाली छत है।

**श्री भैरोंसिंह :** उसकी मृत्यु कहां पर हुई, एक्चुअली मृत्यु हॉस्पिटल में हुई या पुलिस चौकी में हुई ?

**श्री रामकिशोर व्यास :** रिपोर्ट में जहां तक, खयाल है, हॉस्पिटल में मत्यु हुई। जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके अलावा और इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसमें जो मेन्शन किया है वह पढ़ दिया........

**श्री भैरोंसिंह :** इसको प : कर बताइये कि मृत्यु कहां हुई ?

**श्री रामकिशोर व्यास :** इसमें लिखा नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह :** मेरा सवाल है कि उसकी मृत्यु कहां पर हुई है ?

**श्री अध्यक्ष :** श्री सोहनलाल भटनागर।

**श्री श्रीभानसिंह :** नहीं, नहीं, साहब।

**श्रीमती गंगादेवी डाटा :** इसकी इन्क्वायरी नहीं की कि कहां पर मृत्यु हुई है ? यह बहुत सीरियस चीज है।

**श्री श्रीभानसिंह :** But it is very strange, sir, जो विटनेसेज ढाई, तीन बजे आई और जिनकी प्रजेन्स में डेथ हुई the Enquiry Officer asked them the question "was Rampal beaten in your presence ?"

जब ढाई, तीन बज विटनेस आये, उनकी एवीजेन्डेज रेकॉर्ड हुई और उनसे पूछा गया कि क्या इसको आपके सामने मारा गया था ? आप बताइये Whether all those people were kept in one cell and why this question was asked from them "was this witness (Rampal) beaten in your presence ?"

**श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु):** माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने जाहिर किया है।

( श्री हरिप्रसाद यादव )

क्या आप उस वक्त कार्यवाही नहीं कर सकते थे ? इतने दिनों आप क्यों मौन रहे जिससे श्री भैरोंसिंहजी को क्वेश्चन पूछने की नौबत आई ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि सदन का अनमोल समय है। इस प्रश्न का उत्तर माननीय गृह मंत्रीजी ने दे दिया। हमारी बहिन गंगादेवी डाटा ने पूछा और कहा कि मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। अरे भाई छत से वह गिर जाता है और मर जाता है। अब किस छत से गिरा ?

( हंसी )

वह मर गया।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : क्या पूछा? आपको पता नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : Order Please.

**श्री रामकिशोर व्यास** : हमारी जानकारी है कि उस इलाके में चोरियाँ हो गई थी; उसकी रिपोर्ट थी। उसके सिलसिले में सारे बावरियों को बुलाया था। पंचायत चौकी पर की थी। वह इसलिए कि कोई अभी बता दे। उसमें काफी कसमकस हो रही है। उस वक्त बहुत लोग मौजूद थे। वह ऐसी चौकी थी जिसमें और ऑफिसेज़ भी हैं, एक ओपन कम्पाउन्ड भी है। उस वक्त एवीडेन्सेज रेकॉर्ड की जा रही थी उस वक्त ऑफिसर ने पूछ लिया कि मारपीट हुई थी क्या।

**श्री मूलचन्द डागा** : सारी इन्क्वायरी की रिपोर्ट पेश करने को तैयार हैं क्या ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : वह इन्क्वायरी की रिपोर्ट पेश कर दी है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सोहनलाल भटनागर।

**श्री भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, दो जवाब आ गये हैं। पहले कह कि हॉस्पिटल में मृत्यु हुई, फिर कहा गया कि मृत्यु के बारे में कहा नहीं जा सकता। दोनों बातों में से कौन सी बात सही मानी जाय ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जो कुछ रिपोर्ट में लिखा है वह सही है।

**श्री भैरोंसिंह** : आपने दो बातें कह दी हैं।

**श्री रामकिशोर व्यास** : मैंने कहा है कि जो रिपोर्ट में मेन्शन है उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : आपने कहा कि हॉस्पिटल में मृत्यु हुई।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सोहनलाल भटनागर।

**श्री भैरोंसिंह** : आदमी के मरने का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय दें।

**श्री रामकिशोर व्यास** : "He succumbed to injuries in the hospital",

**श्री भैरोंसिंह** : वह हॉस्पिटल में मरा है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जी हां।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : यह बात गलत है कि वह हॉस्पिटल में मरा है। मैं प्रूफ देने को तैयार हूँ कि वह कोतवाली में मरा है।

# Page No.30



**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर): जुडीशियल इन्क्वायरी के बाद क्या हो सकता है।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : मैंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपॉइन्ट किया जाय।

**श्री रामकिशोर व्यास** : मैंने निवेदन किया है कि मैंने पर्सनली नोट भी लिखा है इन्क्वायरी के मामले में। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी की रिपोर्ट आई उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा है कि इन्क्वायरी करनी है, एवीडेन्स रेकॉर्ड करनी है तो कर लें, तो पुलिस डायरी में एवीडेन्सेज हैं उनको देख लें। उसके बाद उन्होंने लिखा कि जो इन्क्वायरी हुई है वह ठीक है, इसमें जरूरत नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : मैं इसको चैलेंज कर सकता हूँ। मैं मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात नहीं करता। माननीय गृह मन्त्री इस सदन के किन्हीं माननीय सदस्यों को भेज दें, जिन पर वे एतबार करते हों। मैं साबित कर सकता हूँ कि पुलिस चौकी में मृत्यु हुई और हॉस्पिटल में लाश को ले जाकर डाल दिया गया।

**श्री रामकिशोर व्यास** : जो इन्क्वायरी करने के लिए ऑथाराइज हैं वे ही इन्क्वायरी कर सकते हैं और लोग इन्क्वायरी नहीं कर सकते।

**श्री भैरोंसिंह** : कमिश्नर को अपाइन्ट कर दीजिये।

**श्री रामकिशोर व्यास** : अगर फर्दर एवीडेन्सेज देनी हैं तो मैं कह सकता हूँ और यह लिख सकता हूं कि जो एवीडेन्सेज देना चाहें वे दे सकते हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : आपके सामने एम० एल० ए० कह रहे हैं कि उन्होंने डैड बॉडी को देखा है। किशनगढ़ के एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने बावरी की लाश को देखा है, डैड बॉडी को देखा है।

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह पोजीशन बहुत सख्त है। इसमें यह हो सकता है कि जो मजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी है, जो फाइंडिंग्स हैं........

**श्री श्रीमानसिंह** : But that Magistrate's promotion and everything depends upon the Government. Why don't you appoint Comissioner or somebody who does not look to you for promotion ?

**श्री रामकिशो व्यास** : देखिये इसमें ऐसा है कि और कोई मशीनरी से तो हो नहीं सकता। अगर मजिस्ट्रेट से सेटिस्फाई नहीं होंगे तो कोई खुदा का बचा तो आनेवाला नहीं है। किसी पर एतबार नहीं करते तो काम नहीं चल सकता। एतबार तो करना ही पड़ेगा। मजिस्ट्रेट ने इन्क्वायरी की और उस इन्क्वायरी का रिजल्ट आ गया और उससे एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोई जुर्म नहीं हुआ है, किसी केस के रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं तो ऐसी सूरत में हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। आपने कहा कि फर्दर एवीडेन्स दे सकते हैं तो हम इसके लिए केस को रीओपेन करने के लिये तैयार हैं। आप कोई एवीडेन्स ला सकते है। इसमें कोई छुपाने की या शील्ड करने की बात नहीं है। आप एवी-

( श्री रामकिशोर व्यास )

डेन्स दें तो I can further write to the lagistrate. शील्ड करने की कोई बातनहीं है ।

**श्री रामचन्द्र** (डग-सु० ) : तो क्या यह समझा जाय कि एक एम. एल. ए. का कहना झूठ है और मजिस्ट्रेट का कहना सच है ?

**श्री रामकिशोर व्याम** : सभी का कहना सच है ।

(हंसी)

**श्री रामचन्द्र** : दोनों तो सच कैसे हो सकते हैं ? एक आदमी दोनों जगह कैसे मर सकता है ? मरा तो एक जगह है फिर दोनों सच कैसे हैं ?

(हंसी)

**श्री रामकिशोर व्यास** : किस जगह मरा, यह सवाल नहीं है । सवाल यह है कि पुलिस की वजह से मरा कि नहीं ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री सोहनलाल भटनागर ।

## दूसरे मेडिकल कॉलेज खोले जाने के विषय में नियुक्त कमेटी की राय

४१०. **श्री सोहनलाल भटनागर** ( सलूम्बर ) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राजस्थान में दूसरा मेडिकल कॉलेज खोलने के बारे में राय देने के लिये सरकार ने कोई कमेटी बनाई है ?

(२) यदि हां, तो क्या उक्त कमेटी ने इस बारे में अपनी राय दे दी है ?

**उप-मन्त्री, स्वास्थ्य** (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां ।

(२) जी हां । उसकी राय के अनुसार १ जुलाई से कॉलेज प्रारम्भ कर दिया गया है ।

**श्री सोहनलाल भटनागर** : मेरा थर्ड से मतलब है ।

**श्री भीखाभाई** : दूसरे के बारे में पूछा वह बता दिया ।

**श्री अध्यक्ष** : अभी दूसरा और कोई है क्या ?

**श्री शंकरलाल** ( रायपुर ) : क्या उस कमेटी ने जोधपुर के लिये सिफारिश की है ?

**एक माननीय सदस्य** : उदयपुर के लिये ।

(हंसी)

**श्री अध्यक्ष** : श्री नरोत्तमलाल जोशी ।

## झुंझुनू में वाटर वर्क्स की योजना

४११. **श्री नरोत्तमलाल जोशी** [झुंझुनू एक माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या कस्बा झुंझुनू में वाटर वर्क्स बनाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त योजना के कार्यान्वित होने की आशा है ?

Page No.32



( श्री नरोत्तमलाल जोशी)

(२) उक्त योजना के कार्यान्वित करने के लिये किस भूमि को तथा तत्सम्बन्धी कुओं को काम में लेने का विचार किया जा रहा है ?

(३) उक्त योजना में कुल कितने वाटर टेप्स लगेंगे ? प्रति व्यक्ति कितना पानी खर्च होने का अनुमान किया जाता है ?

(४) क्या इन कुओं का पानी कोई पृथक इन्जिन लगा कर उसकी सहायता से निकाला जाएगा या भाखरा से आने वाली बिजली की सहायता से उठाया जायेगा ?

(५) अगर इंजिन लगा कर बिजली पैदा की जाएगी तो इंजिन कब तक आ जावेंगे और उसके लिये पावर हाउस किस जगह बनाया जावेगा ?

(६) वाटर वर्क्स और सर्विस स्टेशन के लिये सरकार ने कौन कौन से स्थान चुने हैं ? क्या इस विषय में नगरपालिका झुंझुनूं की कोई राय ली गई है ? अगर हां, तो नगरपालिका ने अपनी राय में कौन से स्थान को उपयुक्त माना है ? क्या नगरपालिका की तरफ से सिर्फ पालिका अध्यक्ष ने ही अपनी राय दी है या बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पास कराया जाकर सरकार को भेजा गया है ?

**उप-मंत्री, स्वायत्त शासन** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई ) : (१) जी हां, शीघ्र ही ।

(२) सती का टीबा के पासवाली जमीन।

(३) लगभग २५ वाटर टेप्स, २० गैलन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति ।

(४) भाखरा से प्राप्त होने वाली बिजली की सहायता से ।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(६) सती के टीबे के आसपास व खेतरी महल के पास ऊंची जमीन । अध्यक्ष, नगरपालिका ने स्कीम की पूर्ण स्वीकृति दे दी है व म्यूनिसिपल बोर्ड ने भी प्रस्ताव पारित कर दिया ।

**श्री अध्यक्ष :** श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री ।

## कच्चे मकान वाले हरिजनों को १ रु० में जमीन का पट्टा देना

४१२. **श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** (आमेर-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि सरकार ने यह ऐलान किया है कि जिन हरिजनों के कच्चे मकान तथा उनका वहां ४० वर्ष से कब्जा है उन्हें १) रु० में उक्त जमीन का पट्टा कर दिया जायेगा ?

(२) यदि हां, तो उक्त घोषणा के अनुसार जयपुर म्यूनिसिपल कौंसिल की सीमा के भीतर किस-किस चौकड़ी में तथा किस किस को १) रु० में जमीन का पट्टा अब तक दिया गया है ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों ?

**उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां ।

(२) एक भी हरिजन को पट्टा नहीं दिया गया ।

(३) क्योंकि किसी भी हरिजन से उपरोक्त विषय की कोई भी अर्जी नहीं आई ।

**श्री धर्मपाल पंवार** ( नोहर–सु० ) : यह सारे राजस्थान के लिये है या जयपुर नगरपालिका के लिये ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : यह सारे राजस्थान के लिये जारी किया है।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** : मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि म्यूनिसिपल कर्मचारियों के पास एप्लीकेशन्स लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास इस प्रकार का कोई ऑर्डर नहीं है।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : आप अर्जियां मेरे पास ले आइये; मैं अर्जी भी भेज दूंगा और आर्डर भी भेज दूंगा।

**श्री रामचन्द्र** (डग-सु०) : उस आर्डर की कॉपी म्यूनिसिपेलिटी को भेजी कि नहीं ?

**स्वायत्त शासन मन्त्री** ( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : सरकारी आज्ञा है D VII-45/L. S. D. A. Dated 27-4-59. कलेक्टर के यहां से अर्जियां आनी चाहिये थी वे नहीं आई। अतः किसी हरिजन को पट्टा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** : मैं कल ही पूछ कर आया हूँ कि आर्डर आया है क्या तो इन्कार कर दिया गया। इसलिये मैंने प्रश्न रखा है। हरिजन लोग परेशान हैं, सारी दुनिया में हो गया है कि १) रु० में हरिजनों को पट्टा कर दिया जायेगा और है कुछ नहीं। यह किताब मेरे पास है तमाम हरिजनों को कह दिया गया है कि एक रुपये में पट्टा करालें........

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : हम कलेक्टर और एड्मिनिस्ट्रेटर, म्यूनिसिपल कौंसिल को दुबारा भेज देंगे।

**श्री धर्मपाल पंवार** : यह आदेश शहरों के लिये है या गावों के लिये भी ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : सब के लिये है।

**श्री धर्मपाल पंवार** : कितने वर्ष पुराना कब्जा होना चाहिये।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : ४० वर्ष का पुराना कब्जा।

**श्री अध्यक्ष** : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

**ग्राम उगरियावास ( दूदू ) में औषधालय का प्रबन्ध**

४१३. **रावल श्री नरेन्द्रसिंह** (दूदू) : इसमें, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूँ कि छपने में थोड़ी गलती हो गई है डगरियावास नहीं उगरियावास है।

क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि ग्राम उगरियावास तहसील दूदू में औषधालय की बड़ी आवश्यकता है व इसके लिये मकान का प्रबन्ध कर दिया गया है ?

(२) यदि हां, तो इसका प्रबन्ध कब तक कर दिया जावेगा ?

**उप-मन्त्री, स्वास्थ्य** (श्री भीखाभाई) : (१) ऐसा कोई प्रस्ताव उक्त ग्राम संबंधी नहीं है और न आयुर्वेदिक विभाग के सामने कोई मांग पेश हुई है। अतः औषधालय खोलने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

( श्री भीखाभाई )

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इस मामले में पहले सवाल उठा और मकान बनाने के वास्ते प्रश्न उठा और वह मकान बना लिया गया । फिर भी कोई औषधालय नहीं खोला गया । लोकल वैद्य के हिसाब से मामला चल रहा है । इसलिए शीघ्रातिशीघ्र करने की कोशिश करें।

श्री भीखाभाई : जी हां, विचार करेंगे ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह ।

### सिरोही जिले में सिंचाई परियोजनाओं की योजनाओं की स्वीकृति

४१४. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Irrigation be pleased to state :—

Which are those schemes of minor and medium Irrigation Projects in Sirohi District which have already received Administrative Sanction ?

How long it would take now to receive the Technical Sanction for such Schemes ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई) : 1. The following three Schemes have been administratively approved.

1. Kalumbari in Pindwara Tehsil,
2. Raising of Akhela Mansarovar tank in Sirohi Tehsil,
3. West Banas Project in Pindwara Tehsil.

Technical Approval of all these Schemes have also been accorded.

श्री मोहब्बतसिंह : My question was quite different. Which are those Schemes of Minor Irrigation Projects which have already received Administrative Sanction and are lying for Technical Sancions ?

श्री भीखाभाई : I am sorry, Sir. The question has not been rightly drafted and the information will be supplied to the Hon'ble Member after obtaining from the Department.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(१२. ८.म० म०)

श्री हरिदेव जोशी ।

## प्रतिवेदनों का उपस्थापन

### जनलेखा समिति के छठे प्रतिवेदन प्रथम खण्ड (प्रतिवेदन) तथा तृतीय खण्ड (कार्य विवरण) का उपस्थापन

श्री हरिदेव जोशी (सभापति, जनलेखा समिति ) : माननीय अध्यक्ष, मैं जनलेखा समिति के छठे प्रतिवेदन प्रथम खण्ड (प्रतिवेदन) तथा तृतीय खण्ड कार्य विवरण) का उपस्थापन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

# Page No.35



## आश्वासन समिति का तृतीय प्रतिवेदन
## ( उपस्थापन )

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** ( सभापति, सरकारी आश्वासन समिति ) : माननीय अध्यक्ष, मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

## कार्य सलाहकार समिति का छटा प्रतिवेदन
## ( उपस्थापन एवं स्वीकृति )

**प्रभारी मन्त्री** (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : माननीय अध्यक्ष, मैं कार्य सलाहकार समिति ( बिजनेस एड्वाइजरी कमेटी ) के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष, मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृति)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

आज का दिन गैर सरकारी संकल्पों पर विचार के लिये रखा गया है । आज पहला प्रस्ताव श्री मुरलीधर व्यास का है, जिस पर बहस २ बजे तक होगी और इसके बाद मन्त्री महोदय जवाब देंगे ।

## स्थगन प्रस्ताव

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): मैं स्थगन प्रस्ताव के बारे में जानना चाहता हूँ । मुझे ऐसी सूचना मिली है कि मन्त्री महोदय अपना स्टेटमेंट देंगे, इस प्रकार की सूचना मिली है ।

**श्री अध्यक्ष** : सूचना मिली है तो ठीक है ।

**श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : १८ तारीख को स्टेटमेंट न देकर कल दे दें । १८ को हाउस एड्जोर्न हो जायगा तो फिर और जानकारी के लिये मन्त्री महोदय अवेलेबल नहीं हो सकेंगे । कल स्टेटमेंट दे दें तो एक दिन हमें और मिल जाय, १८ तारीख को वे यहां मिल सकेंगे । बना बनाया जवाब तैयार है, कल दे दें तो अच्छा रहेगा ।

**श्री अध्यक्ष** : कल यहां हैं नहीं, नहीं तो कल दे देते ।

**श्री भैरोंसिंह** : मन्त्रीजी तो यहीं हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : कल नहीं हैं, मैंने भी यही कहा था कि कल दे दें पर कल वे यहां नहीं हैं ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : आज सात, सात दिन हो गये हैं भूख–हड़ताल को, भूख-हड़ताली की हालत कितनी खराब है ।

**श्रम मंत्री** (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता ) : हालत काहे से खराब हो गई ?

**श्री मुरलीधर व्यास** : सात दिन भूख हड़ताल किये हो गये हैं, हालत खराब होती है या नहीं, यह तो जानने वाले ही जानते हैं । मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है उससे पता

# Page No.36



(श्री मुरलीधर व्यास)

चलेगा कि हालत किस प्रकार खराब होती है। इसमें मुख्य मन्त्रीजी को कुछ करना नहीं हैं, आपके द्वारा ही फैसला होगा।

**श्री भैरोंसिंह** : मन्त्री महोदय को सब जानकारी है फिर परसों तक इन्तजार क्यों करें ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मैं रिटन स्टेटमेंट दूंगा, ऑफ हैन्ड स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता। I will get it prepared by the Department. आज मैं ऑफ हैन्ड स्टेटमेंट नहीं दूंगा। कल मैं यहां रहूँगा नहीं। इसलिये मैं आपसे माफी चाहूँगा। मैं स्टेटमेंट दूंगा उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझ से मिल लें।

**श्री भैरोंसिंह** : आपके आज ही स्टेटमेंट देने से हमको कोई लाभ हो सकता है तो हम उस लाभ को क्यों न उठावे ? बाकी हड़ताल और तालाबन्दी तो इस प्रकार चलती रहेगी। अगर आपके स्टेटमेंट से दो दिन पहले राहत मिलती है तो उसका दो दिन पहले ही फायदा क्यों न उठा लें ? परसों से आपके स्टेटमेंट का फायदा न लेकर आज ही आपके स्टेटमेंट से फायदा उठा लें।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : आपको यह नहीं सोचना चाहिये कि राहत पहुंचेगी।

**श्री भैरोंसिंह** : कैसा भी आपका स्टेटमेंट हो आप उसे दे दें जिससे हमको यह मालूम हो जावे कि क्या राहत मिल सकती है अन्यथा हमें दो दिन तक उसका इन्तजार करना होगा।

**श्री अध्यक्ष** : गैर सकारी संकल्प।

श्री मुरलीधर व्यास।

१२. ११ म० प०

## राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था सम्बन्धी संकल्प

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक संकल्प सदन के सम्मुख रखा है और खास करके यह संकल्प रखा है कि राजस्थान में शिक्षण संस्थाओं में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की जावे; इस प्रकार का संकल्प मैंने रखा है। मैं समझता हूं कि इसको रखने का मूल उद्देश्य यह है कि मैं ऐसा महसूस करता हूं कि किसी मुल्क या प्रान्त की जनता स्वयं इस मामले में मजबूत होती है तो उसकी ताकत सारे देश पर होती है और दूसरे देशों में भी उसका असर होता है और खासकर राजस्थान का जो इलाका है वह इलाका भी सीमा के पास में जुड़ा है और सीमा के पास होने के साथ साथ राजस्थान में डाकुओं के हमलों का, सीमा के हमलों का और दूसरी अनेक इस प्रकार की घटनाएं हमारे यहां पर होती रहती हैं। अभी अभी कल मुझे खबर मिली कि जयमलसर जो बीकानेर के पास है वहां परसों कुछ डाकुओं ने डाका डाला और किसी एक चांडक बनिये को वहां से उठा कर ले गये और उसके बाद में दूसरे दिन फिर वे लोग आये परन्तु लोग पहले दिन जो डाका हुआ था उससे भयभीत हुए हुए थे और जागरूक थे इसका उनको पता लग गया और वे फरार हो गये। स्थिति वहां की यह हो गई है कि लोग आतंकित हैं। आज जयमलसर के लोग आतंकित हैं, तो इस प्रकार की

# Page No.37



(श्री मुरलीधर व्यास)

स्थिति वहां की है। सुरक्षा की दृष्टि से यह जिम्मेदारी सरकार की है पर इसके साथ साथ लोगों को इस प्रकार का मौका जब कभी आता है तो अपनी रक्षा कर सकें और अपनी रक्षा के लिये तैयार रहें और खासकर जो लोग राजस्थान की सीमा पर रहते हैं जहां अनेक बार हमले हुए हैं, लोगों का माल लोग ले गये हैं। लोगों के जानवर ले गये हैं, सीमा पर लोग ऊंट चुरा कर ले गये और वहां पर ऐसी कई प्रकार की सीमा पर हरकतें होती रहती हैं। तो राजस्थान की वस्तुस्थिति को मद्देनजर रखते हुए हमें सोचना चाहिये और उसके लिये व्यवस्था करनी चाहिये कि हम राजस्थान के हर नागरिक को इसके लिये तैयार रख सकें कि ऐसी परिस्थिति में वे अपने देश की और मौका आने पर अपनी खुद की रक्षा कर सकें। मेरा दृष्टिकोण यह नहीं है जैसा लोग सोचते हैं कि हमारे देश में अहिंसा की नीति को हमने अख्तियार किया है। हम इस बात को मानते हैं कि अगर हमारे राज्य की सीमा पर कोई हमला करने की बात करे तो हमें अहिंसात्मक तरीकों से और अहिंसात्मक दृष्टिकोण रखते हुए कार्य करना चाहिये मगर जहां ऐसा मौका आ जाता है तो हमको गम्भीरता से देखना होगा। हमारी नीति का प्रश्न तो स्पष्ट होता है।

हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने की नियत से काम नहीं करते हैं परन्तु हमारे पर कोई हिंसा करते हैं तो उसका जवाब देने की ताकत हम में होनी चाहिये। अगर इस प्रकार की ताकत नहीं रखते तो हम आजाद देश को आजाद नहीं रख सकते। देश की ताकत क्या होती है उसको नहीं रख सकते।

दूसरे दृष्टिकोण से लोग सोचते हैं कि आजादी के बाद किस प्रकार के दृष्टिकोण से, किस प्रकार से सोचेंगे और किस प्रकार से दूसरे देशों के साथ हमने किस प्रकार का व्यवहार नहीं किया लेकिन जब देश में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जाती है जैसे तिब्बत, नैपाल और लद्दाख पर चीन के आक्रमण की स्थिति पैदा हो गई है तो सारे लोगों को भय हो गया है।।ठीक बात है।कहीं आक्रमण हो जाता है या युद्ध छिड़ जाता है तो हमें किसी प्रकार से अपने देश की रक्षा करनी है। हमें यह देखना है कि हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं और हम उन्हें कैसे पूरा करेंगे। हम अपने आप में किस प्रकार से मजबूत हैं इस प्रकार की बातें हमारे दिमाग में आती हैं; तो मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को ऐसे मौके पर यह सोचना आवश्यक होता हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसे दृष्टिकोण से ऐसा संकल्प रखा जावे कि इन परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए हम राजस्थान के लोगों को किस प्रकार से मजबूत बना सकते है और जिससे वे अपनी रक्षा के साथ साथ सीमा की रक्षा भी करसकें।

मैं मानता हूं कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा देने के संबंध में कुछ कदम उठाया है जिस प्रकार से एन० सी० सी० और ए० सी० सी० द्वारा शिक्षण संस्थाओं में ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वे अपने आपको तैयार कर सकें। इसका उद्देश्य सर्वव्यापी है, सोशियल भी है और अपने आपको एक अनुशासन में बांधने का है और इसके साथ साथ देश के लिये भी मौका आए तो लोगों को तैयार करने का है। यह उद्देश्य बहुत अच्छा है। पार्लियामेंट में इस प्रकार का बिल आया और उस के बाद में

(श्री मुरलीधर व्यास)

एन० सी० सी० और ए० सी० सी० की ट्रेनिंग शुरू हुई। उसका नतीजा हम देखते हैं। सन् १९४८ के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचे, हमने कितने लोगों को तैयार किया है? दूसरे प्रान्तों में कितने लोग तैयार हुए और हमारे प्रान्त में कितने लोग तैयार हुए? जब हम इसको देखते हैं तो ४० करोड़, ४५ करोड़ जहां लोग रहते हैं वहां पर एन० सी० सी० में १ लाख, ८० हजार लोग तैयार किये। इसमें भी हमारे यहां विंग्ज हैं जैसे आरमी विंग, नेवी विंग, एअर फोर्स भी होती है। हर क्षेत्र में, जहां तक इन क्षेत्रों का प्रश्न है, मैं यह कहूँगा कि बहुत थोड़े आदमी तैयार किये हैं। आज इसका हिसाब लगायें कि मुल्क की सेवा में कितने आदमी ऐसे हैं जो ऑफिसर्स हो सकते हैं तो आपको मालूम होगा कि ६० या ७० ऐसे आदमी होंगे जो तैयार हैं। हमारे मुल्क में इस प्रकार की स्थिति पैदा हो और यह संख्या है उन लोगों की जो ट्रेनिंग ११ वर्षों में पाकर तैयार हुए हैं! तो मैं यह कहूँगा कि हमको जो तरक्की करनी थी इतने समय में वह हम नहीं कर पाये हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में हमारे प्रान्त में बहुत कम प्रगति हुई है।

आज बम्बई को देखिये। वहां इन १ लाख, ८० हजार के फिगर्स जो ११ वर्षों का है उसमें से अकेले बम्बई में २५ हजार के आसपास एन० सी० सी० के लोग तैयार हुये हैं और दिल्ली शहर में ६ हजार वर्कर्स तैयार हुए हैं। दूसरे, यू० पी० और अन्य प्रान्तों से राजस्थान प्रान्त कहां तक आगे बढ़ा है इसको हमें देखना होगा। मैं यही कहूंगा कि इस मामले में भी हम पिछड़े हुए हैं। जब यह स्थिति है तो इस स्थिति के आधार पर हमारा कर्तव्य ज्यादा है। आज दिल्ली और बम्बई वालों के लिए सीमा का प्रश्न नहीं है। न दिल्ली में ज्यादा डाकुओं का हमला होता है, न बम्बई में ऐसी घटनायें घटती हैं लेकिन हम तो डाकुओं के डाकों से भी पीड़ित हैं और हमारी सीमा भी तो काफी लम्बी है जो दूसरे देश से लगती है। डाकुओं की छोटी मोटी घटना तो हमारे यहां घटती ही रहती है। इन सारे दृष्टिकोणों से भी मैं महसूस करता हूं कि राजस्थान को आगे बढ़ना चाहिये था। ठीक है यह भी एक प्रकार की ट्रेनिंग है। हो सकता है कि हमारे पास इतने साधन न हों। आज राजस्थान में नौजवान काफी तौर से ए. सी. सी. और एन. सी. सी. में जाना चाहते हैं, किन्तु उनको लिया नहीं जाता क्योंकि उनके पास साधन नहीं हैं कि वे उनको ट्रेनिंग दे सकें। होना तो यह चाहिये था कि ऐसे मामले में मुल्क को पूरी तरह से तैयार करना चाहिये था और हर एक नवयुवक देश की रक्षा के लिए तैयार हो सके, ऐसी तैयारी करनी चाहिये और इसी दृष्टिकोण से मैंने यह संकल्प रखा है कि देश का, राज्य का हर एक नवयुवक इस माने में इतना तैयार हो जाय, १८ साल की उम्र तक फौजी शिक्षा में इतना निपुण हो जाय कि आवश्यकता के समय देश की रक्षा के लिए उसका उपयोग हो सके। यह स्थिति बननी चाहिये और यह स्थिति नहीं बनती है तो हमारे यहां परम्परा रही है कि लोग कहेंगे कि राजस्थान में क्या जरूरत है, राजस्थान में बहुत से सैनिक तैयार हैं और फौजी लोग भी हैं हर स्टेट्स के पास, बहुत से छोड़ दिये गये हैं और कुछ तैयार हैं, देश के लिए वे हर तरह से तैयार रहेंगे लेकिन सही माने में यह

( श्री मुरलीधर व्यास )

होना चाहिये कि सरकार को इसके लिए कोई न कोई विशेष प्रकार की योजना बनानी चाहिये और सरकारी नीति होनी चाहिये कि हमारे स्कूलों में वैसे हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिसमें शारीरिक शिक्षा भी है, इन सब के साथ साथ यदि कोई ऐसा समय आ जाय कि देश की रक्षा करनी है तो उस दृष्टि से देश के लिए सैनिक तैयार करने की जिम्मेदारी भी हर स्टेट की होती है। क्योंकि जब मौका आये तो वह नौजवान हर तरह से देश की रक्षा के लिए सन्नद्ध रहें, तैयार रहें। इस प्रकार का प्रयत्न हमको करना चाहिये, जो हमने नहीं किया है। हिन्दुस्तान में कहीं यह बात न आये हो और यहीं हम यहां कह सकें लेकिन मैं महसूस करता हूं कि आज यह स्थिति हो गई है कि हमको यह मान्य करना चाहिये कि अगर मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वही देश आगे बढ़ सकता है जो अपने आप में मजबूत है। जो देश अपने आप में मजबूत नहीं होता, चाहे पंच शील की बातें कर लें लेकिन जो वास्तविक उद्देश्य है वह तब ही पूरा हो सकता है कि कम से कम देश में अपने आप की रक्षा करने की ताकत हो, अपने आप में वह मजबूत हो और तब ही जाकर कहीं किसी चीज का असर हो सकता है। मैं समझता हूँ देश के असर की दृष्टि से, राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से और जनता की सुरक्षा की दृष्टि से यह प्रयत्न करना चाहिये।

शिक्षण संस्थाओं के आंकड़ें हमारे सामने हैं। कम से कम प्राइमरी स्कूलों को छोड़ दीजिये। हम देखते हैं जो कॉलेजेज, हायर सेकेन्डरी और हाई स्कूल और मिडिल तक के जो स्कूल हैं उनमें छात्रों की १८ लाख तक की संख्या पहुंच जाती है। उन लोगों की शिक्षा जिस प्रकार से चलती है उसके अन्दर ही सैनिक शिक्षा भी दे। यह शिक्षा हम उनको छोटी उम्र में ही दें। कुछ लोग सोचते है कि यह शिक्षा तो बड़ी उम्र से दी जाय लेकिन मैं आपके सामने रूस आदि देशों का उदाहरण देता हूँ कि रूस में ८ साल की उम्र से फौजी शिक्षा हर बच्चे को अनिवार्य रूप से दी जाती है और इसका कारण यह है कि उनका यह उद्देश्य है कि मुल्क का हर नागरिक सैनिक शिक्षा पाकर तैयार हो सके। वे उनको मजबूत बना देते हैं इसलिए कि यदि देश की रक्षा का मौका आ जाय तो वे नागरिक देश की रक्षा कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर वहां पर शिक्षा दी जाती है। १६ और १८ वर्ष की उम्र के लड़के पढ़ लिख कर एक फौजी सैनिक के रूप में निकल जाते हैं। उनको हर मामले की शिक्षा दी जाती है और देश की आवाज के लिए हमेशा वे तैयार रहते हैं। आप चीन में भी देखिये। चीन ने हमारे देश पर हमला जरूर किया है, क्या स्थिति है, कैसी बात है, क्यों हुआ इन सब बातों से सब लोग परिचित हैं। लेकिन चीन ने अपने संघर्ष के बाद में यहां से अधिक आबादी होते हुए भी ९० प्रतिशत लोगों को फौजी मामले में तैयार कर लिया है। ९० प्रतिशत लोगों को सैनिक दृष्टि से नीचे से लेकर ऊपर तक के हर प्रकार की चीज के लिए तैयार किया गया है। हम यदि इस दृष्टि से सोचे कि आज चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है और उसकी ताकत

# Page No.40



(श्री मुरलीधर व्यास)

के सामने हमारी क्या ताकत है, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने आपको उसके सामने इस दृष्टि से बहुत कमजोर पाते हैं। लेकिन सैनिकों की लड़ाई चलती है किन्तु देश के लोग भी जब मौका आये तो तैयार रहते हैं। उनकी भी अच्छी ताकत रहती है। हमारी स्थिति उस मामले में कमजोर है। मैं उस मामले में यह नहीं कहना चाहता कि हम कमजोर हैं और चूंकि उनकी ज्यादा ताकत है इसलिए उसको स्वीकार करके चुप बैठ जाना चाहिये। लेकिन प्रयत्न करना जरूर चाहिये।

देश के सामने कई समस्यायें आती हैं और आती रहेगी। देश के प्रधान मन्त्री ने खुद ने चीन के ऊपर बोलते हुए यह कहा था कि मैं सारे राष्ट्र को आह्वान करता हूँ राष्ट्र का प्रत्येक नवयुवक, हर घर, हर मकान, हर कारखाना इस देश की रक्षा के लिए तैयार हो। देश के प्रधान मन्त्री ने इस तरह से आह्वान किया है लेकिन हम इस आह्वान पर कहां तक अपनी तैयारी कर सके हैं ? उन्होंने यहीं तक नहीं कहा कि इतना ही आह्वान करता हूँ किन्तु उन्होंने कहा कि युद्ध की तैयारी के दृष्टिकोण से भी मैं राष्ट्र को आहवान करता हूँ। फौजी ताकत के लिये भी आह्वान करता हूँ। अहमदाबाद में और पंजाब में उनके भाषण हुए। आज से कुछ दिनों पहले उन्होंने इस प्रकार से देश को आह्वान किया। अब प्रश्न यह है कि राष्ट्र के प्रधान मन्त्री की तरफ से इस प्रकार का आह्वान होता है और आह्वान होने के बाद हम इस पर विचार न करें और किसी प्रकार विचार करें कि हम उस आह्वान को किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं; तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक ही रास्ता है; ऐसे मौके पर राज्य सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे कि कम से कम राजस्थान के स्कूल और कॉलेजों के अन्दर और मौका आये तो प्रमुख स्थानों पर अलग अलग ट्रेनिंग सेन्टर खोल कर लोगों को एक महीने, दो महीने, चार महीने के लिए फौजी शिक्षा का प्रबन्ध हो और जो लोग सीखना चाहें उनको शिक्षा दी जावे। उसके लिये प्रेरणा दी जाय और इस बारे में सारे राज्य के अन्दर केम्पेन चलाया जाय १६ या १८ साल से ऊपर वाले लोगों का इतना नम्बर हम तैयार करेंगे इस ओर कदम उठाया जाय। अगर इस प्रकार की कोशिश की गई तो देश के प्रधान मन्त्री द्वारा जो आह्वान किया गया है उस ओर हम कुछ कर सकेंगे और देश को भावी आक्रमण से बचाने के लिये तैयार रख सकेंगे।

इसके लिये यह कहा जा सकता है कि राजस्थान में हम एन० सी० सी० द्वारा यह कार्य कर रहे हैं। लेकिन वह स्कूलों और कॉलेजों तक ही सीमित है उससे आम जनता फायदा उठा नहीं सकती। इसके लिये हमें इस प्रकार के सेन्टर्स कायम करने चाहिये जहां इस प्रकार के शिक्षण की सुविधा हो। यदि आप यह भी केवल स्कूलों और कॉलेजों तक ही सीमित कर देते हैं तो इससे आम जनता को प्रेरणा और साहस नहीं होगा। आज जिस प्रकार की हमारे देश की परिस्थिति है उसके अनुसार हम सारे प्रान्त के अन्दर इस प्रकार का केम्पेन चला कर कदम उठायेंगे तो देश के प्रधान मन्त्री ने जो आह्वान किया है उसकी पूर्ति कर सकेंगे।

इसके साथ साथ मेरा उद्देश्य मिलिटरी ट्रेनिंग के साथ साथ अन्य शिक्षा भीजैसे इन्जीनियरिंग, मेडिकल हैल्थ सर्विसेज होती है फौजियों के लिये

(श्री मुरलीधर व्यास)

वह भी दी जानी चाहिये। इसके अलावा नर्सेज को भी हम तैयार करें ताकि समय आने पर वे सेवा शुश्रुषा का काम करें। इस तरह से मिलिटरी एज्युकेशन के नाना प्रकार के भिन्न भिन्न अंग हैं उन पर अलग अलग विचार करके कुछ न कुछ कार्य प्रारम्भ कर सकें तो ये काम आगे जाकर हमारे लिये बड़े लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं।

इसके साथ साथ मैं यह भी महसूस करता हूँ कि जो फौजी लोग तैयार किये जाते हैं जैसे चीन के अन्दर, जापान के अन्दर वहां यह होता है कि वे अपनी फौजों के साथ साथ ऐसे लोगों को भी तैयार करते हैं जो देश के भीतर संकटों में मुकाबला कर सकें। कुछ लोग ऐसे भो देश में होते हैं जो जिस देश के अन्दर रहते हैं उस देश के लोगों के साथ गद्दारी करते हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ मिल जाते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा चीन की सीमा पर लद्दाख में इस प्रकार की घटनायें हुई हैं कि हिन्दुस्तान के बहुत से लोग वहां चले गये, नेफा के अन्दर वहां के होटलों में, बाजारों में इस प्रकार की बातें करते हुए पाये गये चीन यहां आ रहा है तो क्या हुआ आखिर वह भी तो हमारा भाई है। इस प्रकार की गद्दारी करने वाले भी लोग हैं। उनका इस प्रकार का दृष्टिकोण हुआ करता है और इस प्रकार की बातें ऐसे मौकों पर हुआ करती हैं तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें देश में इस शिक्षा को बढाना चाहिये ताकि हमारा देश हर तरह से जागरूक रहे। इस प्रकार का खतरा पैदा करने-वाले जो लोग हैं उनसे सावधान होकर हमें अपनी तैयारी करनी चाहिये। जैसे गत महायुद्ध में जिस समय नेताजी सुभाषचन्द्र बोस लड़ रहे थे, नेताजी के सिपाही नीचे लड़ रहे थे, ऊपर से इस प्रकार के पेपर्स गिराये जाते थे कि तुम हमारे साथ आओ खाने को अन्डे मिलेंगे, दूध मिलेगा आदि आदि इस प्रकार जब युद्ध का समय होता है इस प्रकार से भी लोग प्रचार करते हैं। चीन भी हमारा मित्र है उसके आने पर अच्छा खाना मिलेगा आदि बातें कह कर लोगों को फुसलाया जा सकता है....

**श्री मोहरसिंह** (चुरू) : ऐसा प्रचार कौन कर रहा है ?

**श्री मुरलीधर व्यास** : मैं नाम लेना नहीं चाहता। जो इस प्रकार के समाचार छपे हैं उनसे ऐसा मालूम होता है कि वे सारे कम्युनिस्ट लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं ? सारे मिल करके ...

**श्री मोहरसिंह** : कम्युनिस्टों को तो केवल बदनाम कर रहे हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : उनकी तो नीति ही इस प्रकार की है। वे तो इसी प्रकार चाहते हैं कि सारी दुनिया में साम्यवाद हो जाय।

**श्री मोहरसिंह** : यह तो हर देश चाहता है कि उसके सिद्धान्त दूसरे देश मानें।

**श्री मुरलीधर व्यास** : हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई देश अपने सिद्धान्तों को थोपे। हम चाहते हैं हम अपने कार्य में स्वतंत्र रहें।

**श्री मोहरसिंह** : यह कहिये कि हम साम्यवाद नहीं चाहते ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : इस प्रकार से जो लोग देश के साथ व्यवहार करते हैं वे लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं । आपने जब कहा तो मैंने कह दिया । मैं इसको सदन में लाना नहीं चाहता था । जो घटनायें हुई और जिस प्रकार की बातें हमें मिली उसके आधार पर सोचें तो ये घटनायें छोटी मोटी नहीं हैं । इस प्रकार की घटनायें बंगाल के अन्दर जो उपद्रव हुआ था उस समय भी हुई थ । उनका यह उद्देश्य था । कि बंगाल के लोगों को हम ऐसे मौके पर तैयार करें ताकि उधर से जो लोग आ रहे हैं उससे मिल कर हम राज्य सरकार को उलट द....

**श्री मोहरसिंह** : इधर से उस प्रकार का प्रचार इसलिये किया जा रहा है कि युद्ध ज्यादा भड़के ?

**श्री मुरलीधर व्यास** : उनका यह दृष्टिकोण है कि युद्ध भड़के लेकिन हमें तो अपने देश को भावी परिस्थिति के लिये तैयार करना चाहिये....

**श्री मोहरसिंह** : ऐसे कहने से....

**श्री अध्यक्ष** : आप शान्ति से बैठे रहिये, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : इस प्रकार की विचारधारा का जहां तक सवाल है, यह आक्षेप मेरा ही नहीं है बडे बडे लोगों का है । इस प्रकार के प्रश्न पूछे गये हैं जिनका उत्तर संसद् में दिया गया है । इस प्रकार के काम करने वाले लोग थे जो नेफा चले गये और वे वहां पर जाकर इस प्रकार का काम करते रहे । पंजाब के बहुत से लोग लद्दाख की सीमा पर चले गये । मैं यही कहना चाहता हूं अगर देश में ऐसा मौका आये तो उस दृष्टिकोण से हमें सोचना है । हमें ऐसे षड्यन्त्रकारियों का विश्वास नहीं करना चाहिये । ऐसे समय में देश के हर नागरिक का फ़र्ज है कि देश की जो स्थिति है उसमें हमें अपने देश की रक्षा के लिये हर समय तैयार रहना चाहिये । देश के हरेक नागरिक को यह बताना पड़ेगा कि कहां कौन छिप छिप कर इस प्रकार का काम कर रहे हैं । मजदूर किसानों के नाम पर वे इन मजदूरों और किसानों के नाम पर अपनी विचारधारा के अनुसार इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं तो ऐसी हालत में हमने जिस प्रकार अपने देश की स्वतन्त्रता की रक्षा की है जितनी कुर्बानियां देकर आजादी प्राप्त की है उससे भी अधिक आहुति देकर भी हम अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करेंगे; इस प्रकार सोचने का दृष्टिकोण हमें बनाना पड़ेगा ।

मैं यह महसूस करता हूँ कि आज हमें देश को सैनिक शिक्षा से काफी मजबूत बनाना है । जिस प्रकार की परिस्थितियां ऐसे समय में पैदा हो जाती हैं उनसे भी हमें अवगत रहना चाहिये । मौके कभी किसी की राह नहीं देखते, न मालूम किस समय यह मौका आ जाय । इसलिये हमें हर मौके पर तैयार रहना चाहिये । यह आग कभी भी भड़क सकती है और इसका असर सारे मुल्क पर हो सकता है । आज जब कि हमारे प्रधान मन्त्री ने आह्वान किया है वैसी हालत में हर राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने आपको तैयार करे और यही सोच करके मैंने यह संकल्प रखा है ।

श्री मुरलीधर व्यास)

मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और इसका समर्थन करेंगे।

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इस संकल्प पर जो संशोधन है वह इस प्रकार है :—

शब्द 'के' और 'शिक्षण संस्थाओं' के बीच में 'सभी' शब्द जोड़ा जाय।

यह 'सभी' शब्द जोड़ने की आवश्यकता यों प्रतीत हुई कि हमारी सरकार जब इस तरह की संस्थाओं की व्यवस्था की बातें सोचती है तो हमारे सामने यह आता है कि सरकारी, गैर सरकारी इस प्रकार दो प्रकार की संस्थाओं की बातें होती हैं। अभी अभी हम देखते हैं, हमने इस प्रकार की घोषणा पढ़ी कि कक्षा ८ तक निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय। मैं तो यही समझती रही कि इस घोषणा के आधार पर समस्त स्कूलों में ८ वीं तक निःशुल्क व्यवस्था होगी लेकिन वह नहीं हुई। केवल सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं में ही इस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई है, अन्य संस्थाओं पर नहीं। इस तरह से सरकार का जो उद्देश्य होता है वह बहुत कुछ अंशों तक पूरा नहीं होता है। क्यों कि दूसरी संस्थाओं की संख्या कम नहीं है यह महसूस करके मैंने यह रक्खा है। मैंने सोचा कि यदि हम इस संकल्प को इस तरह से रखते हैं तो इसमें वह बात रह जावेगी और यदि संयोग से सरकार को इस संकल्प की भावना स्वीकार हुई तो सरकार सरकारी स्कूलों में या उससे एडेड संस्थाओं में ही इसे लागू करेगी इस प्रस्ताव की भावना के अनुसार। दूसरे जो बहुत सी गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनमें शायद यह लागू न हो पाये। इसलिये यह संशोधन मैंने रक्खा है।

वैसे देखा जावे तो यह संकल्प बहुत सामयिक है। आज जैसी हमारी देश की स्थिति है उसको देखते हुए हमें बाहरी और भीतरी आपत्तियों का सामना करने के लिये बराबर तैयार रहना है। आज तक सैनिक शिक्षा को हम इसलिये नापसन्द करते रहे हैं क्यों कि इसका सम्बन्ध युद्ध, हिंसा या मार काट से रहा है। पर इसका दूसरा पहलू जो उपयोगी और अनिवार्य है यह है कि हमारी सुरक्षा और आपत्तियों से लड़ने में यह हमें सशक्त बनाती है।

हमारी शिक्षण संस्थाओं ने अब तक बौद्धिक विकास की तरफ ध्यान दिया है, शरीर के विकास की तरफ नहीं। जो थोड़े बहुत खेल होते हैं उनसे पूरा विकास शरीर का हो नहीं पाता इसके लिये आवश्यक है कि बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ इस सैनिक शिक्षा के द्वारा शारीरिक उन्नति की ओर भी ध्यान दिया जाय।

इसके साथ ही जैसा कि हमारे पूर्ववक्ता माननीय सदस्य ने बताया कि दूसरी अन्य बातों की शिक्षा जो मिलती है, जो जीवन में आगे जाकर व्यक्ति के लिये जितनी उपयोगी होती है उससे बढ़कर यह सैनिक शिक्षा देश और प्रान्त और राष्ट्र के लिये उपयोगी हो सकती है।

आजकल हम देखते हैं कि हमारे विद्यार्थी समाज में अनुशासन की कमी है। इसको दूर करने में भी यह सैनिक शिक्षा बहुत सहायक हो सकती है। क्योंकि सैनिक शिक्षा का

# Page No.44



( डा० चन्द्रकला )

मुख्य गुण अनुशासन ही है। इसके साथ ही साथ एक तरह की देशभक्ति और देश के प्रति निष्ठा की भावना भी इससे जाग्रत होती है। जैसा हम मानते हैं कि जो काम और किसी तरीके से नहीं होता तो उसको हम युद्ध स्तर पर शुरू करते हैं। तो जो काम दूसरे तरीकों से होना मुश्किल होता है वह युद्ध स्तर पर जल्दी होता है। तो यदि हमारे नागरिक सैनिक शिक्षा ग्रहण किये रहेंगे तो देश को बड़ी से बड़ी मुसीबत का आसानी से मुकाबला और हल किया जा सकेगा। जहां तक मुझे दिखाई पड़ रहा है हमारी सरकार भी इस सैनिक शिक्षा के महत्व को समझती है और यह समझ कर एन० सी० सी०, गर्ल्स गाइड और स्काउटिंग की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करती है। पर वर्तमान स्थिति में शिक्षण की व्यवस्था अपर्याप्त है। हमारी जो मांग है, जो हमारी आवश्यकता है, जो आज की स्थिति का तकाजा है उसको देखते हुए बड़े भारी पैमाने पर सरकार को इस शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। पर जब सभी संस्थाओं की बात करते हैं उस समय मेरे सामने कॉलेज और हाई स्कूल ही नहीं हैं, छोटी से छोटी प्राइमरी स्कूलों तक की तरफ मेरा इशारा है और जब हम इन सब में सैनिक शिक्षा जारी करेंगे या एक साथ काम करने की भावना जाग्रत करेंगे तो यह निश्चय ही अत्यन्त उपयोगी होगी।

इसके साथ ही मुझे एक बात और कहनी है। जो आज एन० सी० सी० की शिक्षा दी जाती है वह लड़कों में अधिक है। लड़कियों को इसमें कम लिया है। जो बड़े बड़े शहरों के कॉलेज है या हाई स्कूलें हैं और जहां शिक्षण का प्रबन्ध आसानी से हो सकता है वहां तो लड़कियों को शिक्षा मिल जाती है, बाकी और जगह नहीं। तो यह अभाव खटकने वाला है। इस तरफ आगे बढाना चाहिये। मैं यह नहीं कहती कि उनको भी कवायद, परेड आदि ही सिखाई जावे। ये ही साधन पर्याप्त नहीं होते। दूसरी चीजें भी अनिवार्य होती हैं, जैसे नर्सिंग का काम है, सेवा का काम है और दूसरी दूसरी सैनिक शिक्षा की चीजें हैं। सैनिक शिक्षा के अन्य उपयोगी अंग भी हैं जिनकी शिक्षा लड़कियों को बहुत अच्छी तरह दी जा सकती है।

जब हम इस तरह से चारों ओर से बढेंगे तो इससे हम व्यक्तियों का, अपने बच्चे और बच्चियों का विकास तो करेंगे ही पर इसके साथ साथ हम अपने देश के लोगों में इस तरह की एक साथ काम करने की भावना, देशभक्ति की भावना भी तैयार करेंगे जिससे देश पर आये किसी भी संकट और आपत्ति या कठिनाई का मुकाबला करने में समर्थ हो सकते हैं।

इन बातों का उल्लेख करते हुए इस संकल्प का मैं समर्थन करती हूँ और यह अपना एक छोटा सा संशोधन प्रस्तुत करती हूँ। आशा करती हूँ कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

**श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।**

(अनुपस्थित)

श्री गोकुलचन्द।

# Page No.45



**श्री गोकुलचन्द जादव** (लक्ष्मणगढ): अध्यक्ष, महोदय, अशासकीय संकल्प, क्रम सख्या १, संकल्प संख्या ५ पर मेरा संशोधन इस प्रकार है कि शब्द "राज्य की शिक्षण संस्थाओं में" और "सैनिक शिक्षा" के बीच में "१६ वर्ष या इससे उच्च आयु के विद्यार्थी को", ये शब्द जोड़ दिये जावें।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव आज के ज़माने में बहुत महत्व रखता है। वैसे तो देश के प्रत्येक नागरिक को यह सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिये पर चूंकि संकल्प में जो भाव व्यक्त किये गये हैं उनकी मन्शा यह है कि शिक्षण संस्थाओं में इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिये। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि देश की आजादी की लड़ाई में विद्यार्थियों ने बड़ा योगदान दिया है तो देश के नव निर्माण में, देश की स्वतन्त्रता को कायम रखने में भी वे अग्रसर रहेंगे, यह मेरी मान्यता है। इसलिये मैं यह मानता हूँ कि सब जगह इस तरह की सैनिक शिक्षा दी जाय पर १६ वर्ष की आयु या उससे ऊपर की आयु के जो छात्र हैं उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिये। इससे कम आयु के छात्रों के लिये यह उपयुक्त नहीं होगा। इसलिये मेरा यह संशोधन है। आशा है सदन इसको स्वीकार करेगा।

**श्री मनोहर कोठारी** (कुम्भलगढ): गैर सरकारी संकल्प आज सदन के सामने विचाराधीन है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों में इसकी उपादेयता और उपयोगिता स्पष्ट है। यह वास्तव में ऐसा समीचीन अवसर है कि जब हमें सामूहिक दृष्टि से अपनी शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम पर ध्यान देना पड़ेगा। आज देश के आजाद होने के बाद सर्वत्र इस बात की चर्चा सुनाई पड़ती है, हमारे देश के बड़े से बड़े शिक्षाविद् या नेता से लेकर छोटे से छोटा शिक्षाशास्त्री तक यह कहता हुआ सुनाई पड़ता है कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली जो आज विद्यमान है, दूषित है। उसका परिणाम यह होता है कि शिक्षा प्रणाली के प्रति जो भी आस्था और विश्वास विद्यार्थियों में था वह कम हो गया। जितनी विद्यार्थियों में उसके प्रति लगन थी वह लगन निश्चित तौर पर कम हुई, इसे हमें स्वीकार करना ही चाहिए और आजादी के पहले खेल के मैदान में हमारी शिक्षण संस्थायें जितना योगदान देती थी, मैं समझता हूँ कि उस रास्ते पर हम आगे नहीं बढ़े बल्कि हम लोग खेल के मामले में पिछड़े हैं। यद्यपि खेल के मैदान में जहां तक हमारे देश का प्रश्न है, और हमारी शिक्षण संस्थाओं का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम शिक्षण संस्थायें थीं आजादी से पहले तब भी खेल का स्टेन्डर्ड काफी ऊंचा था, अच्छा था। लेकिन इसके बाद भी शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से, नैतिकता और चरित्र की दृष्टि से और अनुशासन की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि सैनिकों का जीवन एक अच्छा जीवन होता है और उसी जीवन को कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थियों में ढालने का प्रयत्न करें तो जो आज हमारे देश में आये दिन विश्वविद्यालयों और कॉलेज के छात्रों के नाम से हम इस तरह के सम्वाद पढ़ते हैं कि अनुशासन की विद्यार्थियों में कमी है वह काफी मात्रा तक दूर की जा सकती है। भारत की आजादी के पहले हमारे यहां प्रदेशों में होमगार्ड्स भी चलती थीं, स्काउट्स और गाइड्स का हमारे

( श्री मनोहर कोठारी )

यहां पर अच्छा संगठन था। आजादी के बाद यद्यपि इन संगठनों को थोड़ा सा बल मिला है तथापि यह कहना अनुचित नहीं होगा कि आज के कुछ वर्ष पहले जिस तरह की स्काउट्स के प्रति हमारे देश के नागरिकों में, हमारे कार्यकर्त्ताओं में और खासकर के विद्यार्थियों में भावना थी वह आज नहीं है। जितनी भी इस तरह की योजनायें स्काउट्स वगैरह की होती हैं वे राजकीय स्तर पर हो जाती हैं लेकिन वालेन्टेरीली आर्गेनाइजेशन के रूप में जो कुछ पहले होता था वह आज हमें दिखाई नहीं देता है। यद्यपि हम पुराने स्काउट्स को जो शायद ऐसे बुजुर्ग हैं कि जिनकी उम्र ६० वर्ष के करीब है उन लोगों को आज भी देखते हैं तो हमारा हृदय फूल उठता है। हमें यह महसूस होता है और ऐसा लगता है कि उस उम्र में भी स्काउट्स के प्रति कितने जागरूक हैं, इनकी आत्मा में कितनी आस्था और विश्वास है। लेकिन यह बात निश्चित है कि जब तक हमारे विद्यार्थियों का शारीरिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास निश्चित तौर पर उनको आज लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता और इसीलिए जहां तक सैनिक शिक्षा की अनिवार्यता का प्रश्न है, मैं मानता हूँ कि यह बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए भी और हमारे प्रदेश के लिए भी। इतने शिक्षकों का मिलना भी मुश्किल है कि हम सब स्कूलों में इस तरह की सैनिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू कर सकें। लेकिन यह निश्चित है कि गवर्नमेंट और हमारी केन्द्रीय सरकार ने जिन बड़े स्कूलों और कॉलेजों में एन० सी० सी० और ए० सी० सी० के रूप में कुछ बटालियनों का संगठन किया है उनको और अधिक शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। हमारे देश की उत्तरी सीमा पर जब पड़ौसी देश ललकार रहा है उस समय हमारे यहां की स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर हमारे विद्यार्थी बन्दूक उठाये हुए और परेड करते हुए देखने को मिलते हैं तो एक भावना सभी के मन में आती है और हर देश का नागरिक चाहता है कि हमारे देश पर जो आपत्ति आती है या आई है उसका मुकाबला किया जाये।

यह निश्चित बात है कि हमारे देश के विकास के कार्यों में धन की आवश्यकता है-वह धन विकास के कार्यों में खर्च हो रहा है लेकिन साथ ही साथ यह भी निश्चित है कि यदि हमारी सैनिक शक्ति, हमारा सैनिक सगठन यदि कमजोर होता है तो हमारे विकास के कार्य भी अवनत हो जाते हैं। इसलिए जहां तक सम्भव हो सके मैं समझता हूँ कि हायर सेकेन्डरी स्कूल और कॉलेज के स्तर पर कम से कम अनिवार्यता नहीं तब भी एक एक कॉलेज में, एक एक स्कूल में तीन-चार बटालियनों के रूप में प्रशिक्षण देना आवश्यक है। क्योंकि कभी देश को बाहर की किसी शक्ति का सामना करना पड़ता है; हमारे सैनिक मोर्चे पर होंगे। उस समय देश की छोटी मोटी रक्षा का भार हमारे--विद्यार्थी उठा सकते हैं। इसलिए मैं भी इसको आवश्यक समझता हूँ। आज आप देखिये-विद्यार्थी बचपन में जो भावना ग्रहण कर लेता है उन भावनाओं के प्रति जितना आदर होता है वह आपके आगे के जीवन में नहीं हो पाता है। यही कारण है कि आज हम शिक्षा की बात कहते हैं। हमारी एक माननीय सदस्या ने एक संशोधन यह प्रस्तुत किया कि सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं और प्राइवेट स्कूलों में यह

( श्री मनोहर कोठारी )

योजना होनी चाहिए और सभी शिक्षण संस्थाओं के ऊपर वह समान रूप से लागू होनी चाहिए। एक माननीय सदस्य ने छोटा सा प्रस्ताव यह भी प्रस्तुत किया कि १६ वर्ष के ऊपर की आयु में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इन दोनों संशोधनों को ध्यान में रखकर सोचेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारी सार्वजनिक शिक्षण संस्थायें इतनी शक्ति में नहीं हैं। मैं कुछ संस्थाओं को बात नहीं कहता लेकिन हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाली जो शिक्षण संस्थायें हैं वह इतनी क्षमता प्राप्त नहीं कर सकती। हमें यह सोचना आवश्यक है कि वहां पर अनिवार्य शिक्षा दी जाये तो सरकार तौर पर इन्स-ट्रक्टर वगैरह रखने पड़ेंगे। बाकी वहां पर आज इस स्थिति में व्यवस्था होगी, मेरे ख्याल से मुश्किल है। लेकिन जहां तक आयु का सवाल है, यह निश्चित बात है कि १६ वर्ष की आयु के ऊपर के विद्यार्थी को अनिवार्य सैनिक शिक्षा देनी होगी। मुझे लगता है कि हमारे धन और फण्ड को देखते हुए, देश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह बहुत मुश्किल लगता है कि इस तरह की व्यवस्था करें। लेकिन फिर भी कुछ स्थानों के ऊपर और कुछ बड़े स्कूल और कालेजों में हम काफी संख्या में इस तरह के बटालियन को संगठित कर सकें और उनके जरिये सैनिक शिक्षा के प्रचार को कर सकें तो वह ज्यादा समीचीन होगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये यह सदन को निवेदन करना चाहूँगा कि आज के पहले जिस तरह हमारी शिक्षण संस्थाओं में गेम्स के ऊपर, खेलों के ऊपर ध्यान दिया जाता था वह निश्चित तौर पर आजादी मिलने के बाद गिरा है और उसको ऊंचा उठाने के लिए यह आवश्यक है कि हम चाहे और किसी क्षेत्र में आगे बढ़ें या नहीं लेकिन खेल के मैदान में हमारे विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि हमें उन्हें सैनिक शिक्षा भी अनिवार्यतः देनी होगी तो अच्छी बात होगी लेकिन अनिवार्यतः नहीं दे सकें तब भी अधिक मात्रा में और ज्यादा संख्या में विद्यार्थियों में भावना पैदा की जाये, और इसके लिए आगे प्रयास किया जाये, यह ज्यादा उपादेय होगा। यही निवेदन करके मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

**श्री अध्यक्ष :** श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

(१२. ५८ म. प.)

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव है मैं उसकी भावना का तो समर्थन करता हूँ लेकिन इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि....

**श्री शंकरलाल** (रायपुर) : आप यह बता दीजिए कि भावना क्या है और संकल्प क्या है ?

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा :** इसको बता रहा हूँ, शान्ति से सुनिये। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि देश में हमें ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो देश को संभाल सकें और रक्षा कर सकें। यह बात आज ही नहीं, हमारे यहां बहुत बरसों से चली आ रही है और इस बात को हमने कभी महसूस किया है कि सन् १९४६ में जब कि भारत की सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी क्योंकि

( श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा )

द्वितीय महायुद्ध में सैनिक अधिकारियों की कमी महसूस हुई और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सन् १९४७ में दी और उसके बाद में पार्लियामेंट ने एन. सी. सी. एक्ट पास किया। उसी के आधार पर एन.सी.सी. और ए.सी.सी. कॉलेजों में चल रही हैं। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह आवश्यक है कि देश की रक्षा के लिए हर नागरिक को जो कि इस देश का वासी है उसे शारीरिक तौर पर मजबूत रहना चाहिए और देश की रक्षा के सभी साधनों का प्रयोग करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि विद्यार्थियों में यह शिक्षा होनी चाहिए और विद्यार्थी, क्योंकि आगे जाकर इस देश के नागरिक होंगे, उनके लिए यह जरूरी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव में क्या है ? इस प्रस्ताव में शब्द ये हैं :

'सदन की यह सम्मति है कि राज्य की शिक्षण संस्थाओं में सैनिक शिक्षा दी जाने की व्यवस्था की जावे,

यानि इसमें यहां कहीं पर भी यह बात नहीं है कि अनिवार्य किया जाये या क्या किया जाये, यहां तो केवल यह है कि व्यवस्था की जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सन् १९४८ में जो पार्लियामेंट ने बिल पास किया उस समय से आज तक हमारे देश की शिक्षण संस्थायें जो कि हाई स्कूल और कॉलेजेज़ हैं उनमें एन०सी०सी० और ए०सी०सी० चल रही हैं। अब ऐसी स्थिति में इसमें वृद्धि की जाय या कमी की जाय यह इस प्रस्ताव में नहीं है। प्रस्ताव में यह है कि व्यवस्था की जाय तो व्यवस्था तो अभी भी मौजूद है। व्यवस्था का रूप अलग हो सकता है, व्यवस्था में खराबी है, उसकी बात अलग हो सकती है। जो यह प्रस्ताव आया है हमारे सामने कि व्यवस्था की जाय तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि व्यवस्था अभी मौजूद है। आज भी देखेंगे कि हर स्कूल और कालेज में एन० सी० सी० और ए०सी० सी० बटालियनें तैयार हैं। यह कोई कहे कि हमारा देश कमज़ोर है तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा देश कमज़ोर नहीं है। अगर देश को कोई खतरा होगा और मुकाबला या सामना करना होगा तो देश का हरेक नागरिक सैनिक से ज्यादा बलिदान करने को तैयार होगा।

अब यह कहा जाय कि प्राइवेट स्कूलों में सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल हैं-आज हरेक कोई मास्टर बनकर ५० विद्यार्थियों को लेकर बैठ जाता है और आप सैनिक शिक्षा दिलाने के लिए उनको राइफल्स दे देंगे तो वहां से डाकू लोग उठाकर ले जा सकते हैं और उसी राइफल से हमारे ऊपर हमला किया तो क्या हाल होगा। तो इन सब बातों को समझना चाहिये कि ए० सी० सी० एक्ट के अनुसार व्यवस्था है। यह मैं मानकर चल सकता हूँ कि उस व्यवस्था में कुछ कमी हो।

हम यहां पर कह रहे हैं कि वह अनिवार्य हो और १६ वर्ष से ऊपर के बच्चों को दी जानी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हर हाई स्कूल और कालेज में १६ वर्ष के ऊपर के लड़कों को एन० सी० सी० की शिक्षा दी जाती है और अभी मौजूद है। ऐसी अवस्था में कहना और प्रस्ताव पास करा देने से कोई फायदा नहीं होगा। जब

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

कि व्यवस्था मौजूद है, काम चल रहा है तो प्रस्ताव के पास करने से क्या महत्व हो सकता है। यहां पर ए० सी० सी० या एन०सी० सी० की शिक्षा नहीं दें तब तो समझ में आ सकता है कि यह प्रस्ताव ठीक है। लेकिन जब कि वह मौजूद है ऐसी स्थिति में यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि चरित्र और नेतृत्व करने की शक्ति, आदर्श सेवा की भावना पैदा करना शिक्षा विभाग का काम है और बाकी जो रक्षा का भार है वह प्रतिरक्षा विभाग का काम है। आज भी प्रतिरक्षा के लिए जो भी होता जा रहा है वह उसके आदेश के अनुसार हो रहा है। ऐसी स्थिति में शिक्षण संस्थाओं के लिए कह देना कि हरेक शिक्षण संस्था में एन० सी० सी० को चालू कर दिया जाय तो यह देश के लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रस्ताव की भावना में बहुत बड़ा देशप्रेम है। वे चाहते हैं कि देश की रक्षा करने के लिए देश का हरेक नागरिक ऐसा बने जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे, लेकिन मैं निवेदन करना चाहते हूँ कि उनके प्रस्ताव की जो भावना है वह अभी भी शिक्षण संस्थाओं में चालू है। सिर्फ इतनी कमी है कि उनके पास साधन की कमी है। साधन की कमी होने की वजह से जितनी एन० सी० सी० की बटालियन देश के लिए चाहिए उतनी नहीं हैं। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पूरे पूरे साधन जुटायें। यही मेरा निवेदन है और प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि यह प्रस्ताव रखने के योग्य नहीं है। इसलिये इसको वापिस लेलें।

**श्री लक्ष्मीचन्द जैन** (सांचोर) : श्री अध्यक्ष महोदय, जो गैर सरकारी संकल्प मुरलीधरजी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। इस संकल्प की मन्शा यह है कि शिक्षण संस्थाओं में सैनिक शिक्षा होना जरूरी है। सैनिक शिक्षा नहीं होने के कारण इतने जो शिक्षित लोग हैं वे दिन व रात इतने कमजोर होते जा रहे हैं कि यहां तक मैं उदाहरण देने को तैयार हूँ कि अभी कल या परसों के अन्दर पेपर के अन्दर पढ़ा था-राष्ट्रदूत के अन्दर पढ़ा था—कि जोधपुर के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को कुछ डाकुओं ने या कुछ ऐसे गुन्डे लोगों ने लिखकर भेजा कि तुम्हारे यहां डाका डालेंगे या तुमको लूटेंगे। इस प्रकार से जोधपुर जैसे सिटी में जहां कि शिक्षितों की ज्यादा पर्सेन्टेज है वे इतने डरपोक हो गये कि हाय अब क्या करें। हमारी रक्षा कैसे कर सकेंगे? इसलिये आज हमारे जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं वे हमको इस प्रकार से मोसा देते हैं :

'पढ़या सो परवार गया, गया हिम्मत वे हार
जमी गमावण जनमिया ये पढ़ूयोड़ा सरदार ॥'

आज हमारे शिक्षित लोग हैं वे इतने कमजोर हो गये हैं कि अपनी खुद की रक्षा करने को तैयार नहीं हो सकते। तो हम को इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो जायं। अपने पैसे को सम्हाले उसके बाद में देश को सम्हालने का प्रश्न आये। आज हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि आज किसी उत्तरदायित्व को निभा सकते हैं। आज हमने देश की रक्षा और अपनी रक्षा का भार सरकार पर छोड़ दिया कि सरकार हमारी रक्षा करेगी। तो सरकार ऐसी पोजीशन के अन्दर नहीं है कि घर घर

(श्री लक्ष्मीचन्द जैन)

पुलिस की व्यवस्था कर दे। आज हम को हमारी रक्षा करने के लिये कम से कम खुद को खड़ा होना पड़ेगा, और इस किस्म की जागृति पैदा करनी होगी, इस किस्म की भावना पैदा करनी होगी और वह भावना कैसे होगी? वह शिक्षा के जरिये ही प्राप्त होगी। हमारे प्राचीन काल में गुरुकुलों में इस बात की शिक्षा दी जाती थी। हमारे इतिहास में है कि अभिमन्यु ने गर्भ के अन्दर ही सैनिक शिक्षा ले ली थी। हम लोग इतने अनुभवी थे, इस शिक्षा के इतने जानने वाले थे कि जिसकी वजह से किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता था। आज हमारे पर पड़ोसी देशों के बादल छाये हुए हैं लड़ाई के। एक तरफ पाकिस्तान अलार्म बजाता है तो दूसरी तरफ चीन धमकियां देता है। इस प्रकार के लोगों का यह मतलब है कि हिन्दुस्तान के अन्दर लोग कमजोर रहते हैं, जिनके अन्दर सैनिक शिक्षा की भावना नहीं है, जिनको सिखाया नहीं गया है। हमारे देश के नागरिकों को तैयार करने के लिए कम से कम स्कूल के अन्दर इस किस्म की शिक्षा जरूर होनी चाहिये ताकि हरेक आदमी अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता है वह दूसरों की क्या रक्षा करेगा? मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेकर आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से यही प्रार्थना करूंगा कि इस किस्म के सुधार शिक्षा विभाग में कर लें ताकि स्कूलों में सैनिक शिक्षा सिखाई जाय ताकि बचपन से ही जो संस्कार बन जायेंगे तो हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे तो न चीन का डर रहेगा और न किसी विदेशी के आक्रमण का डर होगा। हम हमारी रक्षा कर सकते हैं तो बाद में न तो कोई घण्टी बजेगी, न कोई अलार्म देगा और न कोई चेतावनी देगा। जो आदमी अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता है वह देश की क्या रक्षा करेगा? चेरिटी बिगिन्स एट होम। हमें सैनिक शिक्षा देकर देश को मजबूत बनाना है ताकि अगर दूसरे देशों से लोहा लेने का काम पड़े तो देश का प्रत्येक नागरिक जो कि सैनिक शिक्षा सीखा हुआ है वह देश के लिए बलिदान देने को तैयार होगा।

उसके अन्दर इस प्रकार की शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा की भावना बनेगी तो उसको डर भी नहीं लगेगा-जैसा कि जोधपुर की जनता में एक बेरंग चिट्ठी आती है जिस पर किसी का नाम नहीं है। जनता के अन्दर इस किस्म की भावना हो गई कि हम हमारी रक्षा किस प्रकार से करेंगे। हममें एक सुरक्षा की भावना लाना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है तो अगर राइफल की शिक्षा नहीं दी जा सकती तो तलवार चलाने की शिक्षा दी जाय ताकि टाइम पर अपने आपकी रक्षा तो कर सकें। एक गांव को दो आदमी दो राइफल लेकर लूट जाते हैं और सारा गांव देखता ही रहता है। एक गांव में चार सौ, पांच सौ आदमी होते हैं लेकिन दो आदमी लूट कर चले जाते हैं। अगर गांव के लोगों को सैनिक शिक्षा दी गई होती तो राइफलों का काम लकड़ी से निकाल सकते थे और डाकू उनको लूट नहीं सकते थे। इनमें इस किस्म की जागृति पैदा करें। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस संकल्प को स्वीकार किया जाय।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग): अध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प सदन के समक्ष आया है मैं इसको केवल सामयिक और समीचीन ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय महत्व का

( श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी )

मानता हूं। जब अपने देश में एक राष्ट्रीय सरकार बन चुकी है तो यह हमारी इच्छा है, आकांक्षा है कि जो भी हमारी पुरानी आकांक्षा अपने देश की उन्नति के लिये रही उसको पूरी करें।

अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिये, आत्मनिर्भर बनाने के लिये, उसमें आत्म-विश्वास पैदा करने के लिये और सबसे बड़ी बात उनमें अनुशासन पैदा करने के लिये यह परमावश्यक समझा जाता रहा है, कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को सैनिक बनना चाहिये। यह अभी का ही नहीं, मैं समझता हूं पुरानी बातों को भी छोड़ दें तो भी जब से हमारे देश में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ है तब से हम यह अनुभव करते रहे हैं कि हमरे देश का एक एक बच्चा शस्त्रधारी बने, उस मायने में नहीं कि इसमें हिंसा होती है या दूसरे मुल्कों पर आक्रमण करने की भावना होती है बल्कि इसलिये कि यह शक्ति-शाली, आत्मनिर्भर और अनुशासनशील बना सकती है।

यह हम सब जानते हैं कि हमारे देश में सन् १८५७ की शस्त्र क्रान्ति हुई, उसके बाद इसे शस्त्र हीन किया गया। उसके पहले हरेक आदमी शस्त्रों का अभ्यास करता था और हरेक सैनिक होता था। सन् १८५७ में वह युग आया जिसके बाद ही आर्म्स एक्ट वगैरह कानून बने और हम निहत्थे बनाये गये। हमारे देश में जब से राष्ट्रीय क्रान्ति हुई तभी से इसकी आवश्यकता अनुभव की गई। मुझे स्मरण है सन् १९३६ या ३७ में जिस समय हमारे देश में प्रान्तीय स्वायत्त शासन स्थापित हुआ था और आठ, नौ प्रान्तों में कांग्रेस सरकार कायम हुई थी उस समय दिल्ली में कन्वेन्शन बुलाया गया था, जिसमें जितने कांग्रेसी एम० एल० ए० थे वे सब इकट्ठे हुए थे। मुझे ध्यान है और शब्द आज भी कानों में गूंज रहे हैं, उस समय महामना मालवीयजी ने कहा था कि हम देश में इस प्रकार का शासन चाहते हैं कि जब हमारे देश का एक एक नागरिक एक तरह का सैनिक बन सके और उन्होंने यह भी कहा था कि यदि इस समय हमारे पास बंदूक और दूसरी चीजें नहीं भी मिलें तो हमें लकड़ी की चीजों पर अभ्यास करना चाहिये। चाहे लकड़ी की बंदूक हो, लकड़ी की तोप हो, लेकिन अभ्यास करने का अवसर अवश्य मिले। तो इस तरह से हम इसकी बहुत दिनों से आकांक्षा करते रहे हैं और यही कारण है कि स्वतंत्र होने के बाद हमारी राष्ट्रीय सरकार ने सबसे पहले जो काम हाथ में लिया वह यह लिया कि जितने कॉलेजेज़ हैं उनमें एन० सी० सी०, ए०सी० सी० की शिक्षा लागू की गई, दूसरे विषयों के साथ।

लेकिन जिस प्रकार का यह संकल्प आया है उसमें मैंने भी एक संशोधन रखा था लेकिन पता नहीं किस कारण से वह मंजूर नहीं हुआ, उसमें कहा था कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में भी यह शिक्षा दी जाय। इसके बाद दूसरे माननीय सदस्यों ने भी इसका उल्लेख किया। मैं भी इस बात की आवश्यकता समझता हूं कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक युवक को सैनिक बनाना है और शिक्षा देनी है तो उसे यदि खाली सरकारी संस्थाओं तक ही सीमित रखते हैं तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। यह

# Page No.52



( श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी )

अवश्य है कि राजस्थान में जितने राजा-महाराजा होते थे उनके यहां गवर्नमेन्ट की तरफ से कॉलेजेज और हाई स्कूल्स बनती थीं बाकी यदि हम पंजाब, यू० पी० आदि को देखें तो वहां पर बहुत कम सरकारी कॉलेज मिलेंगे। हर जिले में एक एक हाई स्कूल सरकार खोलती थी और बाकी हाई स्कूल्स और कॉलेजेज गैर सरकारी होते थे। यद्यपि हमारे यहां सभी संस्थाएं सरकारी हैं लेकिन आम तौर पर सरकारें समझती थीं कि हाई स्कूल तक पढ़ाना सरकार का काम है बाकी सनातन धर्म कॉलेज, डी० ए० वी० कॉलेज, अग्रवाल, खंडेलवाल आदि जातियों के या दूसरे नामों से कॉलेजेज होते थे। हमारे यहां भी चाहे सरकारी कितनी ही संस्थायें हों, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकारी और गैर सरकारी सभी में सैनिक शिक्षा दी जाय। हमारे यहां भी एक पारीक कॉलेज है, दूसरी महावीर जैन हाई स्कूल है, सुबोध इन्टर कॉलेज हैं, अग्रवाल कॉलेज है। मैं नहीं समझता कि ये सरकारी श्रेणी में आती हैं या गैर सरकारी श्रेणी में आती हैं लेकिन यदि वे गैर सरकारी श्रेणी में आती हैं तो भी इनमें इस प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : रावत कॉलेज भी है।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : मैं नहीं मानता कि सरकार उनको एड देती है। मैं स्वयं मानता हूं कि जिनको सहायता देती है उन पर कुछ नियंत्रण भी लगाती है। जिन पर नियंत्रण होता है उनकी हर बात की जांच की जाती है, हिसाब-किताब की जांच की जाती है और इन्सपेक्टर इन्सपेक्शन आदि भी करते हैं। इस प्रकार की जो संस्थायें हैं उनमें अवश्य सैनिक शिक्षा लागू होनी चाहिये। जो अमेरिका के एक पहले प्रेसिडेन्ट इब्राहम लिंकन ने कहा था उनके शब्दों को यहां पर वर्तमान प्रेसीडेन्ट द्वारा दोहराया गया कि आधा स्टेट स्लेव और आधा स्वतंत्र हो नहीं सकता। इसी तरह से हमारे देश में जो सरकारी संस्थाओं में पढ़े तो सैनिक शिक्षा लेकर निकलें और जो गैर सरकारी संस्थाओं में पढ़ें वे सैनिक नहीं बनें जब कि वहां पढ़ने वाले छात्र राष्ट्रीय महत्व की दूसरी चीजों में भाग ले सकते हैं तो मैं नहीं समझता कि इतने बड़े राष्ट्रीय महत्व से उन्हें महरूम क्यों रखा जाता है। अभी बम्बई में हमारे रक्षा मंत्री श्री मेनन गये थे। वहां उन्होंने कहा था कि हमें ढाई लाख, मुझे याद है शब्द ढाई लाख ही कहा था, जिनकी आयु १५ और १८ वर्ष के बीच की होगी उनको सशस्त्र सैनिक बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने कोशिश की थी कि १५ से १८ के बजाय १५ से २१ वर्ष के लोगों को शामिल किया जाय, इससे संख्या भी बढ़ सकेगी। मैं नहीं कह सकता कि स्कूलों के अलावा और कुछ करने जा रहे हैं लेकिन देश के रक्षा मंत्री ने यह बात कही थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि देश के प्रधान मंत्री भी यह चाहते हैं कि हरेक को सैनिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। यह हमारी पुरानी मांग है और देश की परम्परा के अनुकूल है। जैसा कि मैंने बताया, हमारे यहां पर मराठों की फौजों की कोई स्टेन्डिंग आर्मी नहीं होती थी। वही आदमी जो दुकान पर बैठता था या खेती करता था जब मौका आता था तो वह सैनिक बन

Page No.53



( श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी )

जाता था। हमारे यहां राजस्थान में भी राजपूतों और जाटों की फौज होती थी वह भी स्टेन्डिग आर्मी नहीं होती थी। हरेक आदमी सैनिक होता था और हरेक के लिये शस्त्रों का अभ्यास करना अनिवार्य था। इसलिये हमारे देश में इस प्रकार की भावना जाग्रत करनी है। सरकार के लाखों करोड़ों रुपये खर्च होते हैं स्टेन्डिग आर्मी पर। लेकिन स्टेन्डिंग आर्मी को बढाने की आवश्यकता नहीं है। स्टेन्डिंग आर्मी रखने से देश पर काफी भार पड़ता है। आज कभी पाकिस्तान की तरफ से खतरा आता है तो कभी चीन की तरफ से आता है। तो रक्षा पर ज्यादा खर्च बढाना पड़ता है। इसलिये मैं यह जरूरी समझता हूं कि फौज पर जो व्यय लादा जाय उसके बजाय स्कूलों और कॉलेजों में सैनिक शिक्षा दी जाय तो ज्यादा लाभकारी होगा।

दुःख की बात है कि स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश के विद्यार्थियों में अनुशासन अधिक होना चाहिये था लेकिन आज हम उनमें उच्छृंखलता अधिक पाते हैं। अनुशासन में रखने की ओर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिये। इसलिये में आवश्यक समझता हूं कि सब स्कूलों में शिक्षा प्रारंभ की जाय। प्राइवेट संस्थायें खर्चा नहीं कर सकतीं तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इसका भार अपने ऊपर ले। प्राइवेट संस्थायें भी जो कॉलेज चलातीं है, अच्छे अच्छे वेतन वाले प्राध्यापक रखतीं हैं तो कोई कारण नहीं है कि अच्छे सैनिक शिक्षक नहीं रख सकें। लेकिन फिर भी ज्यादा जरूरी होगा, वांछनीय होगा कि सरकार इस प्रकार का नियन्त्रण अपने हाथ में रखे। अपने लोगों को वहां पर भेजें, लेकिन भेजें जरूर। यह खाली उन शिक्षण संस्थाओं, जो सरकार के अधीन हैं, उन तक सीमित होगा तो इस संकल्प का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जिस उद्देश्य को लेकर इसे रखा गया है। जरूरत इस बात की है इसमें इस भावना से-हम हिन्दुस्तान में राजस्थान को ही पहले लें जब हम राजस्थान में आते हैं-तो देखते हैं कि इस राज्य के अन्दर हमेशा से वीरता, आत्मत्याग का आदर्श रहा है, तो राजस्थान इसमें भी अग्रसर हो। हम जिस प्रकार और दूसरे सुधारों में आगे रहे हैं, उसी प्रकार इसकी भी व्यवस्था करें। मैं समझता हूं कि यह छोटे बच्चों के लिये जरूरी नहीं हो सकता कि उनको सैनिक शिक्षा दी जाय। उनके लिए खेल-कूद व दूसरी चीजों की व्यवस्था की जाय और १५ वर्ष की आयु से लेकर १८, २०, २३ की आयु तक, जिसे सरकार उपयुक्त समझे, उसके लिए, क्या सरकारी और क्या गैर सरकार, सभी शिक्षण संस्थाओं में सैनिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाय। यह दूसरी चीज है कि यह शिक्षा किस तरह देनी है, क्या रूप हो, सैनिक परेड हो, या क्या हो ? मैं समझता हूं कि जो पाठ्य क्रम होता है, उसके अनुसार चालू किया जाय। हां, सिद्धान्त रूप से इसको स्वीकार किया जाय। मैं समझता हूं कि इस संकल्प के उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं के साथ, गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को, जो सरकार के नियंत्रण में रहती हैं, उनको भी लिया जाय। इस संकल्प में जो संशोधन प्रस्तुत किया है और जिसमें 'सभी' शब्द और जोड़ा है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

# Page No.54



**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि, फ्रांस के अन्दर जब शुरू यह किया गया,फ्रांस के अन्दर१८७१ के अन्दर सैनिक शिक्षा को चालू किया गया तो उसके बाद, २० साल के अनुभव के बाद उसको टोटली एबोलिश कर दिया गया। मैंने स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड आदि हिस्सों का भी अध्ययन किया है, वहां भी सैनिक शिक्षण चालू किया गया। उन्होंने यह पाया कि परेड ग्राउन्ड का जो डिसीप्लेन होता है, उसको जीवन के सारे अंगों में लाने से मानव का जो प्राकृतिक विकास होता है वह रुक जाता है और उन्होंने इस विकास के रुकने के कारण इसको उचित नहीं समझा। १६३२ में ब्रिटेन ने एक रिजोलूशन पास किया है :-

"No training of military character should be given to any people under the age of conscription or voluntary enlistment."

इसके बाद जब उन्होंने फ्रांस के अन्दर जांच की, वहां पर पूछा कि किस प्रकार सैनिक शिक्षण से मानव का जो प्राकृतिक विकास होता है, स्वाभाविक विकास होता है, वह रुक जाता है। उन्होंने एक बात यह कही है:-

"......so far from doing a boy' s physique any good, military drill does it positive harm. That is, aftar all, only what one would expect from the stiff jerky, stilted movements carried out in badly designed, stuffy and un-hygienic clothes - impeded by a heavy and unwieldy instrument constructed large'y of steel - which constitute an O. T. C. parade,"

उन्होंने कहा कि बख्तर पहना दिया जाता है, हाथ में शस्त्र दे दिया जाता है और ऐसी ड्रेस में सजधज कर दिया जाता है कि उस आदमी का जो रूप होता है, जिस प्रकार उसको प्राकृतिक तौर पर रहना चाहिये, उस तरह न रहकर वह दूसरे रूप में रहने लग जाता है। आज हर देश के अन्दर शांति का पैगाम ले जाना चाहते हैं। आज आइजन होवर जो एक सैनिक था, को शांति का पैगाम ले जाने वाले सन्देश वाहक के रूप में पुकारा जाता है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की संस्कृति और हिन्दुस्तान की भावना ऐसी है। हमने अपना मुल्क आजाद किया वह सैनिक शक्ति के आधार पर नहीं, अहिंसक शक्ति के आधार पर हमने आजादी हासिल की। आइजन होवर, जो बड़ा वारियर था, को आज हम शांति का पैगाम लाने वाला कहते हैं। उसको हिन्दुस्तान में आने के बाद हम शांति का दूत कहते हैं। उन्होंने बताया है कि जो परेड का डिसीप्लेन है, वह ऐसा है कि जो लड़ाई होती है, उसमें जो लड़ते है, उस युद्ध से लौटने वाले जो सैनिक होते हैं, वे जब गांव में आकर बसते हैं तो वह गांव का वातावरण दूषित कर देते हैं, उनके साथ नई खराबियां आती है गांव में। फौजी डिसीप्लेन उस समय तक उनमें रहता है जब तक वे फौज में रहते हैं। उसके बाद जब वे गांव में लौटते हैं, तो उनके साथ कुछ बुराइयां, कमजोरियां आती हैं इसलिए हम इस प्रकार के डिसीप्लेन को उचित नहीं समझते, हम यह जरूरी नहीं समझते कि हर स्कूल में शिक्षा के साथ सैनिक शिक्षा को आवश्यक कर दें। आपने उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता का उदाहरण दिया है, उसके लिए मैं निवेदन करूं कि हुमायु कबीर ने थीसिस लिखी थी, उसमें उन्होंने

( श्री मूलचन्द डागा )

बताया है कि इसका कारण यह नहीं है कि सैनिक शिक्षा के अभाव में हमारे छात्रों में अनुशासनहीनता और उच्छृंखिलता फैली हुई है। अजमेर में अभी यूथ फैस्टीवल हुआ। यह कहने में हमारी शोभा नहीं बढ़ती कि उस यूथ फेस्टीवल में ऐसी घटनायें घटीं। हमारे राज्यपाल महोदय, अभी जोधपुर में गये तो वहां के विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। ये घटनायें शोभनीय नहीं हैं। लेकिन यह अनुशासनहीनता का नमूना है, इसका कारण सैनिक शिक्षा का अभाव नहीं है, हमारे यहां सैनिक शिक्षा की कमी है। अनुशासनहीनता, डिसीप्लेन के लिए कई और चीजें हैं। इसके लिए यह समझें कि सैनिक शिक्षा से इसे मिटाया जा सकता है, यह बात ठीक नहीं है। इसके लिए यह साधन नहीं, तरीका नहीं, उपाय नहीं है कि सब जगह सैनिक शिक्षा शुरू कर दी जाय। सैनिक शिक्षा से यह बात मिट सकती है, उन्होंने इस बात को नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि इससे क्या होता है कि जब हर व्यक्ति सैनिक हो जाता है तो एक मुल्क दूसरे मुल्क के मुकाबले में ताकत बढ़ाने लगता है, एक आदमी की मनोवृत्ति, स्वाभावता : लड़ने की हो जाती है, इससे मुल्क में शांति नहीं रह सकती, अशांति पैदा होती है। सैनिक सैनिक आपस में टकराते हैं, इसलिए नहीं चाहते,Our educational sytem should be made to conform with our international aims-that it should endeavour to de co-operative rather than competitive. यही नहीं, इसके साथ ही जो फौजी टुकड़ी होती है, अखाड़ों के अन्दर मल्ल होते हैं, वहां देखें कि जो कसरत करने वाले होते हैं, वे लड़ने लग जाते हैं, खून खच्चर हो जाता है। हम यह पसन्द नहीं करते हैं, हम मनुष्य में मानवता लाना चाहते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि कम्पलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग कर दी जाय। जिन लोगों ने अनुभव किया है, वे जानते हैं कि जो सैनिक युद्ध में चले जाते हैं, उनका वहां जो जीने का तरीका होता है, वह नेचुरल नहीं रह जाता है। उनकी भावनायें मानव की भावना के रूप में न होकर दूसरी तरह की हो जाती हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में परेड डिसीप्लेन हर एक जगह कर दिया जाय। इन-डिसीप्लेन का कारण यह नहीं है। उन्होंने बताया है कि शिक्षकों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, कम सुविधायें हैं, समाज का वातावरण खराब है, ये कारण हैं, जिनके कारण अनुशासनहीनता बढ़ रही है। आज हर आदमी की आर्थिक हालत खराब होती है, एक आदमी की आर्थिक स्थिति से टीचर की तुलना की जाय तो टीचर को बहुत कम तनख्वाह पर रखा जाता है, अच्छे होस्टल की कमी रहती है, अच्छा सामान नहीं मिल पाता, फर्नीचर की कमी होती है, इस कारण अनुशासनहीनता बढ़ती है। हम उनके लिए अच्छे खेल के मैदान बनायें, फुटबाल के ग्राउन्ड बनायें, टेनिस ग्राउन्ड बनायें, उस पर ही लोग परेड सीख सकते हैं, लेकिन यह समझने लगें कि हमें सैनिक शिक्षा देनी चाहिए इससे अनुशासनहीनता मिट जायगी, तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपके प्रस्ताव का समर्थन

(१.२६ म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य,उपाध्यक्ष, पदासीन)

करने के लिए तैयार नहीं हूं। जो अनुशासनहीनता के कारण, उच्छृंखलता के कारण,

( श्री मूलचन्द डागा )

स्वच्छन्दता के कारण बतायें, उनकी जोरदार शब्दों में वकालत की है हुमायु कबीर ने। ये सारे कारण हैं, इनके अलावा भी और विशेष विद्यालय में कारण हैं जिनसे शिक्षक और छात्रों का सम्बंध रहता है। एक क्लास में ९० या १०० छात्र पढ़ रहे हैं, शिक्षक आता है और लेक्चर दे देता है, छात्र सुनें या न सुनें, वह लेक्चर दे कर चला जाता है। उसे मालूम नहीं कि छात्रों की संख्या कितनी है, होस्टल में क्या कमी है, भोजन अच्छा होना चाहिए, समीप ही खराब सिनेमा घर है, ये सब कारण हैं जिनके द्वारा अनुशासनहीनता पैदा होती है। अगर अनुशासन लाना चाहते हैं तो समाज के अन्दर भिन्नता है, विषमता है, उसका निराकरण करना चाहिए। तो अनुशासनहीनता को मिटाने के लिये सैनिक शिक्षण कम्पलसरी कर दें, यह उचित नहीं है। हमें तो यहां तक राह दी गई थी कि हमारे यहां पर जितने शस्त्र हैं उनको सरकार में जमा करा लिया जाय। हम सैनिकों के हाथ में शासन देना नहीं चाहते, हम तो सैनिकों को शान्तिदूतों में परिवर्तित कर देना चाहते हैं।

मैं आपको निवेदन करूं–राणा प्रताप हल्दी घाटी में लड़ते थे तो क्या पहले फौजी तैयारी की गई थी? क्या वहां के लोगों को फौजी ट्रेनिंग दी गई थी? पूछूं मुख्य मंत्रीजी को, क्या महाराणा प्रताप के सहायकों को फौजी ट्रेनिंग दी गई थी....

(हंसी)

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री): मैं वहां लड़ने वाला होऊंगा?

(हंसी)

**श्री मूलचन्द डागा** : फौजी तैयारी करने की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं थी। भावना, अनुशासन अपने मन पर है और मन की स्थिति को कन्ट्रोल करने के लिये सैनिक शिक्षा की जरूरत नहीं है।

इसीलिये मैं इसका विरोध करता हूँ और सदन से प्रार्थना करता हूँ कि इसको पास नहीं किया जाय।

( माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर )

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री सूबेदारसिंह।

**श्री सूबेदारसिंह** (लाड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। आज हमारे देश में परिस्थिति इस प्रकार की आ गई है कि सारे देश को इस दिशा में सोचना पड़ रहा है। हमारे देश में एक इस प्रकार के बड़े महान नेता हुए जिन्होंने अहिंसा का नारा लगाया पर हम इस बात की ओर ध्यान देते हैं कि फौजी ताकत बढ़ाने से हम अहिंसा के मार्ग से विचलित हो जाते हैं तो उस दशा में हमारी सैनिक शक्ति क्षीण होती है और इस प्रकार हम कहीं के भी नहीं रहते क्योंकि कमजोर देश पर कोई भी ताकतवर मुल्क हमला कर देता है, यह परम्परा से चला आ रहा है।

आज हमारे देश में सैनिक शिक्षा हर जगह कम्पलसरी कर दी जाय, यह चर्चा चल रही है। हर स्कूल में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय, यह आज देश की मांग है। बच्चे हर देश की बुनियाद माने जाते हैं, बच्चों को स्कूलों में सैनिक शिक्षा अनिवार्य

# Page No.57



( श्री सूबेदारसिंह )

रूप से दी जायगी तो पहला लाभ तो इससे यह होगा कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साथ ही साथ सैनिक शिक्षा से उनमें सैनिक शक्ति आयेगी, अनुशासन पैदा होगा और उनके दिलों में देश प्रेम जाग्रत होगा। सैनिक शिक्षा के माने यह नहीं है कि लड़ाई के लिये ही सैनिक शिक्षा अनिवार्य है। हम शान्ति भंग नहीं करना चाहते। हिन्दुस्तान ने सबसे पहले शान्ति का नारा लगाया है। अभी हमारे यहां अमेरिका के राष्ट्रपति आये और उन्होंने भी शान्ति का नारा लगाया पर आप यह निश्चित समझिये कि हमको फौजी शक्ति से क्षीण पाकर, हमें कमजोर पाकर कोई भी ताकतवर मुल्क हमको शान्ति का दूत समझ कर, शान्ति का पैगम्बरसमझ कर किसी भी समय हम पर कब्जा कर लेने को तैयार रहेगा। इसलिये हमें हमारी फौजी ताकत को तो सुदृढ़ रखना होगा।

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, मैं नहीं मानता कि फौजी सिपाही लड़ाई से वापिस आते हैं तो, जैसे कि फ्रान्स का उदाहरण दिया कि हमारे फौजी सिपाही वहां से कई प्रकार के रोग लेकर आये, अनुशासनहीनता लेकर आये। मैं इस चीज को नहीं मानता। अभी फ्रान्स का उदाहरण देकर बताया कि फौजी शिक्षा देना आवश्यक नहीं है। मैं अपने ही मुल्क की बात कहता हूँ; राम और लक्ष्मण पैदा हुए, राम को शिक्षा के लिये जंगल में भेजा और विश्वामित्र ने उन्हें योग्य योद्धा बना कर भेजा। यही नहीं महाभारत में यह वर्णन आता है कि अर्जुन ने अभिमन्यु को गर्भ में ही सैनिक शिक्षा दे दी थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आज हम फ्रान्स की तरफ, विदेशों की तरफ कैसे ताकते हैं। हमको आजादी मिली है, हम अपनी आजादी को तभी कायम रख सकते हैं जब कि हम सैनिक शक्ति, संगठन और अनुशासन को कायम रखेंगे। इन तीनों चीजों को कायम रखेंगे तभी हम अपनी आजादी को कायम रख सकते हैं, वर्ना चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति आये, चाहे इंग्लैंड का आये हमें कोई बख्शने वाला नहीं है। हम यदि कमजोर रहेंगे तो हम पर आकर कब्जा कर लेंगे।

तो मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि स्कूलों में फौजी शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय। सरकारी स्कूलों में तो अनिवार्य हो ही पर प्राइवेट स्कूलों में भी फौजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाय, प्राइवेट स्कूलों में भी सरकार को अनिवार्य फौजी शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिये और अपनी ओर से सैनिक शिक्षण देने के लिये शिक्षक भेजना चाहिये।

मैं यह नहीं मानता कि अच्छी वर्दी या बन्दूकें सबको दी जाय। आज तो नकली बन्दूकें बना कर देते हैं, उनसे उनको आधुनिक शस्त्रों के प्रयोग की शिक्षा दें। आज हर व्यक्ति का कर्तव्य हो जाना चाहिये कि आधुनिक शस्त्रों के इस्तेमाल के तरीके को जाने। मैं यही कह कर इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

( अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर )

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री भोगजी भाई।

**श्री भोगजीभाई** (बांसवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, अनिवार्य सैनिक शिक्षा देने का जो संकल्प माननीय सदस्य ने रखा है, उसका

(श्री मोगजी भाई)

समर्थन करते हुए मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। सैनिक शिक्षा दी जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है, उस पर सदन में विचार हो रहा है। सैनिक शिक्षा में यह नहीं होगा कि बन्दूक चलाना, तोप चलाना और जो परम्परा से हथियार चले आ रहे हैं उनको चलाने की शिक्षा दी जाय। सैनिक शि ा देने का मतलब यह है कि देश और समाज के हित में जिस प्रकार की शिक्षा आवश्यक है वह सब प्रकार की शिक्षा दी जाय। उस प्रकार की शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था कर दी जाय ताकि हमारे नागरिकों में, हमारी समाज में यह भावना बनी रहे कि हम किसी भी समय अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं। हर आदमी में इस प्रकार की भावना पैदा करने का यह संकल्प है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो सैनिक शिक्षा, जिस प्रकार की राज्य की व्यवस्था है वह इतनी कमजोर है, यह नहीं कह सकते पर हमारे देश में, हमारे समाज में आज इस प्रकार की अपने पैरों पर खड़े होने की भावना नहीं है। आज इस प्रकार की भावना पैदा नहीं हो सकती। देश के प्रति और समाज के प्रति इस प्रकार की भावना इस प्रकार के अनिवार्य सैनिक शिक्षण से पैदा की जाय ताकि किसी भी समय हमारे देश पर, हमारे समाज पर इस प्रकार की कोई भी आपत्ति आये तो हम अपने पैरों पर खड़े होकर देश के हित में लड़ सकें। हथियारों के बारे में नहीं कह सकता पर एक माननीय सदस्य ने कहा कि हल्दी घाटी में मुगल बादशाह के साथ महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, वहां फौजी शिक्षा देकर लड़ाई की तैयारी की गई हो, ऐसी बात नहीं। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। हमारे देश का पिछला इतिहास पढ़ते हैं तो जो विदेशियों ने हमारे देश पर हमला किया, या मुगल बादशाहों ने हिन्दुस्तान के धर्मध्वजों को हरा दिया था, जिस समय महाराणा प्रताप के साथ आकर, मुख्य कर पहाड़ों के रहने वालों ने, आदिवासियों और भीलों, मीणों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था और हिन्दू धर्म को कायम रखा था तो यह नहीं कि जो हथियार उनके पास थे, उन्हीं से मुकाबला किया था पर यह बात थी कि जिस तरह की जैसी परिस्थिति उस वक्त देश की थी, जिस तरह की जिस समय लड़ाई होती थी उसी तरह से उन्हें लड़ना पड़ता था। आदिवासियों ने पहाड़ों में छुप कर लड़ाई में भाग लिया, महाराणा प्रताप का साथ दिया और वीरता दिखा कर अपना फर्ज अदा किया। तो शिक्षण के बारे में आज भी हमारे देश के विभिन्न भागों में आदिवासी पिछड़े हुए हैं। हरिजन, मजदूर जन्म से, पैदायश से जो शिक्षा का आधार बन जाता है, एक भावना बनी रहती है कि किसी समय खुद अपनी जान पर किसी प्रकार की आपत्ति आ जावे तो लड़ने के लिये तैयार हो जावें। आज भी आदिवासियों में एक पैदायश से, जो शुरू से एक हथियार उनका मुख्य है तीर, उसको चलाना जानते हैं। करीब आठ या १० वर्ष का बच्चा भी है वह भी इस छोटे से हथियार का प्रयोग करना जानता है और बड़ा होने पर भी इस हथियार के साथ लड़ सकता है। यह एक ऐसा ही हथियार है जहां बन्दूक मुकाबला नहीं करती वहां पर वे तीर कमान से लड़ते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपकी मंशा यह है कि इसको कायम रखा जाना चाहिये।

**श्री मोगजी भाई** : यह नहीं कहा जा सकता कि इसको कायम रखा जावे....

**श्री उपाध्यक्ष** : आपकी यह मान्यता है कि स्कूलों में तीर कमान को कायम रखना चाहिये।

**श्री मोगजीभाई** : मेरी तो यह मान्यता है कि इसको कोई मिटा नहीं सकता। सबसे पहले वही वीरता का हथियार है। बम गोले या एटम बम है आज वह सभ्यता का हथियार है। बुद्धिवादी लोग कॉलेजों में इस प्रकार शिक्षा को रखते हैं लेकिन जब मरने का समय आता है तो मैं यह कहूँगा कि एक छोटा सा आदमी और छोटा सा हथियार भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। लेकिन इसमें यह जरूरी है कि इस प्रकार की शिक्षा हर एक समाज में बच्चे बच्चे को देनी चाहिये और हर एक जवान और बच्चे २ में यह भावना पैदा हो कि हम देश के लिये लड़ सकें, यह भावना उत्पन्न हो कि देश हमारा है और देश में अगर किसी प्रकार की आपत्ति आ जावे तो अपने हथियार से मुकाबला कर सके। कभी डकैती और कभी चोरी की बात हमारे सामने आती है। यह नहीं कह सकते कि दूसरे हमारे पर हमला करते हैं इसलिये नेतावृत्ति पैदा करें। यह संकल्प हमारे नागरिकों में भावना बनी रहने के लिये ठीक है और इसको मानना चाहिये और हर एक व्यक्ति को सैनिक शिक्षा देनी चाहिये।

**श्री मोहरसिंह ( चुरू )** : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने संकल्प इस किस्म का है और वह हमारे माननीय साथी श्री मुरलीधर व्यास की तरफ से रखा गया है कि शिक्षण संस्थाओं में फौजी शिक्षण की व्यवस्था हो। माननीय उपाध्यक्ष, वास्तव में संकल्प शुभ है, सही है, ठीक है, और उचित है। इसमें किसी प्रकार, किसी भी साथी या सज्जन की मेरे ख्याल से दो राय नहीं हो सकती। जहां तक इसका सम्बन्ध है कि फौजी शिक्षा नहीं होनी चाहिये, देश को हमें मजबूत बनाना है, भारत के बच्चे, जवान और बुजुर्ग को इस तरह से तैयार रहना चाहिये कि किसी भी मुकाबले का किसी भी क्षण मुकाबला करने के लिये तैयार रह सके। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जब हम इस संकल्प पर विचार करते हैं तो हमें विचार करते समय बहुत सारी बातों पर विचार करना पड़ता है। इस वक्त जबकि भारत की सीमा पर चीन और साम्यवादी चल रहे हैं इस संकल्प को बहुत ही ढंग से विचार करना चाहिये। जहां तक इस संकल्प का दायरा है उस दायरे से इस चीज को आगे ले जाकर जहां चीन के लिये और भारत सीमा विवाद का प्रश्न है, पर जोर देते हैं वहां पर इसका विस्तार करना अपनी बुद्धि के कन्ट्रोल के बाहर हो जाता है। माननीय उपाध्यक्ष, संकल्प प्रस्तुतकर्ता महोदय की तरफ से एक बात कही गई। मैं समझता हूँ कि वे जहां तक यह संकल्प है वह उसके बाहर की चीज थी और मुझे भी, मेरी मान्यता यह है कि उसका उत्तर न दूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : मेरी भी यही मान्यता है कि जो दायरे के बाहर की बात है उसका उत्तर आप न दें।

**श्री मोहरसिंह** : श्रीमान्‌जी उस समय चेयर पर नहीं थे इसलिये वादविवाद से जानकारी नहीं है।

# Page No.60



श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह मानते हैं कि माननीय सदस्य की बातें दायरे के बाहर थीं तो उन बातों का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जावे।

श्री मोहरसिंह : जो बातें दायरे के अन्दर समझता हूँ उतना तो मैं कह सकता हूँ। इस प्रसंग में एक प्रश्न आया और वह एक ऐसे पार्टी के सदस्य से सम्बन्धित है जिसका प्रतिनिनिधित्व करने वाला कोई भी सदस्य यहां आज उपस्थित नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): आप तो हैं।

श्री मोहरसिंह : जी हां। मैं हूँ। माननीय उपाध्यक्ष, कहा गया है अपने विचार प्रस्तुत करते समय कि नेफा में कम्युनिस्टों ने इस प्रकार की बातें जाकर कीं जैसी बातें कि वे अखबारों के ही आधार पर हम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अखबारों के ही आधार पर हम कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अखबारों में यह विवाद है उसको हमें यहां ज्यादा रखना उचित नहीं है इस अवस्था में जब पंडित नेहरू वास्तव में बहुत बुद्धिमानी से अपने ढंग से इस प्रश्न को टैकल कर रहे हैं, इसलिये हमें इस मसले को यहां पर ज्यादा नहीं घसीटना चाहिये। मैं समझता हूँ कि कुछ इस प्रकार के शब्द भी निकल सकते हैं जो नहीं निकलने चाहिये जिससे कोई यह कह दे कि उनका माननीय सदस्य का सहयोग हो सकता है। हमको ऐसे शब्द कम से कम प्रयोग में लाने चाहिये। यह इसलिये कि इस विवाद को यहां पर ज्यादा नहीं लाया जावे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि वास्तव में अखबार की चीज से अन्दाजा लगाते हैं। मैं कुछ समय से हिन्दुस्तान टाइम्स को पढ़ रहा हूँ। उसमें, मैं पंडित नेहरू के चित्र उसमें देखता हूँ। उसमें इस प्रकार के चित्र रहते हैं, ऐसे चित्र छप जाते हैं जिससे उनका भावावेश जाहिर होता है। मैं समझता हूँ कि कोई इस प्रकार की चीज भी हो जिस तरह हम यह कह सकते हैं कि बाहर के लोग आक्रमण कर रहे हैं। साथ साथ हमारी यह भी आवाज है कि वास्तव में देशभक्ति का जिनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं शायद वे देशभक्त न हों। जब इसका पार्लियामेंट में खुलासा होता है तो बहुत अच्छे ढग से हमारे प्रधान मन्त्री पंडित नेहरू इस मामले को टैकल कर रहे हैं। इस वक्त ज्यादा जोश की जरूरत नहीं और जरूरत से ज्यादा जोश में हम बढ़ कर इस प्रकार से रखें तो मैं कहूँगा कि यह उचित नहीं होगा। इसमें दो राये नहीं हो सकती। कई लोग समझते हैं कि हिन्दुस्तान के बाहर भी कम्युनिस्टों से टक्कर ले रहे हैं। जिनकी राय है कि किसी प्रकार से भी साम्यवाद का प्रचार न हो सके। हो सकता है यह तो अपनी अपनी राय है। लेकिन जो तरीका बरता जा रहा है वह उचित नहीं है। वास्तव में इस प्रकार की जो भावनाएं अखबारों में इस वक्त भड़काई जा रही है वे शांति देने वाले भारत को शोभा देने वाली नहीं कही जा सकती हैं।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में आज जिन लोगों के लिए देश भक्ति का नारा दिया जाता है, देश के अन्दर किसानों और मजदूरों की भारी संख्या है, फौजी आगे कर जबज लड़ता है तो माजदूर उनको मदद करता है और सामान पहुँचाता है। लेकिन

( श्री मोहरसिंह )

आज उन्हीं किसानों और मजदूरों का शोषण करने वाले दो पर्सेन्ट कैपिटलिस्ट को देश–

(घन्टी)

भक्ति का सर्टिफिकेट दिया जाता है। गन्ना बहुत सस्ती कीमत में लेकर जो शक्कर देश को मंहगे भाव में देते है उनको देश भक्ति का लेबल दिया जाता....

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर, ऑर्डर ! प्रश्न पर आइये।

**श्री मोहरसिंह** : वास्तव में इस प्रकार के लोगों में पूर्ण रूप से देशभक्ति पाई नहीं जा सकती । इसलिए हिन्दुस्तान के हर बच्चे के लिए, बल्कि, नौजवान और वृद्ध के लिए यह जरूरी है कि वह हर समय सचेत रहे, छाती अड़ा कर देश की रक्षा के लिए तैयार रहे और उनको देश की रक्षा के लिए तैयार रखना भी जरूरी है इसमें किसी की दो राय हो भी नहीं सकती। मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि हिन्दुस्तान के जो कैपिटलिस्ट हैं वे इस नारे का आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से एक्सप्लाइटेशन करना चाहते हैं, चीन और हिन्दुस्तान के सीमा विवाद के प्रश्न को एक्सप्लाइट करना चाहते हैं। उनको इस रूप में जवाब देना चाहिये कि आज सदन में इस प्रकार का संकल्प आया तो कल इसी सदन में इस प्रकार का संकल्प भी आये कि जो कैपिटलिस्ट आज शोषण कर रहे है, उनको भी रोका जाय, उनकी

(घन्टी)

जमीन का भी, धन का भी सीलिंग हो जाय.......

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर ! आर्डर प्लीज !! माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा कि वे संकल्प की सीमाओं में ही अपना प्रवचन करें।

**श्री मोहरसिंह** : वास्तव में इस प्रकार का आज संकल्प आया है या यह सही है, ठीक हैं। मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ कि देश के ऊपर कभी किसी भी वक्त किसी भी तरह से आक्रमण हो तो उसका मुकाबला करना चाहिये, मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिये और उसके लिए यह जरूरी है कि फौजी शिक्षण हो. आक्रमण किसी दूसरे पर करने के लिए नहीं, किन्तु अपनी दूसरों के आक्रमण से रक्षा करने के लिए। हमारा यह मुद्दा है कि हम दूसरों को न सताये लेकिन दूसरा भी कोई हमको न सताये इसको हम बहुत पहले से ही मानते आ रहे हैं। यदि हम पर कोई किसी तरह से आक्रमण करे और इस प्रकार की नीयत रखे तो उसके मुकाबले के लिए हम हर प्रकार से हर समय फौजी ताकत से भी तैयार रहें....

(घन्टी)

क्या टाइम हो गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय खत्म हुआ नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए इस मुद्दे पर प्रकाश डालते समय मुझे वे दिन भी याद आते हैं कि वास्तव में यह ऐतिहासिक है, इसमें कितना तथ्य सही है हालांकि यह विवाद की चीज़ हो सकती है क्योंकि लोगों के सामने यह बात आयी नहीं है इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका

( श्री मोहरसिंह )

स्पष्टीकरण कर देता हूँ। हर्षवर्धन से लेकर औरंगजेब के समय तक फौजी दृष्टि से भारतीय इतिहास के कुछ पन्ने, एक किसी विश्वस्त साथी ने आकर मुझे कहा छ: सात वर्ष पहले मेरठ जिले में मिले। आम जनता में इस तरह की चीज़ थी कि उनको हर तरह से फौजी के रूप में ट्रेन्ड रखा जाता था। मेरे ख्याल से हर्षवर्धन से लेकर औरंगजेब तक सामाजिक और राजनैतिक संगठन थे, सर्वमुखी पंचायतें होती थीं उसमें जिक्र आता है कि केवल लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी, ४०, ४० हजार की संख्या में लड़कियां, देश की रक्षा के लिए तैयार रहती थीं, उनमें से कमान्डर भी होती थीं। इसलिए हमारे देश को हर घड़ी, हर समय देश की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिये इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। यह जरूरी चीज़ है। हर तरह वैल ट्रेन्ड रहे, हर तरह से जीवित रहने के लिए और जीवित रहने के लिए ही नहीं, बल्कि जीवित रह कर विकास करने के लिए यह जरूरी है और मेरे साथी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ कि शिक्षण संस्थाओं में फौजी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये लेकिन शर्त यह है कि इस सीमा तक ही। अगर दूसरे मसलों के साथ इसको जोड़ते हैं तो सीमा से बाहर हो जाते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : Shri B. N. Joshi will please conclude his speech at 2. 05. I am relaxing these 5 minutes only. And earlier the better.

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** (चांदी कुई) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the amendment that has been moved to the resolution. It is my considered opinion that in our country the importance of physical fitness, and specially in case of youth of the country, is usualy overlooked. It is needless to say that physical, intellectual as well as the moral development of an individual are all inter-related and if we want......

**श्री गोकुलचन्द जाटव** (लक्ष्मणगढ़): प्रस्ताव तो हिन्दी में है।

**श्री बी. एन. जोशी** : It is permissible under the Rules to speak in English.

**श्री उपाध्यक्ष** : We will not enter into that issue. Yes will continue please.

**श्री बी. एन. जोशी** : I was submitting, Sir, that the physical, intellectual and moral development of a person are inter-related. and if we want our young men to progress mentally and spiritualy, we should also lay emphasis on their physical training and physical fitness. It is this lack of proper emphasis on the physical fitness of the youth which is the cause of the lack of physical fitness among the citizens of this country as a rule. We find that after completing their student career, a large percentage of the resident of this country develop flabby bodies. appendices and a tendency towards corpulency, and after reaching the age of 40 or 45, they become, in most of the cases, unfit to discharge the duties of citizenship in various ways.

( श्री वी० एन० जोशी )

Youth is the most impressionable period of life and those habits of living and conduct which are inculcated among our young men during this period are likely to continue during the rest of their life. If, therefore, the habit of taking some regular physical exercise-be it in the form of games or military training, drill or parade is inculcated in them during this impressionable period of life, then it is likely to continue for rest of their life and that will also ensure very sound bodies for every citizen of our country. At this moment I am reminded of a Latin adage, "Meno sana in corpor sana" a sound mind can reside only in a sound body and that physical fitness is a condition precedent to intellectual and moral development of a citizen under any circumstances in any society.

Moreover, Sir, we will see that in other countries of the world, countries which are regarded as very progressive and advanced countries of the modern world, physical training and physical fitness are given atleast as much importance as intellectual fitness. Student, who is able to distinguish himself in games is placed on the same footing as another student who is able to secure a first class in the University or who happens to have a very distinguished academic career. It is often said that the battle of Waterloo had been won on the play grounds of Eton. The implication is that those qualities of head and heart which made it possible for the Duke of Wellington to win the battle against Napoleon had been inculcated in him during the days of his school life, his student life, when he had imbibed the spirit of discipline, the spirit of team-work and the spirit of leadership through the various games and exercises which he used to take during the student-ship of that institution.

My submission is that, unfortunately, the major problem of educational institutions in our country today is that inspite of repeated circulars being issued about compulsory games. it is not possible to provide opportunities for physical exercise to our young men who are studying because of the lack of, or deplorable dearth of playgrounds. Most of our educational institutions are invariably situated in cities and towns and because of over-crowding there is scarcity of play-grounds. The best of our educational institutions, it may be Maharaja's Cellege, Jaipur or Jodhpur College, they have hardly two or three play-grounds. One playground can provide opportunities for physical training to about 22 players in one day, whereas in the same space military training can be imparted to 500 young men. Therefore, it is imperative that we should make the best use of the resources and facilities that are available to us. We find that atleast 80 to 90 percent of our educational institutions are without adequate faci-

( श्री वी० एन० जोशी )

lities for playgrounds; and when it is not possible, because of dearth of playgrounds and other facilities, to give our young men the opportunities for regular games, then I think that as an alternative if we impart military training to them, which besides having other advantages will also ensure a fit body, then I think we would be doing a right thing.

(२ म. प.)

Secondly, I have to submit that doing we know the problem of student indiscipline has unfortunately been assuming grave proportion of late in our country. Only a few days ago we have been reading in the newspapers that Allahabad University had to be closed. Luchnow University is also about to be closed. A few months back, Benaras University had to be closed, and in our own State we witnessed the painful demonstration of students in connection with the anti-fees movement. All these things point towards one thing, that something is definitely wrong with our students. I think if we make a scientific analysis of the problem, we shall have to reach the conclusion that in scientific terms it is nothing other than the surplus energy of youth which does not find an adequate, proper and suitable channel for its outlet. Students who are in the prime of their life, who get enough to eat, and who lead a very carefree life, they have a surplus of physical energy that must find an outlet. If opportunities for regular games are provided to them, they will have a constructive and creative outlet, but in view of the scarcity of play grounds in our institutions, these opportunities are denied to them in over populated cities and towns. There is no other outlet for their surplus energy, and the result is that their pent-up energy is not able to express itself in constructive outlet and it finds an expression in the form of demonstrations and other forms of student indiscipline which lead to 'Hartals' strikes or clashes against the authorities. If we have to avoid this, we must find outlet for the surplus energy of the youth of the country in the form of military training which will also curb the growing menace of student indiscipline.

**श्री उपाध्यक्ष** : So you are supporting the resolution ?

**श्री वी० एन० जोशी** : I have to say something more.

**श्री उपाध्यक्ष** : You will kindly conclude it.

**श्री वी० एन० जोशी** : But, Sir, you permitted me to speak upto 2.05 and you have the discretion to extend the time also.

**श्री उपाध्यक्ष** : I have no discretion to permit now. I have exercised the discretion beyond the limits authorised by the House.

**श्री वी० एन० जोशी** : Moreover I have to submit that even if we don't realise the necessity of military training otherwise, today in the situation in which we are placed, when our enemy is standing at the wall of our country, and our integrity is threatened, then there is a pressing necessity of military training in our country. I would submit that military training does not mean aggression. It does not mean that we abandon our policy of non-alignment. We shall always remain firm on that policy. We shall always remain on the creed of truth and non-violence. But that does not mean that we should be un-prepared. Preparedness is first requisite for peace. As a great General once remarked, "If you want peace, be ready for war". So preparedness is the first requisite for peace, and un-preparedness is an invitation to aggression. We, in Rajasthan, who happen to occupy the position of guardians of India's frontiers, we must always be ready to meet any emergency and discharge our duties of citizenship. Military training to students will provide a second line of defence to the country. It will instil the confidence in the country and it will also inculcate in our young men all the necessary virtues of discipline. After imparting necessary military training to our young men, the country will feel self-reliant, it would be ready for any emergency or eventuality, which God forbid, may come. We are living today in a world torn in strife and wars. We had two world wars during the last 25 years, and the clouds of war are still gathering on the international horizon; and in view of the present invasion on our frontiers, we cannot afford to be self-complacent. So I say that if we pass this harmless resolution, we will be acting very wisely and far-sightedly. I, therefore, commend it for adoption by the House.

**श्री पाध्यक्ष** : Thank you. Hon'ble Minister will now make a reply.

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** ( मुख्य-मन्त्री ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उस पर अलग अलग भाषण सुनने के बाद भी मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि जिन्होंने इस संकल्प का समर्थन किया है उनके कहने का क्या उद्देश्य है ? सैनिक शिक्षा स्कूलों और कॉलेजों के अन्दर अनिवार्य करदी जाय इस प्रकार कर देने से उनका तात्पर्य क्या है । एन०सी०सी० की ट्रेनिंग या फिजीकल ट्रेनिंग या जो सरप्लस एनर्जी है उसके लिये और एक्टीविटीज कायम करें, यह एक प्रश्न है । लेकिन सैनिक शिक्षा खुद में एक मतलब रखती है और मैं समझता हूँ यह कहना कि सभी जगह स्कूलों और कॉलेजों के अन्दर सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दें तो शायद यह शिक्षा की दृष्टि से और अन्य दृष्टियों से भी, कभी उचित नहीं कहा जा सकता । एन०सी०सी० की ट्रेनिंग के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों में

Page No.66



( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

अनुशासन की भावना पैदा की जाय ताकि विद्यार्थियों में हाथ से काम करने की ओर रुचि पैदा हो, उनमें समाज सेवा का आदर्श पैदा हो और वे अपने चरित्र का ठीक प्रकार से निर्माण कर सकें। लेकिन सैनिक काम के लिये एन०सी०सी० की ट्रेनिंग दी जा रही हो या यह सारी सैनिक ट्रेनिंग हो और इसी को आगे चलायें तो यह सैनिक शिक्षा की भावना से मेल नहीं खाती। आज इस प्रश्न पर भी जैसा कि माननीय सदस्यों को पता होगा अभी अभी कुछ महीनों पहले ऑल इन्डिया एज्युकेशनल एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसके अन्दर यह प्रश्न सामने आया था कि किस प्रकार छात्रों में अनुशासन की भावना बढ़े और साथ साथ इन कामों को ऐसा डिसीप्लिन्ड करें उसका क्या रूप हो। वालन्टीयरी हो या उसके अन्दर कम्पलशन हो। कम्पलशन हो तो किस स्टेज पर हो। ट्रेनिंग दी जाये तो किसके द्वारा दी जावे और इसके साथ वह ट्रेनिंग कितने अर्से की हो। क्योंकि जो आज दूसरी ट्रेनिंग एन०सी०सी० की दी जाती है कुछ समय के लिये देते हैं। साल में उसके दो कैम्प होते हैं।

तो इन सारी चीजों के, जो यहां कही गई, अगर मैं समझ पाया हूँ तो, उनके पीछे यह भावना रही है कि चीन से जो खतरा पैदा हो गया है आज देश को, उसके मुकाबले के लिये उस लायक ट्रेनिंग हमें मिल जावे या और कोई प्रश्न हल हो जावे तो मैं समझता हूँ अगर यह भावना है और इस से प्रेरित होकर हम स्कूलों, कॉलेजों में इस ट्रेनिंग को इन्ट्रोड्यूस करने गये और वहां दुश्मनों के मुकाबले की ट्रेनिंग देनी शुरू हुई तो वे वार कैम्प बन जावेंगे और फिर एक बात स्पष्ट है कि ऐसी ट्रेनिंग दी भी नहीं जा सकती उस पैमाने पर।

दूसरे चर्चा में एक सवाल उठा कि लोगों में भय की भावना है डाकू का नाम लेते डर जाते हैं, कोई और चीज के नाम से डरते हैं तो असल भावना इस प्रस्ताव की यह है कि इस शिक्षा से लोगों में से वह डर निकल जाय और हिम्मत पैदा होने की बात जहां आती है वहां चाहे सेना का सवाल हो या डर भगाने का सवाल हो सबसे आवश्यक बात जो सब जगह जरूरी यह है कि लोगों में अनुशासन आए और अपने पर भरोसा हो, हिम्मती हों। जहां यह चीज पैदा हो जाती है वहां बहुत कुछ किया जा सकता है। और जहां कायरता होनी है वहां शस्त्र पास में होते हुए भी कायर आदमी नुकसान उठा सकता है बजाय उस शस्त्र से लाभ उठाने के। तो आज चीन के लिये बहुत जोर शोर से कहा गया कि हमारी सीमा पर वह खड़ा है और क्या होने वाला है और क्या नहीं, तो ठीक है। हमें इस ओर भी सतर्क होना है, उस मामले में जब किसी चीज की आवश्यकता है तो वह देश के अन्दर पैदा करनी है। पर इसके साथ साथ मैं निवेदन कर दूँ कि महाराणा प्रताप के जमाने से लेकर अब तक चले आ रहे तीर-कमान या बन्दूक या रायफल या पहले के हथियारों, तोपों के भरोसे हम यह समझें कि इससे कोई बहुत बड़ी ताकत हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि मूल में समझने में हमने गलती की है। आपका मूल सवाल तो यह है कि आप इन्डस्ट्रियली या टैक्नीकल डवेलपमेंट के ख्याल से आपका देश कितना

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

सम्पन्न है यह बात मूल में जुड़ी हुई है। अब युद्ध पुराने युद्ध नहीं रहे जिस समय कि सिर्फ युद्धों से ही सब बातों का फैसला हो जाता था। मैं समझता हूं कि जानने वाले जानते हैं कि फौजें चढ़ाकर हम दूसरी जगह जावें आज ऐसी बात नहीं है। आज तो जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। तो जब सैनिक दृष्टि से बात करते हैं तो शायद मिलिटरी स्ट्रेटेजी से कोई दूसरी बात जरूरी हो सकती है जिसके लिये कितना समावेश इसमें होता है या नहीं वह सोचने का प्रश्न पैदा हो जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रस्ताव की भावना की बात कही गई अगर वह एन०सी०सी० को बढ़ाने के बारे में है जैसा कि कहा गया, तो मैं समझ सकता हूँ इस बात को। इसके द्वारा बहुत सी बातों की पूर्ति होती है। देश की सुरक्षा एवं और ख्याल से भी वह ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें।

पर सबके पीछे असली सवाल यह आकर पड़ता है कि हम इसके लिये कितनी आर्थिक व्यवस्था कर सकते हैं, कितने हमारे पास में ट्रेनिंग देने वाले आदमी मौजूद हैं। इस बात को इन दोनों सवालों के साथ जोड़ना पड़ेगा। सारे हिन्दुस्तान के लेवल पर इस पर विचार भी हो रहा है कि हम इसे मिलिटरी ट्रेनिंग का नाम दें या फिर वालन्टरी सर्विस के तौर पर भी नाम दे रहे हैं। तो यह आल इण्डिया बेसिस की स्कीम पर कन्सीडर हो रही है। इसमें भी करोड़ों की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि एक नौजवान को इसकी इन्टेन्सिव ट्रेनिंग के लिये ८-९ महीने की जरूरत पड़ जाती है।

अब रहा सवाल यह कि जैसे कहा गया हम अभी ट्रेनिंग देते हैं और इसके बाद जैसे बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उनकी प्रेक्टिस कैसे जारी रह सकती है। मैं उनकी बात पूरी तरह समझ तो नहीं पाया। पर उन्होंने कुछ ऐसे ही भाव व्यक्त किये कि जब स्कूल कॉलेज छोड़कर जाते हैं तो वह आदत उनकी चली जाती है इसको वे इस स्कूलों की ट्रेनिंग से कहां जोड़ना चाहते हैं इसका अन्दाज पूरा नहीं हुआ। आपका शायद तात्पर्य यह है......

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** (बांदीकुई) : If the habit is once inculated it continues for the rest of the life-

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : तो आपका यह कहना है कि एक बार ट्रेनिंग हो जाने के बाद चालू रहे। आपका जोर फिजिकल ट्रेनिंग पर था। खेल के मैदानों में बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे मैं सहमत हूँ और जैसा कि फिजिकल ट्रेनिंग वाली बात कही, इसके लिये पूरा प्रयत्न करने वाले हैं। हम नेशनल डिसिप्लिन सर्विस के लिये स्टार्ट करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा खेलकूद और फिजिकल ट्रेनिंग की सुविधाएं दिये जाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

पर इसके साथ साथ जो प्रस्ताव विचाराधीन है उसमें मांग दूसरी की गई है। फिजिकल ट्रेनिंग या खेलकूद के बारे में व्यवस्था की मांग होती तो स्पष्ट रूप से इसके बारे में मतभेद पैदा होने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

इसी प्रकार यहां पर अभी माननीय सदस्य उपस्थित हैं नहीं, उन्होंने कहा कि

Page No.68



( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

सिवाय गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजों के हम प्राइवेट इन्स्टिट्यूशन्स के अन्दर अपनी एन०सी०सी० और ए०सी०सी० की ट्रेनिंग शुरू नहीं करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य उपस्थित हैं नहीं यहां, पर एक माननीय सदस्य ने और भी कहा तो उनकी जानकारी के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक कम समय में मैं जानकारी प्राप्त कर सकता था, मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है और उस जानकारी के आधार पर इतना तो अभी कह ही सकता हूँ कि सीनियर एन०सी०सी० की डिविजन इस वक्त पारीक कॉलेज में है, नवलगढ़ के पोद्दार कॉलेज में है, अग्रवाल कॉलेज, जयपुर में है, अजमेर के डी.ए.वी. कॉलेज में है, बीकानेर के अन्दर बी. जे. एस. आर. और जैन कॉलेज में है, बिड़ला कालेज पिलानी में है वहां इन्जीनियर यूनिट भी है। गर्ल्स कॉलेजों में भी सावित्री गर्ल्स कॉलेज अजमेर में है, एम.जी.डी. स्कूल जयपुर में है इसमें जूनियर यूनिट भी है, महिला विद्यालय में है। तो यह किसी को बार बार करने का प्रश्न नहीं है।

सरकारी स्कूलों में ही है ऐसी बात नहीं है। दूसरी जगहों पर भी इनको शुरू किया गया है और फिर सभी सरकारी संस्थाओं में भी नहीं है और सभी गैर सरकारी संस्थाओं में नहीं है ऐसी बात भी नहीं है। इसका कारण मैंने जैसे पहले बताया आर्थिक है। इसमें आर्थिक साधनों के अलावा ट्रेन्ड पर्सनल की भी आवश्यकता होती है यह भी एक दूसरा कारण है।

अब इस समय भी हमने जो राजस्थान के अन्दर व्यवस्था की है उसके मुताबिक सीनियर और जूनियर एन.सी.सी. की तादाद ११,८२८ की होगी लड़कों की। लड़कियों की २३६० के करीब राजस्थान में होगी। इस साल के अन्त तक। और जूनियर ए.सी.सी. की ट्रेनिंग में १ लाख २ हजार बच्चे-बच्चियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। इससे अन्दाज हो सकता है कि जहां तक बन पड़ा है पिछले वर्ष में ज्यादा से ज्यादा एन.सी.सी. और ए.सी.सी. की संख्या बढ़ाने की कोशिश हुई है और आगे भी जितना हो सकता है, बढ़ाने की कोशिश में हैं।

दो जगह हमने एयर विंग भी शुरू की हैं जयपुर और जोधपुर में नेवैल ट्रेनिंग भी उदयपुर और कोटा में। शुरू की है। इन्जीनियर पॉइन्ट ऑफ व्यु से भी पिलानी और जोधपुर में इन्जीनियर यूनिट भी हैं, मेडिकल यूनिट भी जयपुर मेडिकल कॉलेज के साथ एटैच है। इसी प्रकार आर्टिलरी के बारे में भी शायद एक यूनिट काम करती है। तो नेवी, एयरफोर्स आदि आर्मी के ट्रेनिंग के काफी पार्ट्स की ट्रेनिंग हमने शुरू की है और भी ट्रेनिंग के पार्ट हो सकते हैं। अलग अलग ट्रेनिंग देने की कोशिशें हम कर रहे हैं और राजस्थान में जिस तरह से पिछले दिनों बातचीत हुई है भारत सरकार से उनकी तरफ से जल्दी से जल्दी ऑफिसर्स ट्रेनिंग भी साथ में शुरू करने के लिये यहां पर कुछ स्थानों को चुना गया है।

शुरू में जयपुर, जोधपुर में ऑफिसर्स को ट्रेनिंग मिल सके इसके लिये भी सुविधा कर रहे हैं जिससे इसको ज्यादा बढ़ाया जा सके और फिर हमारे नौजवान आगे मिलिट्री

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

कैरीयर लेना चाहें, ले सकेंगे। अगर वे यह चाहें तो अच्छी बात है। जाना चाहिये। देश के लिये आवश्यकता है। उनको तैयार करने के लिये आवश्यक कार्यवाहियां की जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ एन.सी.सी. और ए.सी.सी. में वृद्धि करने के लिये किया जा रहा है मैंने संक्षेप में आपको बताया है और प्रयत्न किया जा रहा है कि इसे तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में जैसा कहा, इन्स्ट्रक्टर को ट्रेंड करने के बारे में कोशिश हो रही है।

इन सब बातों को देखते हुए और इन्हें लाइट में रखते हुए इस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि इससे कई प्रकार की भ्रान्तियां होने का खतरा रहता है। जो एन.सी.सी. का और ए.सी.सी. का ख्याल था वह पहले से हम करते आ रहे हैं। आपने कम्पलसरिली करने का कहा। पर आर्थिक दृष्टि से नहीं कर सकते, पर्सनल की दृष्टि से भी नहीं कर सकते इसलिये व्यवहारिक दृष्टि से सदन के इस प्रस्ताव को कैरी आउट करना मुश्किल हो जावेगा सरकार के लिये।

इन शब्दों के साथ आशा करता हूँ कि जो प्रस्तावक महोदय ने अपना प्रस्ताव रखा है वे इसे वापिस ले लेंगे और जिन्होंने संशोधन पेश किये हैं वे भी वापिस ले लेंगे।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी ): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपनी तरफ से एन.सी.सी. में नई भर्ती के लिए बात की है उसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है तो जैसा कि मैं समझता हूँ एक लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा है। अगर इस तरह काम शुरू होता है तो यह बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसी आधार पर मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री मुरलीधर व्यास ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संकल्प वापिस लिए जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री मुरलीधर व्यास** : मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

## सरकार की सहकारिता आन्दोलन सम्बन्धी नीति एवं वर्तमान सहकारी संस्थाओं की जांच करने के लिये समिति का निर्माण करने सम्बन्धी गैर सरकारी संकल्प

**श्री उपाध्यक्ष** : Now comes resolution Number 2.

Shri P.K. Chaudhary.

(२. म. प.)

**श्री पी० के० चौधरी** ( फुलेरा ) : I move a resolution that "This House resolves that a five men committee be appointed consisting of the members of this House to examine the Government's policy in respect of the Cooperative movement and also to examine the working of the existing

# Page No.70



( श्री पी० के० चौधरी )

cooperative societies in the State"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो रेज्योल्यूशन है उनके दो हिस्से हैं एक हिस्सा है जो गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव मूवमेंट सम्बन्धी नीति है उसके वर्किंग के सम्बन्ध में और दूसरा हिस्सा है कि जो एग्जिस्टिंग कोपरेटिव सोसायटीज है उसके वर्किंग के सम्बन्ध में जहां तक इस देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट का ताल्लुक है सबसे पहले १९०४ से शुरू किया था और इस मूवमेंट को हम ३ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। १९०४ से १९५४, १९५४ से अप-टू-डेट और १९५९ से ऑनवर्ड्स। अब यह जो हमारे मूवमेंट का फेजेज है उसमें पिछले पांच साल में याने १९५४ से १९५९ के शुरु आत में लगभग इस देश में जितनी तरक्की पिछले ५० सालों में की गई थी उससे चार गुना ज्यादा सोसाइटीज बनी हैं। उसके बाद में १९५९ में हमारी जो पॉलिसी है उसमें कुछ टर्न आया है एक नया मोड़ हम कोऑपरेटिव पॉलिसी में लाये हैं। उसका असर क्या होगा, उसको एग्ज़ामिन करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव के सम्बन्ध में पॉलिसी है मेरे ख्याल से उसके बारे में क्लेरीफिकेशन देना अत्यन्त जरूरी है और इसलिए जरूरी है कि हमारी समझ में नहीं आता। बाकी में कोऑपरेटिव मूवमेंट के संबंध में गवर्नमेंट की निश्चित पॉलिसी क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, हमरा जो सैकिण्ड फाइव ईयर प्लान का कोऑपरेटिव सेक्टर है वह सारा का सारा जो रिजर्व बैंक की रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट है उसके ऊपर आधारित है। उसके बाद में आज जाकर हम देखते हैं उस पॉलिसी से शिफ्ट करते है और कैसे शिफ्ट करते हैं वह मैं आपके सामने रखूंगा। जहां तक रिजर्व बैंक की रूरल क्रेडिट कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें मेरे ख्याल से इस बात पर जोर दिया था कि कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए हमारी इन्टीग्रेटेड स्कीम होनी चाहिए। खास इम्पोर्टेन्ट बात यह थी कि स्टेट पार्टनरशिप कोऑपरेटिव का शेयर कैपीटल है उसमें सरकार हिस्सेदार होगी Government to be a parterner in the Society. उसके शेयर कैपीटल में। यह खास बात उसमें थी। अब तीसरी बात उसमें थी कि लार्ज साइज़ सोसाइटीज के एस्टेब्लिशमेंट की। क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले ५० साल के अनुभव से यह मालूम हुआ कि कोऑपरेटिव्स के फेल होने का एक कारण यह भी था कि उनमें इकोनोमिक लाइबिलिटी नहीं थी। तो ये तीन खास बातें उसमें थीं एक इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑफ कोआपरेटिव, दूसरे लार्ज साइज कोआपरेटिव सोसाइटी और तीसरे स्टेट पार्टनर-शिप इन दी शेयर कैपीटल आफ दी सोसाइटीज। क्योंकि जो सोसाइटीज पहले बनी थी उनके फेल्यार का एक कारण था 'लैक आफ फाइनेन्सेज' तो ५० साल का तजुर्बा है फिर उसके बाद में एक एक्सपर्ट कमेटी सरकार अपॉइन्ट करती है उनकी रिपोर्ट को सब ने स्टेडी किया और उसकी स्टेडी प्लानिंग कमीशन ने भी किया। उसके बाद में हमने उसे फाउन्डेशन स्टोन बनाया। सेकिण्ड प्लान का जो कोआपरेटिव सेक्टर है उसके अन्दर उसकी रिपोर्ट को फाउन्डेशन बनाया। उस पालिसी से आज गवर्नमेंट हट जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट का जो एन० डी० सी० है उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप अपॉइन्ट किया कोआपरेटिव्स की स्टेडी के लिए। अब उस वर्किंग ग्रुप ने यह सिफारिश की है कि अब तो सर्विस कोआपरेटिव बनाई जायेगी वन विलेज वन कोआपरेटिव।

( श्री पी० के० चौधरी )

याने हिन्दुस्तान के गांव गांव में जो लार्ज साइज कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको खत्म कर दिया जाये और वन विलेज वन सोसाइटी बनाई। उसके बारे में हमें एक बात मालूम पड़ी कि उसमें डेनिश एक्सपर्ट्स और थे I do not remember the names of those denish experts.

मैलकोलम, डार्लिंग थे तो उनकी सोसाइटी के ऊपर ओपीनियन ओवर वे कर गई और यह फैक्टर लाये कि कोआपरेटिव मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना है तो मेम्बर्स के अन्दर म्युचुअल एक्वेन्टेन्स हो; वह ज्यादा इम्पोर्टेन्ट है बनिस्बत इकोनामिक लाइबिलीटी के और फाइनेन्शियल पोजीशन के। छोटी सोसाइटीज जब तक हम नहीं बनायेंगे तो मेम्बर्स का म्युचुअल एक्वेन्टेन्स नहीं रहेगा इसलिए वन विलेज वन कोआपरेटिव सोसाइटी बने। उसका नाम सर्विस कोआपरेटिव होगा। यह वर्किंग ग्रुप ने फैसला किया उसके साथ ही साथ यह जो सर्विस कोआपरेटिव है इसके दो पैटर्न बनाये एक तो जनरल पैटर्न रखा और दूसरा बैकवर्ड-एरिया के लिए सिफारिश की कि बैकवर्ड एरिया मे ये सोसाइटीज़ तो बनेंगी लेकिन एक क्रेडिट यूनियन भी बनाई जायेगी और वह सोसाइटी जो कि बैकवर्ड एरिया की रहेगी। जो सोसाइटी दूसरे एरिया में बनेंगी वे सोसाइटीज सेन्ट्रल बैंक से डाइरेक्ट लोन ले सकती हैं। लेकिन ये जो बैकवर्ड एरिया की सोसाइटीज है उनकी क्रेडिट यूनियन बनाकर सेन्ट्रल बैंक से फिर वह लोन लेंगी। यह उनकी सिफारिश थी अब जो नेशनल डवेलपमेंट कौन्सिल है उसने इसको मन्जूर किया लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि स्टेट पार्टनरशिप नहीं रहेगी सोसाइटीज में। यह आज गवर्नमेंट का फैसला था जिसके ऊपर हमने सैकिण्ड फाइव इयर प्लान को बिल्ड-अप किया। एन० डी० सी० ने इसी साल याने १९५९ में यह फैसला किया कि आयन्दा स्टेट पार्टनरशिप नहीं रहेगी। ठीक है उसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय, मैसूर में हिन्दुस्तान के सब कोआपरेटिव मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई कुछ महीनों पहले। मेरे ख्याल से ७ महीने पहले वहा यह निर्णय लिया गया कि लार्ज साइज कोआपरेटिव्स को बन्द कर दिया जाये और सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटीज सब जगह चालू कर दी जाये। मैंने अखबारों में पढा कि अब तो आइन्दा सर्विस कोआपरेटिव बनाई जायेंगी और जो पहले लार्ज साइज सोसाइटीज बन गई हैं उनको चालू रखा जाये और आयन्दा लार्ज साइज सोसाइटी नहीं बनेंगी यानी इस तरीके का डाइवरसन उनकी पॉलसीज में आता है। एक तो हम एक बात तय करते हैं ५० साल के एक्सपीरियन्स के बाद, एक बार लाइन आफ एक्शन तय करते हैं और उस पर एक्सपर्ट ओपीनियन लेने के बाद तय करते हैं और उसको हम ओवेरनाइट चेन्ज कर देते है। एक दफा चेन्ज करते है सैटिल करते है, यह ठीक है कि 'वन विलेज वन सोसाइटी' का तय कर दें चाहे लार्ज साइज्ड सोसाइटी का चाहे सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटी में चेन्ज कर दें। यह ठीक है। हम देखते हैं कि स्टेट्स मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स होती है उसमें फैसला कर देते है कि लार्ज साइज्ड को बन्द नहीं करेंगे और जहां बन गई वहां वह बनी रहेंगी और जहां नहीं है वहां वन विलेज वन सोसाइटी...

# Page No.72



**श्री शंकरलाल** (रायपुर) : There is want of quoram, Sir,

**श्री उपाध्यक्ष** : Yes. The whips may please extend their cooperation. till then Mr. Chaudary may continue,

(गणपूरक घन्टी के पश्चात् पुन:)

Yes. Mr chaudhary

**श्री पो० के० चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, जिस बात की तरफ मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आखिर कोआपरेटिव मूवमेंट राजस्थान में चलाना है और कोई इस स्लोगन के पीछे, वन विलेज वन सोसाइटी का स्लोगन आ गया या सर्विस कोआपरेटिव का स्लोगन आ गया, या लार्ज साइज्ड का स्लोगन आ गया We are not to be carried away by the slogans. हम यह सोचे, समझें which is best for the State? मैंने तो दूसरी स्टेट की बात अपने कन्सीडिरेशन में छोड़ दी है लेकिन इस स्टेट में what is feasible ? यह तो आपने फैसला किया यह डेफीनिट मालूम नहीं होता है कि आज आप लार्ज साइज्ड सोसाइटी रखते है और फिर वन विलेज वन सोसाइटी बनाना चाहते हैं what do you want ? यह बिल्कुल मालूम नहीं है, यह जाहिर नहीं होता है what do you want ? आप क्या चाहते हैं what is exact'y wanted ? There is no guarantee that you will stick to it क्योंकि हम देख रहे हैं कि सर्विस कोआपरेटिव का फैसला किया तो आज तक कोआपरेटिव सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, और इसलिए नहीं होता है कि उसके लिए नियम नहीं हैं। सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटी और वन विलेज वन सोसाइटी' का फैसला किया वह देखते है साल भर हो गया है लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट किया नहीं है। क्योंकि आपके पास में रूल्स नहीं हैं। मेरे पास में रिपोर्ट है कि सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है कि उसके लिए रूल्स नहीं बने हैं। जैसा कोआपरेटिव फन्ड्स के लिए कहा कि फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी सारी बन गई, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया लेकिन फंक्शन नहीं हो रही है, इसलिए नहीं हो रही है कि ऐसी कोऑपरेटिव्ज के लिए कोई रूल्स नहीं हैं, न एक्ट में उसके लिए कोई प्रोविजन है। इसलिए हम देखते हैं कि we are in a flux ऐसी कन्डीशन्स में हम हैं कि एक ले-मेन जो साधारण व्यक्ति है उसको नहीं मालूम पड़ता है कि what exactly this cooperation movement is ? उसकी क्लिअर पिक्चर हमारे सामने नहीं आती है।

जहां तक लाइबिलिटी का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि उसमें मेरी जो राय है वह यह है कि यह जो एक स्लोगन ले लिया कि म्युचुअल एक्चेन्टेन्सेज अमग्स्ट दी मेम्बर्स उसका एक क्राइटेरिया माना है। If you make this only criterian for a successful cooperative movement तो मैं समझता हूँ कि You are taming your eyes from facts. यह मान लें कि हजार की आबादी का एक गांव है उसमें दूसरा स्लोगन यह आया उपाध्यक्ष महोदय, कि एवरी इनहेबिटेन्ट ऑफ दी विलेज वह आपका

( श्री पी० के० चौधरी )

कोऑपरेटिव का मेम्बर हो जायगा। अब मेरे सामने एवरी इनहेबिटेन्ट हो जाय या हैड ऑफ दी फेमिली हो जाय दोनों में प्रेक्टिकल मेरे सामने यह चीज नजर आती है कि एक हजार का गांव है उसमें २५० फेमिलीज है।

If the head of the family becomes the member, it is as good as family. उसमें उसकी वाइफ और चिल्ड्रन मेम्बर बन जाय तो इतना मेटीरियल नहीं है कि जितना हैड ऑफ दी फेमिली का....

**श्री नाथूराम मिर्धा** (सहकारी मंत्री) : सब का बनना जरूरी नहीं है।

**श्री पी० के० चौधरी** : वह आपका आइडियल है, स्लोगन है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : नहीं, नहीं, आप गलत स्लोगन लगा रहे हैं।

**श्री पी० के० चौधरी** : मैं, आपके कोऑपरेटर्स कहते हैं, वही कहता हूँ कि Every member of the village will be a member of the Cooperative Society. कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के इन्सपेक्टर्स कहते हैं उन लोगों के सारे गांव का एक एक आदमी मेम्बर बनेगा।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जो सबसे ज्यादा आज कोऑपरेटिव मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए इम्पार्टेंट है कि वह उसकी इकानोमिक वायेबिलिटी हो। इकानोमिक वायेबिलिटी की जरूरत है इसलिए है कि that is not enough... कैपिटल रहना चाहिये। आपने फैसला कर लिया कि हम पेड सेक्रेटरी रखने के लिए खर्चा देंगे that is not enough. आपने सर्विस कोऑपरेटिव बनाई; आपने कहा २००, २५० की एक सर्विस कोऑपरेटिव बनाई जाय। उस सर्विस कोऑपरेटिव की शेयर कैपिटल लिमिटेड है, जिसकी लोन लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी Maximum limit of its loan... कितना लोन मिल सकता हैं वह शेअर केपिटल पर रहता है। वह भी रहेगा। उसकी सीलिंग it will sufficintly low तो इसलिए from the point of view of agricultural efficiency, from the point of view of rendering adequate service यह सब कुछ के लिए मैं समझता हूँ कि एक सोसाइटी की इकोनोमिक वायेबिलिटी rendering mutual acquaintenance amongst the members इसलिए मैं चाहूँ कि गवर्नमेंट की यह पॉलिसी है वह इन रिवेशन टू दिस होना चाहिये। वे हैपहेजर्ड तरीके से चल रहे हैं इसलिए मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : Mr. Chaudery creates more suppoters in his favour and now hecan creat them only provided he accommodates them in time.

**श्री पी० के० चौधरी** : I will accommodate them, Sir.

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात आती है रिओरियेन्टेशन ऑफ दी क्रेडिट पॉलिसी और उससे जो कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारे देश में सक्सेसफुल हुआ, इस प्रान्त में हुआ या नहीं। हमारा जो एग्रीकल्चरिस्ट है उसकी क्रेडिट नीड है उसको किस प्रेपोर्शन तक हम मीट्र कर सके हैं या नहीं यह रहेगा हमारा टेस्ट। मूवमेंट सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है यह जो एग्रीकल्चर की टोटल

( श्री पी० के० चौधरी )

क्रेडिट नीड है वह उस प्रपोर्शन में what proportion we have been able to meet that through expension of the coperative Finance उसके ऊपर रहता है अब उस बेसिस को अब एप्लाई करते हैं तो हम फेल हो जाते है। अव्वल तो सबसे पहले हमारे पास कोई डिटेल्ड स्टेटिस्टिक्स नहीं है No detailed study has deen conducted in our State. इस प्रान्त में कोई फिगर्स एवेलेबल नहीं है कि एग्रीकल्चरिस्ट की टोटल नीड क्या है और वह किस प्रोपोर्शन तक आज तक सक्सेसफल हुई स्टेट गवर्नमेंट या कोऑपरेटिव मूवमेंट। उसको मीट करने के लिए उसके लिए रिलायेबल स्टेटिस्टिक्स नहीं है। जो कुछ भी है वह गैस वर्क है गैस वर्क They are on based on reliable statistics,

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, १९५७ में यहां पर कोऑपरेटिव सेमीनार हुआ था और उसके पहले जैसा कि मैंने पहले बताया कि रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट ने भ रिकमन्ड किया था। आज तक हम देखते है कि लोन्स जो हैं वे प्रापर्टी ओनर्स को without any immovable security लोन्स मिलते हैं, लेकिन लैंडलैस लेबर्स हैं चूंकि सोसाइटी का शेयर के ऊपर लोन मिलता है। पिछले साल हमने इस सदन में कानून पास किया, कोऑपरेटिव एक्ट में अमेंडमेंट किया था और इस इरादे से किया था, और माननीय मंत्री महोदय ने यह एश्योरेन्स दिया था, यह आश्वासन भी दिया था कि इस साल १९५८ में एग्रीकल्चर वालों को क्रॉप लोन देंगे यानी एग्रीकल्चरिस्ट्स को उनके प्रोडक्शन प्रोग्राम के ऊपर, उसके क्रॉप प्रोडक्शन के प्रोग्राम के ऊपर विदाउट एनी इममूवेबल सिक्योरिटी, यानी बगैर किसी लैंड, हाउस या किसी सिक्योरिटी के बगैर प्रोडक्सन प्रोग्राम पर क्रॉप लोन दिया जायगा।

जिसकी सिफारिश यहां पर कोऑपरेटिव सेमिनार ने किया था उसने भी की थी If I mistake not, the Hon'ble Minister might have presided over or inaugurated और सदन में जब कोऑपरेटिव एक्ट अमेन्ड किया था तब कहा था कि हम क्रॉप लोन इन्ट्रोड्यूज कर रहे हैं लेकिन इन्ट्रोड्यूज नहीं किया, जहां तक मेरी जानकारी है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो लोंग टर्म्स लोन्स हैं वे आज तक इन्ट्रोड्यूज नहीं किये। सन् १९५७ में लैंड मोर्गेज बैंक हमने स्थापित किया था लोंग टर्म्स लोन एग्रीकल्चरिस्ट्स को देने के लिये ताकि वे अपनी जमीन को सुधार सकें, इम्प्रूव कर सके क्योंकि अब तक सोसाइटीज के मार्फत जो लोन मिलता था वह शोर्ट टर्म और सीजन लोन मिलता था। एक एक सीजन के बाद, हारवेस्टिंग के बाद री-पे करना पड़ता था। उससे they are not able to make any permanent improvement in their land.

उनकी लैंड को इम्प्रूव करने के लिये लोंग टर्म लोन देने के लिये लैंड मोर्गेज बैंक जैसा इन्स्टिट्यूशन यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था लेकिन १९५७ में उसे एस्टेब्लिश किया गया लेकिन आजतक उसका इफेक्टिव फंक्शनिंग नहीं हुआ। मेरा ख्याल है इस साल उसके पास लगभग ढाई तीन लाख रुपयों के लोन्स की अर्जियां पड़ी हैं लेकिन आज तक मुश्किल से २० हजार रुपये डिस्बर्स किये हैं कुल दो साल में अबकि तीन चार लाख की एप्लोकेशन्स

( श्री पी० के० चौधरी )

पड़ी हैं इस महीने में शायद ज्यादा हुई हों तो पता नहीं। बाकी दिस इज दि लेटेस्ट फिगर। मैंने महीने भर पहले जब पता लगाया था तो १६००० रु० की ग्रान्ट की थी अब शायद १८ हजार और हो गये होंगे। इस तरह से चार पांच लाख की एलोकेशन्स में से २० या २५ हजार रुपयों का लोन मंजूर किया है। मैं नहीं समझता कि इतनी रकम से राजस्थान के एग्रीकल्चरिस्ट ने कोई इम्प्रूवमेन्ट किया हो। कोऑपरेटिव क्रेडिट का एक्सपेन्शन हो रहा है, वे इसके जरिये अपना इम्प्रूमेन्ट कर सकते हैं और एग्रीकल्चरल एफिशियेन्सी बढ़ा सकते हैं लेकिन उनको फेसिलिटीज नहीं मिलतीं।

दूसरी बात जो सबसे अधिक डिफेक्टिव है वह यह है कि प्रोपर टाइम पर लोन्स का डिस्बर्समेन्ट नहीं होता है। सोसाइटीज के मेम्बर्स एग्रीकल्चरिस्ट हैं but they don't get lone in time, इस वजह से उनका सिर्फ सोसाइटी पर डिपेन्ड करने से ही काम नहीं चलता है और मनी लैन्डर्स से लोन लेना पड़ता है। बिगर सेक्शन को अब तक मनी लैन्डर से लोन लेना पड़ता है। जैसा कि मेहता कमेटी ने कहा कोऑपरेटिव से अगर किसी ने फायदा उठाया है तो लार्ज पर्सन्स ने उठाया है, जो पुअरेस्ट सेक्शन है उसने इससे कोई फायदा नहीं उठाया है। यह बात सिर्फ मेहता कमेटी ने ही नहीं बल्कि जो प्रोग्राम इवेल्युशन कमेटी थी उसने भी कहा है। इसलिये जिनके पास सिक्योरिटी नहीं होती है उनके पास मैनेजमेन्ट नहीं रहता है, नाम उनका चलता है लेकिन काम और ही कोई करता है। सांसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से, प्रेसिडेन्ट के नाम से लोन ले जाते हैं और मेम्बर्स को उसमें से कुछ नहीं मिलता और दूसरे ही हजम कर जाते हैं

इन्टर रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मेरे पास बैठनेवाले एक माननीय सदस्य ने सवाल पूछा था, डिस्ट्रिक्ट में ४ संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें से एक को मिलता है और दूसरी को बाकी रखते हैं, दूसरी को मिलता है तब तीसरी को बाकी रखते हैं और तीसरा लेता है तो फोर्थ को पेमेन्ट होता है। इसका फायदा कुछ मनीलैंडर्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कंट्रोल करते हैं वे उठाते हैं। इनसे लेकर युजरपियस यूज करते हैं। जैसे सांसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से बीकानेर में गबन हो गया जिसको मंत्रीजीने सदन में मंजूर किया था।

तीसरी बात यह है कि इन्टरलिंक कर जाते हैं। क्लेवर लोग इन्टरलिंक लोन लेकर उससे फायदा उठाते हैं। पिछले साल एक कोऑपरेटिव सेमिनार किया था सन् १९५८ में। उन्होंने सिफारिस की थी कि कम से कम इस स्टेट में मनीलैंडर्स एक्ट बन जाना चाहिये। मैंने उस समिति की रिपोर्ट देखी हैं। उसमें सरकार ने लिख दिया कि इसको कार्यान्वित कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर लिया है। मैंने इसकी जानकारी की तो पता लगा कि मनीलैन्डर्स एक्ट पास नहीं हुआ है। राजस्थान रिलीफ ऑफ इन्डेटेडनेस एक्ट है। जिस पर्पज से हम मनीलैन्डर्स को कर्ज कराना चाहते है वह पर्पज इस राजस्थान रिलीफ ऑफ इन्डेटेडनस एक्ट से सर्व नहीं होता। मानीलैंडर्स का रजिस्ट्रेशन हो तभी हम उन पर कंट्रोल कर सकते हैं ऐसा करने के लिए आपने कानून पास नहीं किया है। जो अगर आप कोऑपरेटिव क्रेडिट फेसि-

(श्री पी० के० चौधरी)

लिटीज आपको देना चाहते हैं तो मनीलैंडर्स जो फिक्टिरस मामले बनाते हैं और कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये कर्जा लेकर हायर रेट पर लोगों को देने हैं तो हमें मनीलैंडर्स को कंट्रोल में लेना पड़ेगा । monylader business should be registerd जैसा कि फूड ग्रेन के लिए कर दिया Licensed dealers can only deal in the foodgrains...

इसलिये कोई व्यक्ति जो मनीलैन्डर बिजनैस करना चाहता है वह जब तक रजिस्टर नहीं होगा जब तक यह बिजनैस नहीं कर सकेगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिये कुछ कंडीशन होगी । उन कंडीशन को फुलफिल करने पर ही किसी को मनीलैन्डर बिजनैस करने के लिए रजिस्टर किया जा सकता है । मैं समझता हू इट इज हाई टाइमस इस दिशा में सरकार को कदम उठा लेना चाहिये । जैसा मनीलैन्डर्स कंट्रोल एक्ट बम्बई में है वैसा ही यहां भी बना दें जिससे आज जो कोआपरेटिव सोसाइटी को एक्सप्लोयट करते हैं वह रुक सके और आगे जाकर एक्सपेन्शन में मदद मिले ।

दूसरी बात मीडियम टर्म लोन्ट के बारे में हैं । अब तक प्रोपर तरीके से मीडियम टर्म लोन नहीं दिया जाता है । पिछली बार हमने एक्ट को अमेन्ड किया था । जिसके द्वारा जमीन नहीं बल्कि दूसरी इम्पूवबल पोपर्टी है उस पर भी लोन देंगे जिससे काश्तकार अपने इम्प्लीमेंटस वगैरह खरीद सके । लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, साफरियेन्ट मीडियम टर्म लोन देना शुरु नहीं किया है और यदि देना शुरु किया है तो कब से किया यह बात मंत्री महोदय अपनी रिप्लाई में बता दें ।

तीसरा बात रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट के बारे में बताऊंगा । उपाध्यक्ष महोदय, रिजर्व बैंक से सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक को २ पर्सेन्ट की रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट से लोन मिलता है और सेन्ट्रल बैंक साढे पांच पर्सेन्ट की रेट से सोसाइटी को देता है और सोसाइटीज साढे सात पर्सेन्ट से नौ पर्सेन्ट तक रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट से मेम्बर्स को देती है । तो इससे एग्रीकल्चरिट्स को एडवान्टेज क्या हुआ । आप उनको रिलीफ देना चाहते हैं एग्रीकल्चरिस्ट इन्डेटेडनैस एक्ट की तहत उस एक्ट में लिखा है कि जिसके पास सिक्योरिटी होगी उससे मैग्जिमम ६ पर्सेन्ट लिया जायगा और जो अनसिक्योर्ड होगा उससे मैग्जिमम ९ पर्सेन्ट तक ले सकते हैं । लेकिन आपने सोसाइटीज के लिए ७॥ पर्सेन्ट से ९ पर्सेन्ट तक रखा है उसका जस्टिफिकेशन क्या है, जब कि प्राइवेट मनीलैन्डर्स का बिजनेस चल सकता है ६ पर्सेन्ट के बेसिस पर । लेकिन सोसाइटी ७॥ पर्सेन्ट से ९ पर्सेन्ट तक ले तब जाकर कोआपरेटिव सोसाइटीज चल सकती हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता है ।

अल्टीमेटली हमारा जो आब्जेक्टिव है, कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के मार्फत लोन देने का, उसका एक खास मतलब था—cheap credit to be made easily available to the agriculturists. दोनों पर्पज हमारे डिफीट होते हैं, एक तो ईजीली अवेलेबल नहीं है, दूसरे प्रोपर टाइम पर नहीं मिलता, दूसरी बात यह है कि जो मैग्जिमम लिमिट है । Money lender can charge from the agriculturist. जिसको आपने छः पर्सेन्ट रखा है, वह सोसाइटी के लिए साढे सात पर्सेन्ट कर दिया what is the

( श्री पी० के० चौधरी )

benefit of taking from your's society ? वह मनी लैंडर से लेगा then you will go to the court. वहां जाकर उसको रेमीशन मिलेगा, वह छः पर्सेन्ट से होगा, तो आपके पास से लोन क्यों लें ? Why the people should be attracted to the cooperation. अब उसको what is the advantage ? उसको एक एडवान्टेज मिलता है। आपके पास लोन लेने के लिए आता है, उसको लोन आसानी से नहीं मिलता है। जिन लोगों के द्वारा लोन मिलता है, ऐसे लोग कहते हैं कि कुछ हिस्सा दो। जो छोटी मोटी मदद उसको लोन लेने में देते हैं, उनको उसे पर्सेन्टेज देना पड़ता है, तब जाकर लोन मिलता है। एक तरफ पर्सेन्टेज गया और दूसरी तरफ साढ़े सात पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट देना पड़ता है, तीसरे अगर वह मनी ड्यू हो जाती है तो उसकी क्रोप को अटेच करके उस रकम को वसूल कर लेते हैं। जब कि वह मनी लेडर के पास जाता है और समय पर रुपया नहीं लौटाता है तो वह कोर्ट में जायगा, साल दो साल कोर्ट में लगेंगे और कोर्ट में जायगा। If the loan was advanced against the surity, what is this principle ? तब जाकर छः पर्सेन्ट से रिकवर होगा। तो मेरी समझ में नहीं आता where is the principle of cheap credit ? जिस प्राइवेट मनी लैंडर से छः पर्सेन्ट पर लोन मिल सकता है, जब कि आपकी सोसाइटी से साढ़े सात से कम में नहीं मिलता है। what is the principle ? आपकी सोसाइटी कहां उसको चीप क्रेडिट दे रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो रेट है, आपका जो एग्रीकल्चरल रिलीफ आफ इन्डेटेडनैस एक्ट १९५७ का है, उसमें जो मैग्जिमम लिमिट ऑफ इन्ट्रेस्ट, उसमें जो इन्ट्रेस्ट प्राइवेट इन्डीविजूअल के लिए वही रेट सोसाइटी के लिए होनी चाहिए क्योंकि सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक है, जिसको २ पर्सेन्ट में मिलता है, वह साढे तीन पर्सेन्ट, ओवर रेट चार्जेज लगा कर, साढे पांच पर्सेन्ट पर सोसाइटी को देता है। इस डिफरेन्स को आपको कम करना चाहिए और इस ढंग से प्रबन्ध करना चाहिए कि कम से कम जो एग्रीकल्चरल लोन है, वह छः पर्सेन्ट से ज्यादा न बढ़ जाय।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जो कोआपरेटिव मूवमेंट का विकास हुआ है, एक्सपेन्शन हुआ है, एग्रीकल्चरल, क्रेडिट के लिए एक्सपेन्शन हुआ है, लेकिन जहां इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव का सवाल है, उस दिशा में हमने बिलकुल प्रोग्रेस नहीं की है, ऐसा कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव की प्रगति न होने का एक सबसे बड़ा कारण यह है, एक तो इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी को लोन देने का खास प्रावधान नहीं है। उनको लोन मिलता है, इन्डस्ट्रीज को लोन देने के लिए, वह मिलता है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लोन मिलता है, वह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लोन मिलता है डाइरेक्टली। यह जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, यह गलत है। इसके सम्बन्ध में रिजर्व बैंक कमेटी ने सिफारिश की थी कि सारा लोन सोसाइटीज के जरिये मिले। They must be all chanalised through the cooperative societies. हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का तकावी लोन है, इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट से मिलने वाला लोन है, वह सारा का सारा

(श्री पी० के० चौधरी)

सोसाइटीज के मार्फत देना चाहिए, वह नहीं देते हैं। दूसरी बात यह है जहां पर आप देते भी हैं, वह लोन साढे सात पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट पर देते हैं जब कि उसके लिए सिफारिश की गई है कि इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव लोन है, वह साढे तीन पर्सेन्ट की रेट पर मिलना चाहिए, जब जाकर स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज सक्सेसफुल चल सकती हैं। इस दिशा में गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया है। आप हैंड लूम के लिए साढे तीन पर्सेन्ट पर लोन देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एम्प्लायमेंट प्रोब्लम को हल करना चाहते हैं, इसको रिमूव करना चाहते हैं, गांवों में इन्डस्ट्रीज को डवेलप करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव बना कर इन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए और साढे तीन पर्सेन्ट चार पर्सेन्ट से ज्यादा इन्ट्रेस्ट चार्ज नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी जरूरत हो जाय तो गवर्नमेंट को सब्सीडाइज करना चाहिए। जिस प्रकार खादी के लिए सब्सीडी देते हैं, हैंड लूम के लिए सब्सीडी देते हैं, मैं कहता हूँ कि राजस्थान फाइनेन्स कार्पोरेशन कम, जो मिनिमम डिवीडेन्ड है वह छः पर्सेन्ट से कम देना चाहिए, उससे कम पड़ता है, तो उसके लिए सरकार हर साल तीन लाख चार लाख रुपये देती है that we meet up. वह किस लिए देते हैं कि बिग इन्डस्ट्रीज में फाइनेन्स कार्पोरेशन कर सके. फाइनेन्स कार्पोरेशन फाइनेन्स करेगा, इसमें शेयर होल्डर्स का नुकसान न हो जाय, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम अमाउन्ट आफ डिवीडेन्ड अवेलेबल करने के लिए फाइनेन्स कार्पोरेशन को कन्सोलिडेटेड फन्ड से लाखों रुपया देती है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान फाइनेन्स कार्पोरेशन को बिग इन्डस्ट्रीज के लिए लोन सप्लाई करने में, डिवीडेन्ड मीट विथ करने के लिए सरकार सब्सीडी दे सकती है, कन्सोलिडेटेड फंड से रुपया दे सकती है, वह स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज, काटेज इन्डस्ट्रीज को फाइनेन्स करने के लिए, जो इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटीज चालू की गई हैं, क्या उनको सब्सीडाइज नहीं कर सकती to give the advantage of cheap interest rate. इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज की भी कई बातें हैं। आज तक जो हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी हैं, उनको कुछ जगह पर सफीशियेन्ट मदद नहीं मिली है, जहां मिली है, वहां पर गबन भी हुआ है, क्योंकि उस पर प्रोपर चैक्स नहीं होते हैं। एक बिलोचिस्तान हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी, उदयपुर में है, उसमें लाखों रुपये का गबन हो जाता है। एक प्रश्न आया था, उसमें गबन का मामला था, मकान प्लिन्थ तक खड़े नहीं होते हैं, सोसाइटी से रुपये लेकर उसे खत्म कर दिया जाता है क्योंकि प्रोपर चेकिंग नहीं होता है।

लास्टली मैं ट्रान्सपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी के लिए कहना चाहता हूँ। हम इसे प्रोत्साहन देना चाहते हैं, हम नेशनलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूं कि राजस्थान में ४०, ५० रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं, मैं समझता हूँ कि मुश्किल से पांच, छः सोसाइटीज होंगी, जिनको पर्मिट मिला होगा बस चलाने के लिए, ४० में से मुश्किल से पांच छः ट्रान्सपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी को बस चलाने के लिए पर्मिट मिला है। वह पर्मिट किन रूट्स का किया गया। मैं आपको बताऊं कि मैन रूट का

# Page No.79



( श्री पी० के० चौधरी )

पर्मिट नहीं दिया जाता है, ऐसे रूट पर दिया जाता है जैसे बनासकटा, ऐसे ऐसे रूट्स पर पर्मिट दिया जाता है, जहां रोड्स खराब हैं, रास्ता खराब है। एक, दो आप मुश्किल से ऐसे केसेज बता सकते हैं जिनमें ट्रान्सपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी को मेन रूट पर लाइसेन्स दिया होगा। मैं चाहता हूँ कि जो ट्रान्सपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, जहां पर गवर्नमेंट रूट्स को नेशनलाइज कर रही हैं, उनको छोड़ कर, बाकी रूट्स के कोआपरेटिव सोसाइटीज के पर्मिट दें। मैं कहूँगा कि माननीय मन्त्रीजी जांच कर लें कि ४०, ५० जो ट्रान्सपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड हैं, क्या वजह है कि आज तक उनको इम्पोर्टेन्ट रूट नहीं मिला? ४०, ४५ जो सोसाइटीज हैं, उनमें से एक को पर्मिट क्यों मिला और एक को क्यों नहीं मिला है? मैं समझता हूँ कि Minister for Cooperation and the Transport is the same. इसकी इन्क्वायरी करना और फाइन्ड आउट करना उनके लिए मुश्किल नहीं है, आसान है। There will be no difficulty.

**डा० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : अलग अलग बैठ कर सोचते हैं।

**श्री पी० के० चौधरी** : क्या वजह हो गई है कि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा व्यवहार हुआ है, यह जानना है तो इसकी जांच करना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि ट्रान्सपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी को एन्करेज करेंगे तो यह होगा कि आज जो पेसेन्जर ट्रान्सपोर्ट चला सकते हैं रूट, ले सकते हैं, वह मोनोपोलाइज्ड है mainly with rich persons आज किसी को बस खरीदनी है तो वह ४० हजार, ५० हजार में बस खरीदे, स्टेट केरिज पर्चेज कर सकता है कोई इन्डीविजुअल जिसके पास ५० हजार या १ लाख रुपया है वह बस चला सकता है। तो आर्डिनेरी जो लोग हैं, जो लोअर, मिडिल क्लास या कामन मेन हैं वे जाकर ट्रान्सपोर्ट बिजनेस में नहीं घुस सकते। अगर आप ट्रान्सपोर्ट कोआपरेटिव्ज को एन्करेज करेंगे तो हो सकता है जो अन एम्प्लाइड हैं, पढे लिखे बेकार लोग हैं, वे खुद गाड़ी चला सकते हैं, पर्मिट ले सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, सोसाइटी बना कर बस चला सकते हैं। आपके यहां पर जो ट्रान्सपोर्ट की मोनोपोली इन्डस्ट्रियलिस्ट, बिग कैपिटलिस्ट्स के हाथ में है, उसको रिमूव करना है तो ट्रान्सपोर्ट कोआपरेटिव्स को ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव मूव करता हूँ।

३. म० प०

**डा० बहादुरसिंह** (धौलपुर): माननीय उपाध्यक्ष, जो यह प्रस्ताव फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, उस पर मेरा संशोधन है। (संशोधन: "Delete the word 'five' from line two.] मैं अपने संशोधन पर कहूँ इससे पहले प्रस्ताव या प्रस्तावक की भावना है उसके बारे में सदन के सामने कहना चाहता हूँ। प्रस्तावक चाहता यह है ....

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रस्ताव चाहते हैं।

**डा० बहादुरसिंह** : सोरी, प्रस्तावक चाहते यह हैं कि कोआपरेटिव मूवमेंट है उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी लेने के लिये सदन के ५ माननीय सदस्यों की

( डा० बहादुरसिंह )

समिति बनाई जाय। मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें संख्या सरकार पर ही डिपेन्ड रखी है। आज यह आवश्यक है कि सहकारी आन्दोलन, क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, इसकी जांच करने के लिये सदन के सदस्यों की समिति गठित की जानी चाहिये। कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने के लिये भाषण दिये जाते हैं और हम सब यह चाहते हैं कि सहकारिता के आधार पर समाज गठित हो, पर कई कारण ऐसे हैं जिनके कारण यह हो नहीं पाता है। इस सम्बन्ध में मैं सदन में आये हुए कुछ प्रश्नों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा जिनसे उन कारणों का पता लगता है जिनके कारण सहकारिता आन्दोलन आगे नहीं बढ़ पाता। कल परसों मेरा एक प्रश्न था उसकी ओर सबसे पहले ध्यान दिलाऊं उसके उत्तर में जो लिस्ट दी गई वह मेरे पास है, सन् १६५४ से आज तक धौलपुर सब-डिवीजन की जो दूसरे नम्बर की तहसील है, वहां २८ कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, उसके सरपंचों की लिस्ट देखें तो जिन गांवों में वे कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, उन गांवों के जो सबसे बड़े बोहरे हैं वे उन कोआपरेटिव सोसाइटीज के सरपच बने हुए हैं। गांव महरौली की कोआपरेटिव सोसाइटी है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि किस प्रकार से कोआपरेटिव सोसाइटीज चलती हैं और उनका किस प्रकार का व्यवहार है। आये दिन इन्स्पेक्टर को शिकायत करते हैं. विभाग के अधिकारी अच्छी तरह से जानते हैं, सरपंच हैं, उनकी गांव में भी जाने की हिम्मत नहीं होती। उन पर सोसाइटी का १६,००० रु० बाकी है। जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, मैं भी बताता हूँ। तीन, चार सोसाइटीज़ उन बोहरों ने बना रखी हैं। उन गरीब किसानों के श्रम का शोषण करने के लिये उन गरीब किसानों को सदस्य बना कर सोसाइटीज़ बना रखी हैं और उन लोगों को ये लोग खून चूसते हैं। किसी को पैसा लेना होता है तो ये लोग सारा पेमेंट अपने पास से कर देते हैं और कोआपरेटिव सोसाइटीज के नाम से आये हुए पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यदि बोहराजी अन्दर बैठे हुए हैं तो बोहराजी के बेटे बाहर बैठे हुए हैं। ये बोहरे किस प्रकार से गरीबों का खून चूसते हैं, गरीबों के श्रम का शोषण करते हैं इस सम्बन्ध में मैं एक भुक्त भोगी का किस्सा सदन के सामने पेश करता हूँ। उस व्यक्ति ने एक साल तक २००) रु० के लिये बोहरे की सर्विस की फिर भी उसका कर्ज नहीं चुका, फिर बोहराजी ने उसकी स्त्री को बेच दिया फिर भी बोहराजी का कर्ज उस पर ज्यों का त्यों है। तो इस प्रकार के सरपंच इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बन जाते हैं। इस बारे में आप कहेंगे कि हम क्या करें तो या तो हमारे कानून में कोई खामी है, हमें कानून में देखना चाहिये कि कहां खामी है। हम चाहते तो यह हैं कि इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज से गरीबों को फायदा हो पर जिन बोहरों के चंगुल से इन गरीबों को बचाना चाहते थे, पर इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिये उन गरीबों को इन बोहरों के चगुल में और दुगुना फंसाते हैं।

इसी तरह एक कोऑपरेटिव सोसाइटी और है, जिसका रुपया १६५६ से बाकी है। वह है बाड़ो गांव की बाड़ी किसान बहु-उद्देश्यीय सहकारी समिति। इसका जो सरपंच है वह बाड़ी का सबसे बड़ा बोहरा है। इन लोगों का धंधा ही यही है कि एक

( डा॰ बहादुरसिंह )

नहीं दो नहीं तीन तीन चार कोआपरेटिव सोसाइटीज ये चलाते हैं। दो तीन सोसाइटीज के लिये इनकी दर्ख्वास्तें हैं, दो तीन तरह से तकावी ले रखी है। उनका तो यही बिजनेस है कि हर तरह से ज्यादा से ज्यादा सरकारी पैसा लें और वापिस नहीं दें। २०-७-५६ का इनमें १३५९२ रुपया ब्याज और कुल रकम मिला कर हो गया है। यह पैसा कागजों में उनके पास नहीं है, दूसरे सदस्यों में वितरण कर चुके हैं पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पैसा उनके पास है। किसानों ने जिन्हाने कर्ज लिया उन किसानों ने इनका पेमेंट कर दिया है, वे गरीब पैसा दे चुके हैं पर जो सरपंच बने बैठे हैं वे जिला कोऑपरेटिव बैंक हैं उसका पैसा नहीं देना चाहते, यह भरतपुर बैंक का पैसा है। यह आज का हमारे यहां का कोआपरेटिव मूवमेंट है, यह कोआपरेटिव सोसाइटीज का हाल है और लोग सोचते हैं कि यदि कोआपरेटिव सोसाइटीज बना लीं तो उनसे क्या फायदा होता है, फायदे के स्थान पर नुकसान ही होता है।

मैं सदन के सामने जो तथ्य हैं वे रखना चाहता हूँ कि वास्तविकता क्या है। जो नियम हैं, उनकी तरफ न जाकर हमें वास्तविकता की ओर जाना पड़ेगा। एक उदयपुर की कोआपरेटिव सोसाइटी है, प्रतापनगर की भोपाल सोसाइटी, उसके बारे में सदन में बड़ी चर्चा हुई है। ऐसे लोग हैं जिनका धंधा ही यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटी बना लें और अपनी मेजोरिटी लाकर मैंनेजिंग कमेटी अपनी बना ले।

इन लोगों ने ४६०१ रुपये का कुआ था उस कुए को २०२ रुपये में बेच दिया। अन्दाज कीजिये वह कोआपरेटिव सोसाइटी किस तरह सफल हो सकती है और उसके बारे में कहा यह गया कि उसकी मैनेजिंग कमेटी ने बेच दिया। ये कोआपरेटिव सोसाइटीज किस लिये बनाई जाती हैं? किसानों को कर्जा देने के लिये, गरीबों को रिलीफ देने के लिये बनाई जाती हैं। पर वास्तव में इनसे गरीब लोगों को कोई रिलीफ नहीं पहुंचता। चार हजार की चीज को दो सौ में बेच दिया जाता है। भोपाल कोआपरेटिव सोसाइटी ने मोहनलाल वासवानी को बिना मूल्य के १५ बीघा जमीन दे दी। ये हजरत वे हैं जिनमें २७,००० रु० कोआपरेटिव सोसाइटी का बाकी था। तो जिन लोगों ने गबन कर रखे हैं, सरकार को सरकारी पैसा देना नहीं चाहते, हर तरह से दो चार कोआपरेटिव सोसाइटीज बना कर दो दो तीन तीन तरह के तकावी लान्स ले लेते हैं, तो इससे साफ है क कानून में कहीं न कहीं खामी है। अगर कानून में खामी है तो संशोधन ला कर ठीक करना चाहिये। अगर हमारा कोई अधिकारी पैसा वसूल करने में ढिलाई दिखाता है, कमजोरी बताता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट बैंक कर्ज देता है-डिस्ट्रिक्ट बैंक को राजस्थान कोआपरेटिव बैंक कर्ज देता है-सरकार प्रत्यक्ष रूप में नहीं आती पर आखिर पैसा तो सरकार का ही है।

मैं सदन के सामने इस बात को मानता हूँ कि यदि हिन्दुस्तान में कोआपरेटिव मूवमेंट फैल हो गया तो न जाने हमारे प्रजातन्त्र का क्या होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर हमें इसको सफल बनाना है तो अपने कानून में जो कमियां हैं उनको देखना होगा और जहां जहां पर कमी है ठीक करना होगा।

# Page No.82



( डा० बहादुरसिंह )

माननीय मंत्री महोदय बता सकते हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के लिये हमने एडवाइजरी कमेटी कायम की है, कन्सोलिडेशन बोर्ड कायम किया है मगर मैं यह कहूँगा कि वे एक फोरमेलिटी के तौर पर होते हैं और मैं उनको फोरमेलिटी के तौर पर ही मानता हूँ। मैं भी उसका एक सदस्य हूँ। मैं जानता हूँ कि उसमें क्या होता है। लेकिन यह निश्चित तौर से कि किस जगह क्या कमी है, हमारा मूवमेंट किन कारणों से कमजोर है इसके लिये सदस्यों की कमेटी बनाना उपयुक्त है। मैं इसलिये इसको उपयुक्त मानता हूँ कि माननीय सदस्य उन स्थानों के लोग हैं जहां इस प्रकार की गड़बड़ी होती है। वे लोग जानते हैं कि हमारे यहां किस प्रकार के लोग गड़बड़ी करते हैं और क्या गड़बड़ी करते हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय के समक्ष एक ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा उन्होंने कहा कि ट्रान्सपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी को बस के पर्मिट नहीं हैं, यह मेरी कोई शिकायत नहीं है, मेरी शिकायत दूसरी तरह की है। मेरी शिकायत यह है कि जो कमेटी बनाई जावे वह उस स्थान के बड़े बड़े सेठों या उन लोगों की नहीं बनाई जावे जिनके पास पैसा हो और जिन लोगों के पास पैसा नहीं हो उन लोगों की बनाई जावे और सरकार को चाहिये कि सेठ या पैसे वाले लोगों को सदस्य बनाने पर बैन लगा दे। सरकार को चाहिये कि उनके अन्दर इस प्रकार के लोगों को रखें जो ड्राइवर हो, क्लीनर हो या मजदूर हों। अब आप उनके लिये यह कह सकते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। मैं यह कहूँगा कि उनको इसके लिये आप बैंक से पैसा देने की व्यवस्था करें। अगर आप मालदारों की कोआपरेटिव सोसाइटी बनावेंगे तो इस प्रकार की सोसाइटी से कोई फायदा नहीं होगा।

हमारे यहां धौलपुर में ट्रान्सपोर्ट सोसाइटी है। उनका एक गेंग है जो कोआपरेटिव मूवमेंट के नाम पर अपना धन्धा करना चाहते हैं। अगर आप वास्तव में यह चाहते हैं कि ट्रान्सपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी रन करे तो आपको चाहिये कि आप मोटर ड्राइवरों, क्लिनरों और मजदूरों को ही उनके शेयर दिलावें। जो लोग श्रम करने वाले हैं वे श्रम से और मजदूरी से और जो लोग पैसे वाले हैं पैसा दे कर काम करेंगे। मगर होता यह है कि ड्राइवरों और क्लीनरों के नाम पर यह कमेटी बनी है वह उनका शोषण करती है और कोई ड्राइवर अगर चाहता है कि वह उसका सदस्य बने तो वह उसका सदस्य नहीं बन सकता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि ट्रान्सपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी सच्चे माने में बनाना है तो इस प्रकार बनावें कि उसमें ड्राइवर और क्लीनर व मजदूर ही सारे सदस्य हों। अगर उनको पैसे की जरूरत हो तो उनको बैंकों से पैसा दिलाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि वे इस कोआपरेटिव मूवमेंट को अच्छी तरह से देखें और जो प्रस्ताव है उसको अच्छी तरह से देखें।

अब एक सवाल है मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज का। मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी जिसकी जीप माननीय सदस्य जो बाजार में जाते हैं उस जीप को अच्छी तरह से मार्केट में घूमती हुई देख सकते हैं। उस पर राजस्थान क्रय विक्रय शब्द लिखे हैं, मैं

( डा० बहादुरसिंह )

यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें इस प्रकार के जो संगठन हैं उनमें किन किन लोगों को लाना चाहिये, किन किन लोगों का काम है इस बात पर ज्यादा विचार करना है। हमें इस प्रकार के रूल्स बनाने चाहिये कि कोई व्यक्ति जिसके पास ज्यादा पैसा हो उसको इस सोसाइटी का सदस्य नहीं बनाया जावे। इसके अलावा वह सदस्य जो उसका काम नहीं करता है उसको भी उस सोसाइटी का सदस्य नहीं बनाया जावे। जैसे मैं खेती का काम करता हूँ तो खेती की कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ही सदस्य बन सकूं। अगर मैं कोई मजदूरी करता हूँ किसी विशेष वर्ग की, मान लें मोटर ड्राइवर का काम करता हूँ तो मोटर ड्राइवरों की सोसाइटीज का ही सदस्य बनाया जावे। मार्केटिंग सोसाइटी के सदस्य बनने के लिये मैंने थोड़े से रूल्स देखे। इसमें ऐसा होता है कि एक वर्ग इस बात की वहां के स्थानीय अधिकारियों से मिल कर कोशिश करता है कि हमारी सोसाइटी बन जावे। चाहे वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो चाहे विलेज लेवल पर या तहसील लेवल पर हो, सोसाइटी बन जावे। उसके बाद वे सदस्यों को बढ़ा कर अपना उस सोसाइटी पर कब्जा कर लेते हैं और धीरे धीरे उस पर अपनी मेजोरिटी लाकर मोनोपोली कर लेते हैं। इससे हमारी सहकारिता की जो नीति है वह पूरी नहीं होती और एक प्रकार का मेफा निकल आता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रस्ताव है उस पर माननीय सदस्य गम्भीरता से विचार करेंगे और मेरा जो संशोधन है वह इसलिये है कि सदस्यों की संख्या इतनी रखी जावे, इसमें माननीय मंत्री चाहें तो कम-ज्यादा की जावे तो जितने सदस्य माननीय सदस्य रखने चाहें, कर सकते हैं या दूसरा जरिया भी अपना सकते हैं।

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में कुछ शब्द सदन के सामने यों कहना जरूरी समझता हूँ कि जहां तक मैं इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को, अभी जो जिस हालत में है, उसको अगर यह कहूँ कि it is no longer a movement but it is in a stage of stagnation and decay और क्यों वह stagnation and decay की स्थिति में पहुंचा, वह गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव पालिसी की वजह से नहीं न इस वजह से कि सहकारिता के सिद्धान्त है वे खराब हैं मगर उस पॉलिसी और कानूनों को एक्सेप्ट करने की वजह से इस मूवमेंट को stagnation and decay लाने का, जिसका मैं यह नहीं कहता कि श्रेय माननीय मंत्री पर है मगर इतना जरूर कहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय पर इतने पोर्टफोलियोज हैं कि कम से कम वे इस डिपार्टमेंट को निगलेक्ट करते हैं या जितना ध्यान देना चाहिये नहीं दे सकते हैं। यह जैसा कि मैंने कहा कि सहकारिता का जो सिद्धान्त है उन पर दो राय नहीं हो सकती। मगर इसके एग्जिक्युशन पर सदन में दो राय हो सकती हैं। सहकारिता कोआपरेटिव मूवमेंट राजस्थान में या इण्डिया में गरीब आदमियों के लिये चला था, चाहे फार्मिंग का हो चाहे सर्विस या मार्केटिंग कोआपरेटिव हो मगर इस मूवमेंट को गरीबों की रक्षा के लिये किया गया था उसको आगे नहीं बढ़ाया गया मगर जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हैं, जो जागीरदार हैं उन्होंने सबसे पहले कोआपरेटिव सोसाइटीज बना ली

( श्री श्रीभानसिंह )

और वे रजिस्टर्ड की गई। जब वेस्टेड इन्ट्रेस्ट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं तो हमें निश्चय यह मान कर चलना है कि जिस ध्येय और उद्देश से कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना की गई थी यह उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते और मैं निश्चय तौर से सकता हूँ कि इस डिपार्टमेंट की अगर यही हालत रही तो शायद भारतवर्ष में यह पहला डिपार्टमेंट होगा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सिद्धान्तों को डिफीट करने वाला होगा और कोअपरेटिव सिद्धान्तों पर सेबोटेज करने वालों में सबसे पहला इसका नाम रहेगा। मैं यह जो कह रहा हूं, बिना तथ्यों के सदन के सामने नहीं कह रहा हूं। जितनी सहकारी सोसाइटीज बनी हैं, अलग अलग ब्योरा दिया है। अभी जो (अश्रव्य) का उदाहरण दिया जा बीकानेर में हैं। यही नहीं अभी कोआपरेटिव है उसके भी माननीय चैयरमैन पर, किसी भी राजस्थान के कौने में आप चले जावें, अपने यहां २० हजार सोसाइटीज हैं उनमें से कम से कम दो तीन हजार तो ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटीज होंगी जिनको गबन आदि में खत्म करनी पड़ी होंगी। बाकी की सोसाइटीज ऐसी होंगी जिनकी सोसाइटी नहीं बननी चाहिये थी उनकी सोसाइटीज माननीय मंत्री, रजिस्ट्रार से बनी। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता लेकिन सदन में प्रश्नों के जरिये ऐसी सोसाइटी की चर्चा हो चुकी है जिस सोसाइटो को लैंड अलॉट नहा हुआ, बिना लैंड अलॉट हुए लोन मिल गया और उनमें से कोई एक भी फार्मर नहीं है। इस तरह अजमेर के अन्दर भी सोसाइटी, जेठाना जमींदार कोआपरेटिव सोसाइटी के नाम से बनी। वहां पर १४ हजार के गबन का मामला था। वहां के ऑनरेरी सेक्रेटरी ने शायद राष्ट्रपति से लेकर राजस्थान सरकार तक सब को लिखा कि इस सोसाइटी में १४ हजार का गबन है, इसको पुलिस में दीजिये। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्योरिफाई करने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया गया, हां। इसको करप्ट करने के लिए जरूर स्टेप लिया गया। फतेहनगर मल्टीपर्पज कोआपरेटिव सोसोइटी, आदि इन सारी सोसाइटीज को मल्टीपल करिये, गबन हैं करप्शन हैं, एम्बेजलमेंट हैं, किन्तु किसी को भी लिक्विडेट नहीं किया और बदस्तूर रखा। भरतपुर में जनता ट्रान्सपोर्ट के नाम से कोआपरेटिव सोसाइटी चल रही है, उसके लिक्विडेटर अपाइन्ट किये किन्तु जनता ट्रान्सपोर्ट सोसाइटी के लिक्विडेटर बने हुए उसके मालिक ही बन गये और जनता ट्रान्सपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी के नाम से उसको चला रहे हैं और कोआपरेटर्स मथुरा आगरा के हैं और वे उनका फायदा उठा रहे हैं। जो स्टेप करप्शन को रूट आउट करने के लिए लेना चाहिये था वह नहीं लिया किन्तु जैसा मैंने कहा कि करप्शन को बढ़ावा देने के लिए और कम से कम मेरी यह मान्यता होती जा रही है कि माननीय मंत्री महोदय के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कुछ जातिवाद की छाप और लगती जा रही है और यह राजस्थान का दुर्भाग्य है, यह सर्विसेज का दुर्भाग्य है कि आज किसी को अगर अनूपेट्रियोटिक कह सकते हैं तो सर्विसेज के आदमियों को कह सकते या उन आदमियों को कह सकते हैं जो सर्विसेज में जातिवाद की छाप लाते हैं और यह तथ्यों के बिना नहीं है। परसों ही कोई मिस्टर नाहरसिंह जिनको पंचायत में रिजेक्ट किया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन ने एप्रूव नहीं किया, उनकी पोस्ट पंचायत में एबो—

( श्री श्रीमानसिंह )

लिश हो गई क्योंकि माननीय मंत्री महोदय के नीचे लाना चाहते थे, उनको असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार लिया गया और लेकर उनको पूना ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। मैं बिलकुल निश्चय के साथ, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ कह सकता हूँ कि जो पंचायत में नहीं कन्फर्म हो सके वे कोआपरेटिव में हुए असिसटेन्ट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार। रूल्स क्यों एग्जामिन होने चाहिये ? मैं नहीं कहता कि रूल्स खराब हैं, लेकिन जो और जिस तरह से आज उनका इन्टरप्रेटेशन हो रहा है, एग्जक्यूशन हो रहा है वहां है खराबी तो। यही नहीं धौलपुर के श्री विश्वनाथसिंह सोशियल वैलफेयर में थे लेकिन सोशियल वैलफेयरसर्विस में वे ठीक नहीं कर सके, उनकी जरूरत थी कोआपरेटिव विभाग में और उनको भी असिसटेन्ट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव्ज लिया गया। वहां जगह है, यह नहीं कि सोशियल वेलफेयर की जगह सुपरफ्लुअस हो गई लेकिन चूंकि छः सात महिने गवर्नमेंट होस्टल में रहने से रिकमन्डेशन के पैमाने से बैक डोर एन्ट्री कोआपरेटिव में हो गई। इतने इन्स्टान्सेज बताये जा सकते हैं कि कोआपरेटिव एक क्लोज और कम्युनिटिव का क्लाज़ प्रिजर्व है और नहीं है तो माननीय मंत्री महोदय बतायें कि कितने टेम्प्रेरी एपोइन्टमेंट्स किन किन के किये और उनके क्या क्या नाम हैं। कोआपरेटिव की रिक्विजिशन डिमान्ड पब्लिक सर्विस कमीशन के पास नहीं भेजी जाती है और डिपार्टमेंट ही खुद एपोइन्टमेंट करता है। किनको करता है ? जिनको मैंने कहा कि as a close preserve of caste and community. बार बार इसीलिए रेफर कर रहा हूं कि यदि यहां लिस्ट दी जावेगी तो पर्सेन्टेज ज्यादा ही मालूम पड़ेगा। यही नहीं विदेशों में जाने के लिए भी एक पर्टीकुलर कम्युनिटी और कास्ट के आदमियों को रिकमन्ड किया जाता है, कोआपरेटिव यूनियन बनाई जाती है, जो कोआपरेटिव वर्कर नहीं रहे हैं उनको रूस भेजा जाता है। उनको क्या कोआपरेटिव का एक्सपीरियेन्स है, क्या वे कोआपरेटिव और कन्ज्यूमर्स के लिए समझते हैं। वे ताशकंद होकर आ गये। न तो वे कोआपरेटिव के सिद्धान्त को ही समझते हैं और होकर आ गये रूस। जिस मूवमेंट के इतने लोडेबल प्रिन्सिपल्स हैं और इस देश में इसको इसीलिए चलाना चाहते हैं कि जनतन्त्र की नीव मजबूत हो। अनपढ किसानों को क्रेडिट का फायदा मिले, वे सहकारिता के सिद्धान्तों को समझें और उनको समझ कर जनतन्त्र के सिद्धान्त को समझें। उन किसानों के समक्ष जनतन्त्र के सिद्धान्त में जातिवाद आता है, सहकारिता के सिद्धान्त में जातिवाद आता है, जनतन्त्र में जातिवाद का कीड़ा आता है तो वे समझेंगे कि जनतन्त्र भी जातिवाद के लिए है, जनतन्त्र के सिद्धान्त भी जातिवाद के लिए है और डेमोक्रेसी भी जातिविशेष के लिए ही है, जनता और पीपुल के लिए नहीं है। यह उनका हो जावेगा। यदि यह कोआपरेटिव मूवमेंट सिद्धान्तों से हीन हुआ और जातिवाद का यह कीड़ा रहा तो कोआपरेटिव मूवमेंट आपका सक्सेस नहीं होगा।

मैं ज्यादा इन्स्टान्सेज सदन के सामने नहीं देना चाहता मगर ये सब चीजें ठीक कैसे हो सकती हैं ? वे ठीक हो सकती हैं जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि आप इस सदन की एक समिति बनाइये। सदन की एक समिति बनाने में आखिर आप डरते क्यों हैं? अगर रूल्स का एग्जीक्युशन ठीक है, रूल्स

# Page No.86



(श्री श्रीमानसिंह )

का इन्टरप्रिटेशन और एक्जीक्युशन ठीक प्रकार से किया गया है, और ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है तो आपको फिर डरना नहीं चाहिये। डरते यों हैं - एक इन्सपेक्टर जो टोप कर रहा है, उनका ट्रान्सफर होता है, फिर रुक जाता है और एम.एल.ए. शिकायत करने जाते हैं तो रजिस्ट्रार साहब उनको दफ्तर से बाहर निकाल देते हैं, यदि लिखित में देते हैं तो माननीय मन्त्री महोदय कोई एक्शन नहीं लेते। ये दफ्तर आपके एम.एल.एज को इन्सल्ट करते हैं। क्यों? कम्प्लेन्ट की। उन एम. एल. ए. साहब ने कोई कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई, उसको रजिस्ट्रार ने रजिस्टर नहीं किया क्योंकि एम. एल. ए. की बनाई हुई थी और इन्सपेक्टर को इन्स्ट्रक्ट किया कि दूसरी सोसाइटी बनायें, मैं रजिस्टर कर दूंगा। उन्होंने कम्पलेन्ट की कि जो सोसाइटी मैंने पहले बनाई थी उसको रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से मना करते हैं। ओफिशियल एजेन्सी का यह डाइरेक्टिव था कि दूसरे बनावें सोसाइटी तो रजिस्टर कर लो। यह तो पक्षपात हो गया। यह कोआपरेटिव मूवमेंट क्या हुआ, यह तो पक्षपात का मूवमेंट हो गया। यह पार्शियलिटी, बायस्ड भ्रे और प्रिजुडिस्ड हो गये। जिस मूवमेंट के पीछे बिसेज का ट्रक लोड करे वह मूवमेंट गुड नहीं हो सकता है। यदि गुड है तो आपको उसको करप्ट कर दिया. ठीक नहीं रखा उसको और जब कम्प्लेन्ट करने जांय, एम. एल. ए. की ड्यूटी है वह पूरी करे। कम्पलेन्ट करने के लिए रजिस्ट्रार साहब यह कहें कि "You leave my office otherwise I am calling the police to turn you out."

(३. ३०. म. प.)

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

यह इस डिपार्टमेंट के अन्दर एम. एल. एज. की इज्जत है ये शिड्यूल्ड कास्ट के एम. एल. ए. की इज्जत है इस विभाग के रजिस्ट्रार के सामने। जिनके लिये आप सहकारिता का नारा लगाते हैं, जिनकी सहकारी समितियां आप बना रहे हैं, जिनके सोशियल इकोनोमिक स्टेटस को ऊपर लाने के लिये सरकार और माननीय मंत्री महोदय सतर्क हैं। लेकिन जब इस नीति को क्रियान्वित करने का सवाल आता है तो शिड्युल्ड कास्ट के एम. एल. ए. के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है। यह इन्सटान्सेज हैं। आपके डिपार्टमेंट के सामने आपकी जो कोआपरेटिव मूवमेंट की पालिसी है, उसके एग्जीक्यूशन के जो तरीके हैं वे मैंने आपके सामने रखे। अब इसमें क्या अच्छी चीज है यह मुझे नजर नहीं आती। सोसाइटीज के फीगर्स बताये जायेंगे - फर्स्ट प्लान के अन्दर यह टार्गेट था-हमने इसको इतना एक्सटेन्ड किया सेकन्ड में। यह कर लिया मगर इन सोसाइटीज की फाइनेन्शियल पोजीशन को देखा जाय तो वह किसी से छिपी नहीं है। सोसाइटीज के प्रिन्सिपल्स को एक्जीक्यूट करने का सवाल आता है तो वहां पर्सनल अकाउन्ट में पैसा रहता है। एक सोसाइटी में तो यह इस कदर विद्यमान है कि उस मेम्बर की मृत्यु हो गई फिर भी उसकी पास बुक चल रही है और उसके नाम से कोई न कोई पैसा लेता आ रहा है, कोई न कोई सदस्य पैसा ड्रॉ करता आ रहा है। एक्शन को रिअलाइज करने के लिये एक्शन हो सकते हैं। आज की बात नहीं, इस तरह की संख्या पांच छः साल से चलती आ रही है। पास बुक के जरिये दूसरे सदस्य ड्रा करते आ रहे हैं यह बात आपके

(श्री भीमानसिंह)

भी नोटिस में है और डिपार्टमेंट के भी नोटिस में है लेकिन एक्शन हो नहीं सकता। एक्शन क्यों नहीं हो सकता, इसका जवाब तो माननीय मंत्री महोदय ही देंगे।

सोसाइटियां बनती हैं ? अपने रिश्तेदारों को सेक्रेटरी, क्लर्क आदि बना देते हैं। उसके लिये रजिस्ट्रार से यहां से सैंक्शन होना जरूरी है लेकिन उसके बिना भी चल रहे हैं जब रजिस्ट्रार से यह कहा जाता है कि उन लोगों को हटा दीजिये क्योंकि आपकी स्वीकृति नहीं हुई लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता। वे नियुक्तियां बराबर चलती रहती हैं। इस तरह से यह विभाग ऐसे दलदल में फंसा हुआ है कि इस दलदल से इसको निकालने के लिये बहुत करेज, स्ट्रेन्थ और डिटरमिनेशन की जरूरत है। जब तक करेज और डिटरमिनेशन नहीं होगा, माननीय मंत्री महोदय इस दलदल से इसको हटा नहीं सकेंगे। जिस तरफ भी आप दृष्टि डालिये सभी ओर यही आपको दिखाई देगा। इन्स्पेक्टर्स बहुत अच्छी रिपोर्ट दे देते हैं। जहां तक मुझे याद है रिजर्व बैंक के आर्डर्स हैं जो कि जो ग्रेजुएट न हो उसको असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार न बनाया जाय और न उसको ट्रेनिंग में ही भेजा जाय। इस डिपार्टमेंट के अन्दर ऐसे ऐसे व्यक्तियों को असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार बना दिया है जो ग्रेजुएट नहीं हैं और उनको ट्रेनिंग तक के लिये भेज दिया गया है। इस प्रकार के, रिजर्व बैंक के इन्स्ट्रक्शन्स मोजूद हैं। इस प्रकार के आदेश होते हुए भी उनकी अवहेलना की जाती है। जो रूल्स या प्रिन्सिपल्स, लॉज और एक्ट्स आदि बने हैं उनकी बराबर अवहेलना होती है। जिस विभाग के बारे में इतनी समस्यायें आया करें, इस प्रकार की प्रोब्लम्स क्रोप हुआ करें उसके बारे में सदन के सदस्यों की समिति बना कर ही उसकी जांच हो सकती है। क्या इस प्रकार का प्रस्ताव गलत है ? इस पर यह कहा जाय कि यह इम्प्रेक्टिकेबल है या यह एग्जीक्यूट नहीं हो सकता—सदन सोवरिन है, आप इसकी कमेटी से डरते क्यों हैं। आपके विभाग की इतनी कम्प्लेन्ट्स होते हुए भी आप यह नहीं चाहते कि सदन की समिति बने। इसलिये मैं इस रेजोलूशन का समर्थन करता हूँ। जैसा कि इस प्रस्ताव के मूवर ने कहा कि यही एक चीज़ है जिससे आप डेमोक्रेसी को स्ट्रेन्थन कर सकते हैं। आप जहां कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपको इस मूवमेंट से इस डिपार्टमेंट को हटाना पड़ेगा। इस प्रकार का जो दलदल इस विभाग में पैदा हो गया है उसको दूर हटाना मैं समझता हूँ हमारे इस विभाग के मंत्री महोदय से असंभव है, उनकी तरफ से तो मुझे निराशा है। आज जिस प्रकार की नियुक्तियां इस विभाग में होती हैं उनको नियुक्त करने के लिये रूल्स को अमेंड कर दिया जाता है - जो कुछ अ[illegible]क्शन्स होते हैं विथ्ड्राअल्स के बारे में तो उनको रूल्स में अमेंडमेंट करके उसको रेगुलेराइज़ कर दिया जाता है। इस प्रकार की जो बातें हैं, जो जड़ पैदा कर गई हैं उनको हटाने के लिये यह सही कदम है कि विधान सभा के सदस्यों की एक समिति बना दी जाय। आज यदि ये बातें नहीं होती तो हम राजस्थान के अन्दर देखते कि यह कोआपरेटिव मूवमेंट बहुत फैल गया होता। आप इन्फ्लेटेड फीगर्स बता देते है लेकिन केवल फीगर्स से ही कोई कन्विन्स नहीं होते क्योंकि फेक्ट दूसरे हैं।

( श्री श्रीभानसिंह )

हमारी पार्टी का प्रिन्सीपल है कि जोइन्ट फार्मिंग को हम एन्करेज करें। हम अपनी पार्टी के प्रिन्सिपल को प्रेक्टिकल रूप देना चाहते हैं तो सब से पहले हमें इस विभाग को इन बीमारियों से दूर करना पड़ेगा और यह बीमारी तभी दूर हो सकती है जब कि सदन के सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाय जो इस बारे में जो तथ्य हों वे सदन के सामने रखा करें।

**श्री हरिप्रसाद यादव** (वल्लभनगर-सु०): माननीय चैरमैन महोदय, श्री पी० के० चौधरी ने जो प्रस्ताव रखा है, उस पर जो बहस हुई वह कोऑपरेटिव मूवमेन्ट के बारे में थी। उसको सुनने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरे कई माननीय मित्रों ने कोऑपरेटिव पर छींटाकशी करते हुए, सोसाइटीज़ का हवाला देते हुए बड़े जोशीले भाषण दिये, लेकिन मैं माननीय मित्रों से यह कह देना अपना कर्तव्य समझता हूं कि जहां मियां और बीबी दो एक साथ मिल कर नहीं रह सकते, वहां हजारों की संख्या में सोसाइटीज हैं, करीब, हमारे राजस्थान में आठ दस हजार सोसाइटियां हैं, उनमें से दो तीन हजार सोसाइटियों में गड़बड़ होती है तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे यहां जब पंचायती राज कायम हुआ सन् १६४७ में-सवर्ण और हरिजनों में जब आपने भेद करना शुरू किया-माननीय सदस्य बराबर कहते आये कि हरिजनों का सुधार करेंगे लेकिन जो शिड्यूल्डकास्ट के लोगों की सोसाइटी बनी हुई है उसकी निन्दा की जाती है। उस सोसाइटी में एकाउन्टेन्ट, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार और बड़े बड़े इन्स्पेक्टर्स आदि रहते हैं उसके बाद उसका ऑडिट करवाया जाता है, वे सब भाई-भतीजे हैं। अभी यहां भोपालसागर की सोसाइटी में गड़बड़ है ऐसा कहा गया। सहकारी विभाग के मंत्री महोदय ने कहा कि कुछ सोसाइटियों में इस प्रकार की गड़बड़ी है। भोपालसागर सोसाइटी में २०० के करीब मेम्बर हैं। वे मेम्बर ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और यदि उनमें से कई लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं और अन्टसन्ट बयान देते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। राजस्थान में आठ, दस हज़ार सोसाइटीज काम कर रही हैं उनमें कृषि सहकारी समितियां भी हैं और क्रय विक्रय समितियां भी हैं। उनके काम को बिगाड़ने के लिये कोई अन्ट सन्ट भाषण दे तो....

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य अन्ट शन्ट' शब्दों का प्रयोग न करें।

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : माननीय मंत्री महोदय ने ही माननीय सदस्य पर आरो० लगाया था। आपने लोन लिया था....

**श्री हरिप्रसाद यादव** : मैंने जो लोन लिया था वह वापिस लेते रहे हैं इसका मैंने स्पष्टीकरण कर दिया था। राजस्थान के अन्दर कोऑपरेटिव मूवमेन्ट शुरू हुआ-हमने अपने यहां पहली सोसाइटी बनायी, मैं आपसे यह कह देना चाहता हूं कि मैंने आपसे बहुत ज्यादा सोसाइटियां देखी हैं, हमारी सोसाइटी को कई देखने के लिये आये।

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Point of Order, Sir, The Hon'ble member is being very personal

**श्री हरिप्रसाद यादव** : आज आप सहकारी पद्धति को बढ़ावा देने की बात करते हैं। भारतवर्ष के इतिहास को उठाकर देखिये। यह झगड़ा सवर्णों और हरिजनों का बराबर चला

( श्री हरिप्रसाद यादव )

आया है और चलता रहेगा। आज इन बारह वर्षों में जो हरिजनों ने प्रगति की है और जितना इस सरकार ने ध्यान दिया है—जिससे कुछ लोग पढ़-लिख कर विधान सभा में बैठ सके हैं। आप देखेंगे यहां २० सदस्य हैं जो आपके सामने बैठते हैं, वाद-विवाद करते हैं और सही रास्ता बताते हैं। (हंसी) तो मैं आपसे निवेदन करूं कि एक सहकारी समिति जब बनाई जाती है तो चेयरमैन महोदय, गांव के बीस-तीस किसान हस्ताक्षर करके असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के यहां दरख्वास्त देते हैं। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार साहब इन्स्पेक्टर को भेजते हैं। इन्स्पेक्टर दस्तखत करने वालों से हर एक की, हिस्से की शेयर की रकम इकट्ठी करके बैंक में जमा कराता है। तो मैं निवेदन करूं कि जहां इन्स्पेक्टर और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार खुद जाकर गांव के सब दस्तखत करने वालों को बुलाकर सोसाइटी को रजिस्टर करता है और महीने दो महीने बाद बनती है। इसके बाद मेम्बरों की जायदाद का नक्शा, हैसियत का फार्म होता है उसको भरवा कर तहसीलदार पटवारी से तस्दीक कराकर कोऑपरेटिव का इन्स्पेक्टर लोन लाकर वितरण करता है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि कोई सोसाइटी का पैसा खा गया। कैसे खा जायगा? मैं तो इस विधान सभा का भी सदस्य हूं। तो मैं अपने अंग्रेजी जानने वाले, बोलने वाले साथियों से यह दावे के साथ कहूंगा कि आपकी और मेरी एक कैटेगरी है। मुझे भी तीन साल इसमें हो गये (हंसी) मेरे माननीय साथी लखपति और करोड़पति बन गये। अच्छे कोट और गरम कपड़े पहन कर आते हैं और मैं सद से बीमार हो गया, कोट नहीं था मेरे पास। लोगों ने यहां ७०), ७०) की कमीजें बनाई। पर मेरे पास तो कोट बनाने के लिये पैसा नहीं। (हंसी) तो मैं माननीय सदस्यों से तुलना करने बैठूं तो सारा दिन आपकी विधान सभा की कार्यवाही पांच घंटे बराबर, ८ घंटे में चला सकता हूं। (हंसी) तो जो लखपति और करोड़पति घर से आते हैं वे लाखों रुपये कहां से पैदा हुए? हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहिये कि सहकारी राज्य की उसने स्थापना की और सहकारी समितियां हजारों वर्क कर रही हैं। इसमें कोई छोटी है, कोई बड़ी है। तो आज तसल्ली से कहूं कि आपके पिताजी के यहां लाखों रुपया कहां से आया और आपकी आयुर्वेद की दुकान कहां से लगी? आप एक इन्जेक्शन बेचते हैं पांच रुपया वसूल कर लेते हैं।

(हंसी)

**श्री पी० के० चौधरी** Point of order. Sir. माननीय सदस्य बहुत पर्सनल हो जाते हैं। इतना पर्सनल तो नहीं होना चाहिये।

**श्री सभापति** : इसका कोई असर नहीं होता।

**श्री हरिप्रसाद यादव** : मैं कोऑपरेटिव मूवमेन्ट पर बोलता हूं।

**श्री श्रीभानसिंह** : But I can assure him that the case will not be withdrawn against him because it has already been committed in the House that he stands charged with some offence of embezzlement of some amount of a co-operative society.

**श्री सभापति** : Unfortunately he cannot follow English.

**श्री हरिप्रसाद यादव** : मैं किसी पर चार्ज नहीं लगा रहा हूँ। मैं एक दिन माननीय चेयरमैन महोदय, एक बात कर रहा था उन अजीज दोस्तों से। वे अंग्रेजी में बोल रहे थे, मैंने उन्हें हिन्दी में कहने के लिये निवेदन किया था।

**श्री सभापति** : आप व्यक्ति विशेष पर भाषण न दीजिये। आप आम भाषण दीजिये, सहकारिता पर।

**श्री हरिप्रसाद यादव** : मैंने सहकारी समितियों का विवरण दिया। सहकारी अधिनियम, राजस्थान में साफ लिखा है, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं। मुझे पांच पचास व्यक्तियों के साथ काम करने का अवसर मिला है। मैं एक सामूहिक कृषि सहकारी समिति का चार वर्ष तक मैनेजर रहा। उसके ६७ मेम्बर्स थे। मैंने उनकी गालियां भी सुनी हैं - साला बाबू बना फिरता है। पर मैंने काम किया। गालियां भी सुनीं और सहकारी समिति का मैनेजर रहा। माननीय सदस्यों को रस आया होगा। (हंसी) वे भी कोऑपरेटिव में समझते होंगे। तो मैं अपने अजीज दोस्तों को अपना सहकारी समितियों का सम्पर्क बताता हूँ। मैंने काम किया है और आज सहकारिता का ही प्रस्ताव है। मैं उसी पर बोल रहा हूँ। तो मैं निवेदन करूं कि जहां शिड्यूल्ड कास्ट और दूसरे लोग अपनी सोसाइटी बनाते हैं तो सवर्ण कॉस्ट के लोगों के तो बंगले बन गये। सी स्कीम में बंगले हो गये और मैं एक एम. एल. ए. हूँ शिड्यूल कास्ट का। मामूली झोंपड़ियों में रोता फिरता हूँ। तो मैं सथियों से निवेदन करूं कि वे रचनात्मक कार्य करें, स्कूल खोलें, बोर्डिंग के लिये सहायता दिलावें, हमें बढ़ाकर अपने लेवल पर लावें तो सहकारिता की बात है। (हंसी) यह सहयोग की बात है, सहकारिता की बात। यह करने के बजाय जिन्दा को ही गाढ़ने की नौबत सदन में पैदा कर दी। तो फिर क्या हमारी सरकार करेगी। (हंसी)

तो माननीय चेयरमैन महोदय, मैं निवेदन करूं कि जैसे मेरे साथियों ने, वो मेरे से ज्यादा शिक्षित हैं, उन्होंने अपनी भाषा में कहा और मैंने अपनी ब्रज भाषा में। मेरे पिताजी ब्रज के रहने वाले थे। मैं अयोध्या में रहने वाला अपनी हिन्दी में कहूँ और मेरे अंग्रेजी पढ़े-लिखे साथी ऊंची हिन्दी अंग्रेजी में। वे बुरा मानें तो कोई बात नहीं। डर तो मुझे है नहीं। डर तो मैं जमुनाजी में छोड़ आया। (हंसी) उन्होंने बी. ए., एम. ए. किया होगा तो साहित्यरत्न मैंने भी किया है। इसलिये साथियों से निवेदन करूंगा कि डरावें नहीं, कानून अच्छा बनावें ठोक-पीट कर बनावें। कमेटी बने तो नाराज न हों। सोसाइटियों का असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार निरीक्षण करते हैं, इन्स्पेक्टर निरीक्षण करते हैं। हजारों रुपया खाते हैं, कहते हैं, यह कैसे हो सकता है सरकारी अफसर किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। आप और हम तो फिसल जाते हैं पर वे नहीं। (हंसी) तो माननीय चेयरमैन महोदय, सहकारिता के विषय में मैं निवेदन करूं कि हमारा राजस्थान प्रदेश बहुत बड़ा है सारे हिन्दुस्तान में। प्रधान मन्त्री जवाहरलालजी नेहरू ने भी कहा है, नागौर भी में बड़ा है। पंचायत शासन की बागडोर

# Page No.91



( श्री हरिप्रसाद ादव

कैबिनेट को दी है। तो जयसमन्द की झील पर भारत के डेवलपमेंट मिनिस्टर एस.के.डे साहब गये। मैंने उनसे भी प्रश्न पूछा। जैसे मेरे जैसों की टीका टिप्पणी की तो मैं निवेदन करूं, मैंने पूछा, आप यह डवेलपमेंट कर रहे हैं इसका कुछ फायदा मिला, उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं राजस्थान के मिनिस्टर जानें। हम भी कहते हैं कि राजस्थान के मिनिस्टर से आप भी लड़ें। और हम भी लड़ें फिर बैठकर सहयोग से निकलें।

( हंसी )

अरे भोले भाइयों, जब राजस्थान में १२ वर्ष से हरिजन सवर्णों को मिला रहे हैं, जब दो व्यक्ति नहीं एक लेवल पर आये तो वे सहकारी समितियां जिनके सैकड़ों मेम्बर है। वे कैसे एक हो सकते हैं, पांचों अंगुलियां कैसे बराबर हो सकती हैं। ७५ फी सदी मेम्बर तगड़ी हिन्दी नहीं जानते। यहां श्री जनार्दनराय नागर और व्यासजी जैसे बोलते हैं तो मेरे साथी कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत से भाई अंग्रेजी भी नहीं जानते। मैं भी नहीं समझता। साहित्य रत्न हूँ इसलिये हिन्दी में तो मैं भी कह सकता हूँ, समझ लेता हूँ। हम भी आपसे सीख रहे हैं। हमें इसी तरह राजस्थान को खुशहाल बनाना है। तो आपको हमको, सबको मिलकर कार्य करना पड़ेगा। जहां गवर्नमेंट लेवल पर कमेटियां बनी हुई हैं तो जहां चौधरी साहब ने कमेटी बनाने को प्रश्न पैदा किया है तो मैं मेरे शिड्यूल्ड कास्ट के विधान सभाई सदस्यों की ओर से निवेदन करूं कि गवर्नमेंट लेवल पर जितनी बनी उनमें हरिजन मेम्बर कितने हैं। उन कमेटियों से कोई फायदा नहीं। हमारा देश का पैसा उन लोगों के टी.ए.डी.ए. में चला जाता है। गवर्नमेंट के अफसरों पर भरोसा करें। उनसे कहें। वे न्याय करेंगे।

अब सहकारिता पर मैं आपको बताते हुए निवेदन करूं कि राजस्थान में ८-१० हजार हैं।

(हंसी)

तो इसमें कोई नरम है, कोई गरम हैं।

(हंसी)

उसकी जांच करिये, न्याय करिये। आपस में कटा-कटी मत करिये। आप झगड़ेंगे, हम बिगड़ेंगे इसमें। मैं निवेदन करूं कि सहकारिता भी आज का नारा है। लोगों ने हमें चुनकर पंचायत राज्य का नुमाइन्दा बनाकर यहां भेजा है। किसान मजदूर और व्यापारियों ने यहां चुनकर भेजा है। ऐसे लोग यहां रक्खे हैं जो सस्ता न्याय देंगे। उधर तो यह होगा पंचायतों में और यहां हम लड़-लड़ कर मर रहे हैं।

(हंसी)

वादविवाद करते हैं, तर्कवितर्क करते हैं। कोई नीचा बताता है, कोई ऊंचा बताता है।

(हंसी)

तो निवेदन करूं कि हमारी सहकारिता तभी बढ़ सकती है जब हम सहकारी राज्य के नुमाइन्दे बनकर यहां आये हैं लाखों लोगों ने हमें उम्मीदवार बनाकर भेजा हैं। हम जीत कर दो-दो मन के फूलों के हार डालकर आये हैं।

(हंसी)

( श्री हरिप्रसाद यादव )

पर यहां आकर लड़ते झगड़ते रहें और रोष निकालें तो उससे फायदा क्या ?

(हंसी)

इसलिये निवेदन करूंगा कि हमारी सहकारिता के जो बढ़ते हुए भाव हैं, बढ़ें और हमारा राजस्थान खुशहाल हो ।

(हंसी)

**श्री शंकरलाल** ( रायपुर ) : सभापति महोदय, जो यह प्रस्ताव सदन में आया है और जिस रूप में आया है मैं उसका विरोध करता हूं........

**श्री सभापति** ( श्री आबिदअली ) : मैं थोड़ासा निवेदन कर दूं । यह जो डिस्कशन है यह ४ बजे तक समाप्त हो जाने को है इसलिए माननीय सदस्य हाउस की सेन्स को देखते हुए कम से कम समय लें ।

**कुछ माननीय सदस्य** : ४ तो बजने-वाले हैं ।

**श्री सभापति** : ४ बजे तक सही । आप अपना भाषण संक्षेप में कहें ताकि सब क मौका मिल जाये ।

**श्री शंकरलाल** : तो सभापति महोदय, इस प्रस्ताव के अन्दर इस बात की मांग की गई है कि इस सदन के ५ सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाये और वह इसलिए बनाई जाये कि गवर्नमेंट की जो कोआपरेटिव मूवमेंट के बारे में पालिसी है उसकी जांच करे और कोआपरेटिव सोसाइटीज़ कैसे वर्क कर रही हैं उसकी जांच करे। सभापति महोदय, मैं यह तो नहीं कहता कि सहकारिता के आन्दोलन को सफल बनाने के लिए जो हमारा उद्देश्य था वह राजस्थान में पूरा हो गया है । साथ ही मैं यह भी नहीं कहता कि हमारे राजस्थान में सहकारिता का आन्दोलन पूर्ण रूप से ठीक चल रहा है । लेकिन प्रस्ताव में दो बातें कही गई हैं पॉलिसी ऑफ दी गवर्नमेंट को एग्ज़ामिन करने के लिए और सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हमारी जो पॉलिसी है कोआपरेटिव मूवमेंट के बारे में वह खराब नहीं है और क्योंकि हमारी जो सहकारिता की पालिसी है वह अधिकतर केन्द्रीय सरकार की पालिसी के ऊपर निर्भर करती है । जो सहकारिता का आन्दोलन है वह किसी एक प्रान्त का नहीं रह कर भारत का आन्दोलन है और हमारी राज्य सरकार को भारत सरकार की नीति पर अधिकतर चलना पड़ता है । जो हमारी राज्य सरकार की पालिसी है किस प्रकार से मूवमेंट चलना चाहिए, किस प्रकार की सोसाइटीज़ बनानी चाहिए और उनको किस प्रकार के लोन देने चाहिए यह आज हमारी पालिसी है जहां तक मैं समझता हूं, बहुत हद तक हमारी राज्य सरकार भारत सरकार से और प्लानिंग कमीशन से गाइड होती है। तो इसलिए हमारा राज्य कोई अलग सहकारिता की पालिसी बनाये, यह सम्भव नहीं है । मैं समझता हूं कि इस पर न तो प्रस्तावक महोदय ने कोई रोशनी डाली है और न समर्थन में बोलने वाले किसी माननीय सदस्य ने उस पालिसी को क्रिटिसाइज़ किया है । यह बात जरूर है कि उस पालिसी का एग्ज़ीयुक्शन प्रोपर नहीं होता । हमारी जो पालिसी है और हमारा जो उद्देश्य है और जिस प्रकार का आन्दोलन है वह पूरा नहीं

( श्री शंकरलाल )

होता और वह इसलिए पूरा नहीं होता कि इसकी बहुत कुछ जिम्मेदारी इस कारण है कि जो एग्जीक्यूट करने वाला स्टाफ है, मैं समझता हूं कि वह इसके पूर्ण योग्य नहीं है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, कि इसका हमें अनुभव है कि जो असिसटेन्ट इन्सपेक्टर कोआपरेटिव मूवमेंट हैं जो कि गांवों में जाकर किसान और मजदूरों की कोआपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं उनको स्वयं को ज्ञान नहीं होता कि किस प्रकार की हमारी गवर्नमेंट की पालिसी है और किस प्रकार की आपरेटिव सोसाइटीज बनेंगी और कोआपरेटिव सोसाइटी बनाने का क्या तरीका है। मैं समझता हूं कि उनको स्वयं को इस बात का ज्ञान नहीं होता मैं आपको व्यक्तिगत एक्सपीयरीयेन्स बताऊं। असिसटेन्ट इन्सपेक्टर तो क्या इन्सपेक्टर, असिसटेन्ट रजिस्ट्रार तक को कोआपरेटिव फार्मिंग के सिलसिले में कि कितनी प्रकार की कोआपरेटिव फार्मिंग होती है, नहीं मालूम है। मुझे बहुत ताज्जुब होता है इस पर लेकिन इसकी जिम्मेदारी केवल सरकार पर नहीं है। क्योंकि सहकारी आन्दोलन को चलाने वाला जो सरकारी स्टाफ है वह पूरी तरह ट्रेन्ड नहीं है। अब जो नियुक्तियां की जाती हैं वह ग्रेजुएट लिए जाते हैं पर सिर्फ ग्रेजुएट हो जाने से वह पूरी तरह ट्रेन्ड नहीं हो जाते। जो ट्रेनिंग का सिलसिला हमारे राजस्थान में आज कल चल रहा है उसको राज्य सरकार ने ज्यादा बढ़ाया है। उसके लिए मैं तो समझता हूं कि सरकार इस बात को महसूस करती है कि हमारा स्टाफ ट्रेन्ड होना चाहिए और एक साल पहले जो इस ओर गति थी उससे गति कुछ ठीक होने लगी है। लेकिन जो हमारी पालिसी एग्ज़ीक्यूट नहीं होती है उसका कारण यही है कि हमारा स्टाफ योग्य नहीं है। साथ ही इसके लिए मैं और भी निवेदन करूंगा कि असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर जो कि गांवों में जा जाकर मूवमेंट का बीड़ा उठाते हैं, गांवों में जाते हैं वे इसके ज्यादा जानकर होने चाहिए और उसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह देखे कि कोई भी असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर जो कि ट्रेन्ड न हो वे गांवों में न जायें। इससे हमारी सहकारी की नीति का मखौल होता है।

इसके अलावा जो दूसरी बातें कही गई उसके संबन्ध में कोआपरेटिव सोसाइटी के बारे में बतलाऊं कि बहुत सी जगह गबन होता है, यह बात बिलकुल ठीक है। सोसाइटीज़ में बहुत हद तक गबन के मामले हुए हैं लेकिन मैं समझता हूं कि इससे केवल सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। जो यह करप्शन और भ्रष्टाचार का चार्ज है केवल सहकारी विभाग में ही नहीं है या इसके बारे में किसी संबन्धित मन्त्री पर या राज्य सरकार के बारे में कहने से कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है, उससे हमारी जिम्मेदारी चली नहीं जाती है। यह चार्ज करीब करीब बहुत से विभागों के ऊपर है। जिस प्रकार सोसाइटीज़ के अन्दर गबन होता है तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या सरकार की पालिसी के कारण होता है? वह इसलिए होता है कि हमारी जो सोसाइटीज़ बनती हैं और जो सोसाइटीज़ बनती हैं और सोसाइटीज़ बनाते हैं उन लोगों की नीयत साफ नहीं होती है और उनकी नीयत खराब करने की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है बल्कि उनकी खुद की जो भावना है और उन्होंने समझ रखा है कि हमारा जो मूवमेंट है वह केवल सरकार

( श्री शंकरलाल )

से किस तरह से पैसा लिया उसके लिए यह तो एक जरिया है। इसकी जिम्मेदारी अब सरकार पर किस हद तक आती वह भी मैं आपको निवेदन करूं। कोआँपरेटिव मूवमेंट की जो एज्यूकेशन है और जिस हद तक उसका प्रसार होना चाहिये उनमें वैसे पहले से काफी तरक्की हुई है लेकिन जिस हद तक होनी चाहिये वह नहीं हुई है। हमारी जो कोआँपरेटिव एज्युकेशन है उसको सरकार को और भी ज्यादा बढ़ानी चाहिये। जहां तक मुझे याद है, हमारे यहां भारत सरकार के प्रतिनिधि आये थे मिस्टर थापड़ और उन्होंने थापड़ स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार को किस प्रकार की कोआँपरेटिव एज्युकेशन राजस्थान में फैलाई जाये उस स्कीम में बतलाया था। लेकिन मैंने देखा है कि वह जो भारत सरकार का पैसा था वह कोआँपरेटिव की एज्युकेशन में न लगाकर केवल स्टाफ को मेन्टेन करने के लिए लगाया गया जहां तक मेरी जानकारी है और मैं समझता हूं यह जानकारी गलत नहीं है। इस प्रकार जो कोआँपरेटिव एज्युकेशन की बात है, हमारे राजस्थान के गांवों के अन्दर जो किसान और मजदूरों की कोआँपरेटिव बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं उन कोआँपरेटिव में गबन नहीं हो और वह सहकारी अन्दोलन को समझ कर अपने राज्य की प्रगति को आगे बढ़ायें तो सहकारिता की क्या भावना है। जो है उसको समझाने के लिए कोआँपरेटिव डिपार्टमेन्ट को पहले कदम उठाना चाहिए कोआँपरेटिव फार्मिंग और जनरल फार्मिंग की तरह तरह की स्कीम हैं। किस प्रकार की पॉलिसी बने लेकिन लोग जब तक कोआँपरेटिव भावना को नहीं समझेंगे तब तक गबन नहीं रुकेंगे। इसलिये कोआँपरेटिव एज्यूकेशन के लिए मैं जरूर निवेदन करूंगा कि वह इस बात को अधिक प्राथमिकता दें और गांवों में ज्यादा ट्रेन्ड स्टाफ भेजें। साथ में दूसरे माननीय सदस्य और जो गैरसरकारी लोन हैं वह उसको चैक नहीं करते। रिकवरीज़ का जहां तक मामला आता है और जो लोग कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के बनने के बाद दिया जाता है तो अक्सर यह देखा जाता है कि लोन पेड-अप नहीं होता है और जब लोन के पेमेन्ट की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं और उसके अन्दर गांव के प्रतिनिधि भी साथ नहीं देते तो जब कि सरकारी और गैरसरकारी आदमी दोनों मिलकर कोआँपरेटिव मूवमेंट को सफल नहीं बनायेंगे तब तक मैं समझता हूं, सभापति महोदय, ५ मेम्बर्स की कमेटी बनाने से जो कि पॉलिसी को एग्ज़ामिन करेगी तो पालिसी को एग्ज़ामिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पालिसी तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एग्ज़ामिन की है, प्लानिंग कमीशन ने एग्ज़ामिन की है। पालिसी अच्छी है। उसके लिये कोई ५ मेम्बर की एक कमेटी हो उसके बनाने से कोई हल नहीं निकलने वाला है। दूसरे सोसाइटीज़ में गबन वगैरह के मामले हैं। उस कमेटी की पॉलिसी एग्ज़ामिन करने से कुछ नहीं होगा। उसके अन्दर तो जो आदमी सोसाइटी बनाते हैं उनकी भावना और नीयत को साफ करने के लिए कोआपरेटिव मूवमेंट की एजुकेशन देनी पड़ेगी, और गैरसरकारी आदमियों और सरकारी आदमियों को मिलकर कोआँपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(४. १ म० ५०)

**श्री मुरलीधर व्यास** (सिटी बीकानेर) : चेयरमैन महोदय, जो प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। प्रस्ताव स्पष्ट है कि सरकार ने जो नीति अख्तियार की है, उस नीति और उसके साथ ही साथ जो कार्य का संचालन हो रहा है वह किस प्रकार से हो रहा है उसकी जांच के लिए एक कमेटी बिठाई जाय।

मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि वाकई जो आज हमारा सहकारिता का आन्दोलन है इसको हमने बहुत बड़ी नीति के रूप में स्वीकार किया है और मैं तो समझता हूँ कि सहकारिता का दूसरा नाम समाजवाद कह दें या समाजवाद का दूसरा नाम सहकारिता कह दें, तो दोनों में कोई भेद नहीं हैं। सहकारिता के आधार पर ही समाज की स्थापना हमारा मूल उद्देश्य है और इस उद्देश्य का दूसरा नाम समाजवाद है। अब यह उद्देश्य क्यों स्वीकार किया गया है ? इसका एक मात्र सबसे बड़ा कारण यही था कि जो देश में एक पूंजीवादी व्यवस्था थी जिसमें मनुष्य की प्रधानता थी, व्यक्ति की प्रधानता थी, और एक व्यक्ति पूंजी के द्वारा समाज के ऊपर हावी होता था, तो उसकी जगह पर समाज की प्रधानता बनाकर समाज का धन समाज के उपयोग के लिए हो। यह एक धारणा है और हमारा यह मूल उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के दृष्टिकोण से हमारी जो अभी कोआपरेटिव सोसाइटीज वर्क कर रही हैं, जो अभी सहकारिता का आन्दोलन है, वह इस उद्देश्य की पूर्ति में कहां तक सफल हुआ, उसको हमें देखना है।

मैं मानता हूँ कि आज राजस्थान में करीब १० साल से कोआपरेटिव सोसाइटी हैं और करोड़ों रुपया शेयरहोल्डर्स का इसके अन्दर जमा है। बैंक्स से सारा काम होता है। अब सवाल यह है कि जो रुपया इस प्रकार से आया है उसका उपयोग बैंक के जरिये या बैंक का रुपया किस प्रकार से जिस काम के लिए लिया गया है उसका उद्देश्य उससे पूरा होता है ? दूसरा यह है कि जो कोआपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं वे सोसाइटीज़ जो हमारा मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति करती हैं या नहीं। अगर सहकारी समिति का दफ्तर, नीचे का दफ्तर और ऊपर का दफ्तर, इतनी सी चीज़ की निगरानी रखे कि जो सहकारी समिति बनी रही है वह समिति उस सरकारी सहायता या धन या जो उसके लिए है, या वह जो सरकार सहकारी समिति को मदद देना चाहती है, उस मदद का लाभ उठाकर वाकई में पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करती है या नहीं। समाजवादी व्यवस्था को लाना चाहते हैं और सहकारिता के आधार पर काम हो रहा है तो मैं तो समझता हूँ कि वाकई अच्छा हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है और उसकी जगह पर दूसरी व्यवस्था तैयार हो रही है तो मैं समझता हूं कि वह बुरा है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो राजस्थान के अन्दर सहकारिता का आन्दोलन चल रहा है, सरकार उसको जो प्रोत्साहन दे रही है, उस प्रोत्साहन के हर पहलू में, हर दरवाजे के ऊपर दुरुपयोग हो रहा है। अगर आप सहकारिता को ही प्रमुखता देते हैं तो सरकार ने एक नीति अख्तियार की है कि हर मामले में सहकारी समितियों को ही प्राथमिकता देंगे। कोई भी काम की होगी उसको देंगे। कोई भी धन्धे

[ श्री मुरलीधर व्यास ]

की होगी या दूसरे किसी किस्म की इस प्रकार से तो उसमें क्या होगा कि देना तो है प्राथमिकता, पर उसमें यह भी देखना चाहिए कि जो लोग आ रहे हैं, प्राथमिकता जिसको दे रहे हैं, वे कोआपरेटिव सोसाइटी बना करके जो उसका मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति कर रहे हैं या नही। वह उसका फायदा समाज को दे रहे हैं या नहीं, या सिर्फ सरकार ने, जो इस प्रकार का रास्ता खोल दिया है कि आओ हम मदद देते हैं उस मदद को लेने के लिए वे काम कर रहे हैं। अगर आपको मदद को लेकर वे वही पूंजीवादी तरीके अख्तियार करते हैं और सिर्फ बनावटी ५, १० आदमियों के नाम से उनको शेयर-होल्डर्स बनाकर किसी प्रकार से कोई कोआपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं और बनाकर सहायता लेते हैं तो मैं समझता हूं कि वे लोग सहकारी आन्दोलन के साथ बहुत बड़ा विद्रोह कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं, और सारे आन्दोलन का जो मूलाधार है उसको हर प्रकार से कुचलने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर मोटर ट्रान्सपोर्ट को देखते हैं कि मोटर की पर्मिट मिलने वाली हैं और कोआपरेटिव सोसाइटी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए तो नतीजा क्या होता है कि वह आदमी उसमें आता है जिसका कोई धन्धा नहीं है। जिसने उस बारे में कभी कुछ नहीं किया। पैसा दूसरों का लेते हैं और जब पैसे वाले अपना पैसा देकर किसी न किसी प्रकार से कोआपरेटिव बनाकर फायदा उठाते हैं और कोआपरेटिव सोसाइटी को प्राथमिकता उसमें दी जाती है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो आदमी जिस चीज़ का धन्धा करने वाले हैं या कर रहे हैं, अगर उस उद्देश्य से काम करने के लिए जाते हैं तो वाकई में ठीक है, मगर सिर्फ क्योंकि सरकार ने एक सुविधा दी है, और उस सुविधा का फायदा उठाने के लिए इस प्रकार का काम करते हैं और सरकार सुविधा के आधार पर काम दे देती है तो सारा काम बुरा हो जायगा।

हम सारे राजस्थान में सीलिंग के बाद जमीन देना चाहते हैं किसानों को। कोआपरेटिव सोसाइटी कोई भी बना लेगें और लैंड लैस की नहीं होगी और लैण्ड-लैस कोई भी बन जायगा और ज़मीन ले लेंगे और सरकार इस प्रकार से दे देगी तो उसका नतीजा क्या होगा। उसका फायदा, सहकारी समिति से उसके बदले में जो फायदे मिलने वाले हैं, लैण्ड भी मिलेगी और दूसरी सहायता भी, तो दूसरे लोग उस ज़मीन पर हावी हो जायेंगे तो सवाल इस बात का है कि वाकई में चाहे मजदूरी के क्षेत्र में, चाहे किसानों के क्षेत्र में, चाहे उद्योग के क्षेत्र में, इन तीनों क्षेत्रों के अन्दर वाकई में जिस मूल उद्देश्य को लेकर हमने इसको प्रारम्भ किया है, इस आन्दोलन को बढाना चाहते हैं, इसकी पूर्ति होती है या नहीं। मैंने बीकानेर की एक कोआपरेटिव सोसाइटी का कई दफा उदाहरण दिया और पहले भी कहा कि एक सोसाइटी ऐसी बनी मजदूरों के नाम से कि वे मजदूर बजरी खोदकर लायेंगे और वह फायदा मजदूरों को मिलेगा। नाम उसका रखा गया 'बजरी उत्पादक मजदूर सहकारी समिति' यानी बजरी पैदा करने वाले मजदूर। जब मैंने यहां पर देखा और विधान सभा में मांगा तो उसके मेम्बर्स के नाम की लिस्ट नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई किराय

# Page No.97



(श्री मुरलीधर व्यास ।

नहीं है । उसके बाद में हिसाब को बात आई तो हिसाब के बारे में बताया गया कि ६०,०००) रु० मिला । मिला बैंक से, परन्तु उस रुपये का फायदा, उस कोआपरेटिव सोसाइटी का फायदा किसी मजदूर को नहीं मिला, क्योंकि उसमें कोई मजदूर नहीं हैं । जो मज़दूर बजरी का उत्पादन करते हैं, अपना पसीना बहा कर बजरी खोद कर लाते हैं, वह बजरी खोदने वाला उसमें एक नहीं है और उस कोआपरेटिव सोसाइटी को बैंक से ६०,०००) मिला और केन्द्रीय सरकार ने क्योंकि वह सहकारी समिति थी-वेगन्स रेलवे के भाखरा में बजरी भेजने के लिए दिये और उसके साथ ही साथ उसके अन्दर मुनाफे का फायदा उठाया उन लोगों ने जो कि कपड़े का व्यापार करते हैं, दूसरा धन्धा करते हैं वे ही ७-८ आदमी हैं शेयरहोल्डर्स । मैं समझता हूँ कि एक आदमी एक धन्धा करता है और मजदूरों के नाम पर किसी प्रकार की कोआपरेटिव बना लें और फिर जब बन गई और उसके आधार पर काम चलता रहे ।

(घन्टी)

इसी आधार को देखें तो कोई लाभ होने वाला नहीं है । तो मैं ... महसूस करता हूँ कि इस मामले के अन्दर इस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि विभाग के लोगों को तत्परता के साथ में काम करना चाहिए । आज कोआपरेटिव सोसाइटी बनाने में कितनी ढील होती है । बीकानेर के तीन उदाहरण मैं देता हूँ । बहुत आवश्यक है, बहुत थोड़ ही में देता हूँ । बीकानेर में बारिश हुई, बहुत अच्छी हुई । ज़मीन बहुत थी परन्तु राज्य की जमीन थी । मैं इस सम्बन्ध में कलक्टर साहब से मिला कि ये कोआपरेटिव सोसाइटी बना कर ज़मीन जोतना चाहते हैं । कलक्टर साहब ने कहा कि ठीक बात है, कोआपरेटिव सोसाइटी आप बना लें । फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप तहसीलदार से मिल लें । तहसीलदार इसको बना देंगे । तहसीलदार से मिले तो उन्होंने कहा कि सब कुछ करेंगे मगर बाद में बुलायेंगे, अलाटमेंट करेंगे किसानों को, उसके बाद में ज़मीन आपको मिलेगी । तहसीलदार ने देखा कि ज़मीन बहुत पड़ी है और यह भूमिहीन हैं और जमीन सरकारी ज़मीन है और बारिश का लाभ उठा सकते है तो लिख दिया कि सोसाइटी को रजिस्टर्ड कर दें । तहसीलदार ने लिख कर दिया लेकिन वहां पर जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने एक महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया । मैं भी उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि इनको इससे फायदा उठाने दो, जमीन पड़ी है, तहसीलदार देने को तैयार हैं लेकिन नतीजा यह हुआ कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ । अब ग्रो मोर फूड कम्पेन कैसे चले जब कि जमीन यों ही पड़ी रह जाय ? अधिकारी कितनी सुस्ती रखते हैं और कानून की बात बताते हैं और किसको लाभ होगा इसका खयाल नहीं करते ।

दूसरी बात गृह निर्माण के बारे में है । कलेक्टर ने कहा था कि इसके लिये सहकारी समिति बनाओ । हरिजनों के मकान गिर गये थे । सरकार भी चाहती थी कि नयी बस्ती बसाई जाय । उनसे कहा कि हरिजनों की नयी बस्ती बसानी है, सब लोगों ने दस्तखत किये और उनकी दर्ख्वास्त मैंने वहां

( श्री मुरलीधर व्यास )

पर भेजी लेकिन उनकी भी सोसाइटी रजिस्टर नहीं हुई। आखिर किसके लिये आप काम करना चाहते हैं ? कोई काम नहीं हो रहा है। वहां बैठने वाले अधिकारियों का हाल यह हो गया है कि कोई दूसरा आदमी जाकर कहता है तो बनने नहीं देते हैं। मैं कहता हूँ कि कोई आदमी आकर कहता है कि कोआपरेटिव सोसाइटी बनानी है, रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप उसमें बाधा क्यों देते हैं ? आपको दिक्कत क्या है ? कोई लिमिटेड कन्सर्न बनती है और उसका काम्पीटिशन दूसरे के साथ होता है तो इसमें हर्ज क्या है ? यदि कोई अच्छा काम करेगी तो शेयर होल्डर्स उसकी तरफ आकर्षित होंगे, उस तरफ चले जायेंगे। मेरी समझ में यह नहीं आता कि आप उसमें विलम्ब क्यों करते हैं ? सहकारिता आन्दोलन की भावना से हम कोई काम करना चाहते हैं तो आपको क्या दिक्कत है ? आपको तो इतना ही अधिकार है कि रजिस्टर कर दो। उसमें आप क्यों बाधक बनते हो। आपका दृष्टिकोण इस दृष्टि से खुला नहीं है। आपको इसमें बाधक नहीं होना चाहिये। एक गांव में दो सोसाइटी बनती हैं....

(घन्टी)

मैं एक मिनट में खत्म करता हूँ। उनमें से दूसरी सोसाइटी का अच्छा काम है तो लोग उधर चले जायेंगे और यदि एक ही सोसाइटी होगी तो वह लोगों की परवाह नहीं करेगी और यदि दो होती हैं तो एक दूसरे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगी और अच्छा काम करने की भावना उनमें होगी। इसलिये मैं समझता हूँ नीति की दृष्टि से भी इस प्रकार से करना चाहिये। सहकारी आन्दोलन स्वेच्छा का है, किसी पर फोर्स नहीं है जो चाहे उसको मदद दे और जो भला काम कोई करता है तो करने दें। इसलिये मैं चाहता हूँ कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं, काफी सोसाइटीज़ बनी हैं और इसके लिये जो सम्माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है कि ५ आदमियों की कमेटी बना दी जाय जो जांच करे कि किस तरह से काम चल रहा है, इसकी छानबीन करें और साथ ही साथ नीति के आधार पर काम होता है या नहीं इसको देखें। ५ आदमी यदि अपना समय निकालते हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है। आपके काम में मदद देने की बात कही है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिये। इससे लाभ हुआ या नुकसान हुआ इसकी छानबीन करने के आधार पर भी इसे स्वीकार करना चाहिये।

**श्री सभापति** (श्री आबिद अली) : श्री भैरोंसिंह।

**श्री नाथूराम मिर्धा** (सहकारी मंत्री : सभापति महोदय, सदन में जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है उसका यदि ठीक उत्तर देना है तो मुझे कम से कम उसके लिये पौन घंटे की जरूरत है। सदन में डिस्कशन के लिये ४। बजे तक का समय निर्धारित किया था। उस समय तक माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है उसका उत्तर देना जरूरी होगा और इसके लिये मुझे समय की आवश्यकता है। इसलिये यदि यह समय कट जायगा तो मैं पूरी तरह से जवाब नहीं दे सकूंगा।

**श्री सभापति:** श्री भैरोंसिंहजी अपना भाषण ५ मिनट में समाप्त करने की कोशिश करें।

**श्री भैरोंसिंह:** आप पूरा समय लीजिये- हम ५ बजे के बाद तक बैठे रहेंगे।

# Page No.99



**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं पौण घंटा चाहता हूँ, यानी चेयरमैन महोदय कहेंगे तो मैं १५ मिनट में ही खत्म कर दूँगा।

**श्री सभापति**: आप डिस्कशन में समय मत खोइये, ५ मिनट में अपना भाषण समाप्त करिये।

**श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। वैसे तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इस प्रस्ताव का समर्थन आवश्यक नहीं है और आवश्यक इसलिये नहीं है कि यह विभाग जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है वह प्रगति भारतीय जनसंघ के द्वारा जो एन्टी कोआपरेटिव फार्मिंग का स्लोगन दिया गया है उसका प्रत्यक्ष दर्शन करता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे देश के माननीय प्रधान मन्त्री जहां एक तरफ कोआपरेटिव फार्मिंग का स्लोगन लगाते हैं और इस बात की चेष्टा करते हैं कि हमारे देश की कृषि व्यवस्था सहकारिता के आधार पर होनी चाहिये वहां यदि राजस्थान कृषि सहकारी समितियों के विकास को वे देख लें और इस विभाग का स्वयं निरीक्षण कर लें तो शायद वे स्वयं महसूस करेंगे कि अब तक जिस प्रकार का प्रयत्न वे करते आ रहे हैं उसको राजस्थान के सहकारी विभाग ने बिल्कुल असफल सिद्ध कर दिया है। हमारे देश में जहां के सहकारिता के नाम पर उनका चित्र लगाया जायगा वहां सहकारिता की असफलता के लिये यदि किसी चित्र की आवश्यकता मालूम हो तो मैं हमारे यहां के माननीय कृषि मन्त्रीजी का नाम प्रस्तावित करूंगा। फर्क केवल इतना सा ही है कि एक सहकारिता आन्दोलन के लिये जी–जान से प्रयत्न कर रहे हैं तो दूसरे सहकारिता आन्दोलन किस प्रकार से असफल हो, उसमें जी–जान लगा रहे हैं। एक लगा रहे हैं सद्भावना से नीति के आधार पर और दूसरे लगा रहे हैं नीति को किस तरह से सेबोटेज किया जा सके, उसके लिये प्रयत्नशील हैं। इस दृष्टि से मैं राजस्थान के सहकारिता विभाग को और सहकारी मन्त्री को बधाई दूंगा। उनके ये प्रयत्न जारी रहे तो भारतीय जनसंघ ने जो एन्टी कोआपरेटिव फार्मिंग का स्लोगन लगाया है उस सम्बन्ध में जनता को सूचित कर देंगे कि यदि कोआपरेटिव फार्मिंग अपनाया तो उनका क्या हाल होगा।

सभापति महोदय, आज राजस्थान में यह मशहूर बात है कि किसी को यदि पैसे की आवश्यकता है और सरकार से लेना है तो किसी तरह से सहकारी समिति बना लें। किसी नाप पर, किसी इन्डस्ट्री का नाम लेकर बना लें और सरकारी अधिकारियों से मिल कर उसका रजिस्ट्रेशन करा लें और फिर पैसा ले लें और पैसा लेने के बाद, माननीय मन्त्रीजी चाहे स्वीकार करें या न करें, यह उनकी मर्जी की बात है लेकिन जिन सोसाइटीज को आपने पैसा दे दिया और पैसा देने से पहले और उसके बाद जितनी शर्तें रखी थी उनकी कम्प्लायेन्स होती है या नहीं, इसकी जांच नहीं होती। रजिस्ट्रेशन करने के लिये आपके पास मशीनरी है, अकाउट्स का आडिट करने के लिए दबाव पड़े तो मशीनरी है, लेकिन उन चीजों में जिनके लिये पैसा लिया उनमें पैसा खर्च होता है या नहीं, उसकी जांच करने के लिये कोई मशीनरी नहीं है। वे कहेंगे कि

( श्री भैरोंसिंह )

कोआपरेटिव डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, बहुत से इन्सपेक्टर्स हैं यहां पर, सब जांच करते हैं लेकिन मैं उनसे एक जानकारी इस सदन में चाहूँगा। इस सदन में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार माननीय मन्त्रीजी उत्तर देते हैं कि इसमें इतना गबन हुआ, इतना घोटाला हुआ, इस मामले को पुलिस को पुलिस को भेज दिया गया, इस मामले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन्क्वायरी कर रहा है। माननीय मन्त्रीजी ऐसे फिगर्स सदन में दें कि आपने इन सोसाइटीज़ को ऋण दिया है, ये सोसाइटी रजिस्टर हुई हैं, कितनी सोसाइटीज के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहे हैं! मैं जानता हूं कोई मामला पुलिस में जाकर दब जाता है, कोई मामला रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रुक जाता है, कोई टेलीफोन से रुक जाता है, कोई आर्डर से रुक जाता है, लेकिन कोर्ट में केस नहीं जाता है। लोग शेयर खरीदते हैं, इस प्रकार शेयर मनी इकट्ठा होता है। वे लोग अपेक्षा रखते हैं कि जो शेयर मनी दे रहे हैं, उसका रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन जब प्रत्यक्ष में काम आता है तो देखते हैं कि रिटर्न गया चूल्हे में, जो शेयर की कीमत थी, आज उसके भी लाले पड़ रहे हैं, वह रकम भी मिलने नहीं जा रही है। सरकार से कितनी शिकायतें की, भरतपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने सहकारी समितियों के नाम लिए, मेरे पास भी लम्बी चौड़ी लिस्ट है, पर मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्रीजी कह देंगे कि इमीजियेटली इन चीजों की इत्तला नहीं दी जा सकती कि कौनसी समिति ने गबन किया है, कौन सी समिति ने घोटाला किया है। एक बात साफ है कि सहकारी समितियां गबन करना चाहेंगी, वे इसलिए करना चाहेंगी कि हमारी राज्य सरकार आज कल इस बात का प्रयत्न कर रही है कि हमें कृषि सहकारी समिति बनानी है और हमारे देश का निर्माण कृषि सहकारी समितियों के निर्माण से ही हो सकता है। मैं आपका ध्यान, कोटा जिले में जो कृषि सहकारी समितियां काम कर रही हैं, उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, कोटा के अन्दर २१ कृषि सहकारी समितियां हैं, उन २१ समितियों में से १४ समितियां ऐसी हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है लेकिन जिनको जमीन नहीं मिली है। उसके बाद कई दिनों से कोशिश करते आ रहे हैं कि जो जमीन पड़ी है, जमीन इस तरह की सहकारी समिति को दी जा सकती है लेकिन वह जमीन नहीं दी गई है। एक सहकारी समिति इस तरह की है जिसके २० सदस्य हैं और उसके पास १९ हजार बीघा जमीन है, २० सदस्यों के पीछे १९ हजार बीघा जमीन और वह इसलिए कि सीलिंग में जो एग्जेम्पशन मिलने वाला है, उस सीलिंग के एग्जेम्पशन का फायदा उठा कर सहकारी समिति के नाम पर १९ हजार बीघा जमीन को रिटेन किया जा सके तो २१ सहकारी समितियों में से १४ सोसाइटियों को जमीन नहीं मिली है और तीन सोसाइटीज ऐसी हैं जिनमें १९४९, १९५०, १९५६ और १९५७ में एक सोसाइटी में २६,५०८ रुपये रुपये बाकी हैं, एक सोसाइटी में २२,७०० रुपये बाकी है, एक सोसाइटी में १२ हजार बाकी हैं और जिन सोसाइटीज में रुपया बाकी है, उनके बारे में सदन में प्रश्न पूछे जांय तो यह कहा जायगा कि कार्यवाही चल रही है, वह कहां चल रही है, उसकी क्या गति है, कोई भैंसा गाड़ी है, कोई मोटर है, क्या है, किस तरह चल रही है, क्या प्रगति

( श्री भैरोंसिंह )

है। इस सदन में एक बार अशोकपुरा कृषि फार्मिंग के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि लोगों के झूठे दस्तखत करके रुपया लिया गया। उस समय माननीय मन्त्रीजी ने जानकारी दी थी कि उस सोसाइटी के मामले में घोटाला है। मैं समझता हूं कि घोटाला माननीय मन्त्रीजी के उत्तर में हो गया। अगर आप इस प्रकार का उत्तर नहीं देते कि उस सोसाइटी में गबन हुआ है, झूठे दस्तखत करके पैसा ले लिया है, उस सहकारी समिति के पास जमीन नहीं थी, सरकार को धोखा देकर रुपया प्राप्त कर लिया है, अगर माननीय मन्त्रीजी यह सदन में नहीं कहते, मैं समझता हूं कि सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी। यह हमारी बदकिस्मती है कि हम चाहे सरकार को कितनी जानकारी दें, सरकार समझती है कि सहकारी समिति में किसी प्रकार का करप्शन नहीं है। मैं एक बात मान सकता हूं और यूं मान सकता हूं कि सदन में कई बार चर्चा होती है कि राज्य सरकार में करप्शन है, उसके पीछे एक बात रहती है कि करप्शन करने वाले इन्डीविजुअल हैं। अब सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि कोआपरेटिव मूवमेंट से करप्शन इन्डीविजुअली नहीं होना चाहिए, करप्शन कोआपरेटिव बेसिस पर चलता है। तो हमें स्वीकार करना चाहिए और मुझे खुशी है कि राज्य सरकार ने करप्शन के मामले में इस सिद्धान्त को, कोआपरेटिव मूवमेंट को चालू कर दिया है और प्रत्यक्ष रूप से कोआपरेटिव करप्शन चलता है। अगर किसी डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन कराना है तो खुशामद करनी पड़ेगी, लोन जो मिलने वाला है, उसके लिए हिस्सा तय करना पड़ेगा, जिस समय प्रत्यक्ष रुपया मिलता है तो उसमें से हिस्सा तय करना पड़ेगा, शेयरहोल्डर्स हैं, उनको रुपया मिलने वाला हैं, तो हिस्सा तय करना पड़ेगा।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं इतना कह सकता हूं कि राज्य सरकार निश्चित रूप से, चाहे यह नीति भारत सरकार ने निर्धारित की हो, हमारे देश में फार्मिंग सोसाइटी सफल नहीं हो सकती। अब जो अनुभव किया है, उसके आधार पर कह सकता हूं कि यह सफल नहीं हो सकती। हम भले ही जबरदस्ती करके, लोगों को इन्ड्यूस करके कृषि सहकारी समिति बनायें, कितनी ही निगरानी रखें, कितना ही कन्ट्रोल रखें, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि करप्शन बढ़ता जायगा। हम दूसरे देशों की नकल करना चाहते हैं लेकिन हिन्दुस्तान के बाहर किसी भी देश का इतिहास उठा कर देखें, यह कहीं भी सफल नहीं हुआ है। पोलैंड जैसे देश में, जहां यह जबरदस्ती इन्ट्रोड्यूस की गई यूगोस्लेविया में जबरदस्ती यह मूवमेंट चालू किया गया, लेकिन उन्होंने महसूस कर लिया कि लाठी के जरिये, कन्ट्रोल के जरिये हम इस कोआपरेटिव मूवमेंट को सफल नहीं कर सकते और वे देश, जिनको हम कम्युनिस्ट देश कह सकते हैं, वे सारी जमीन को किसानों में वापिस लौटा रहे हैं और अपनी कमजोरी को, अपनी भूल को महसूस कर रहे हैं। लेकिन हिन्दुस्तान ने बाकी देशों का अनुभव प्राप्त कर लिया, फिर भी उसके विपरीत आचरण करने की चेष्टा की जा रही है। उसका ही परिणाम है कि हमारे देश में भी कृषि सहकारी समितियें असफल हुई हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह जो नीति है, इस नीति की जांच करने के लिए, जो राजस्थान ने इन्ट्रो-

( श्री भैरोंसिंह )

ड्यूस की है और इसका परिणाम जानने के लिए इस प्रकार की एक कमेटी बनाई जाय, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को लाभ होगा। आप कहेंगे कि नीति प्लानिंग कमीशन ने निर्धारित की है। मैं कहना चाहता हूं कि सारे विभागों में समितियां बनाई जाती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, पंचायत डिपार्टमेन्ट की, किसी दूसरे डिपार्टमेंट की कमेटी बनाई जाती हैं और सहकारिता के आधार पर देश का निर्माण करना चाहते हैं, तो इसकी रेस्पोन्सिबिलिटी अपने ऊपर ज्यादा न लें। अगर इसमें कोई गलती हो जाय, जो अभी ढांचा चल रहा है, उसमें अगर गलती हो जाय, तो लोगों की सलाह लेनी चाहिए, राय लेनी चाहिए, अगर इस प्रकार को कमेटी बनाई तो अपने अनुभव के आधार पर बाकी देशों ने जो अनुभव प्राप्त किये हैं, उनके आधार पर अगर नीति में परिवर्तन करते की आवश्यकता पेश हुई, तो कमेटी सुझाव पेश करेगी, इसलिए इसकी आवश्यकता है। यह कह कर, श्री पी० के० चौधरी जी ने जो प्रस्ताव रखा है. उसका समर्थन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री सभापति :** Hon'ble Minister will reply.

**श्री नाथूराम मिर्धा** (सहकारी मन्त्री) : माननीय चेयरमैन महोदय. इस सदन में फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव रखा है कि सहकारिता की नीति को एग्ज़ामिन करने लिए और सहकारी समितियों के काम काज को देखने के लिए इस सदन के पांच सदस्यों की एक समिति बनाई जाय। धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उसमें यह संशोधन किया कि पांच सदस्य नहीं, सरकार चाहे जितने सदस्यों की एक समिति बना ले, जो इसके कामकाज को देखे। मैं आपके जरिये, जिन जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो बहस में भाग लिया है, उसमें जो कुछ मुद्दे उन्होंने उठाये हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी देना जरूरी समझता हूं। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान में सहकारिता की नीति के बारे में कुछ बातें कहीं और वे बातें कहते कहते इस कन्क्लूज़न पर पहुंचे कि सहकारिता की नीति एक हैफहेज़र्ड नीति है, जो उनको ठीक नहीं लगती। मैं आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता की नीति निर्धारित करना इस सदन के माननीय सदस्यों का काम नहीं है, राजस्थान सरकार का काम नहीं है, सहकारिता की नीति का निर्धारण हमारे देश की, भारत सरकार और देश की जो सर्वोत्तम कमेटी है नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल, जो समय समय पर........

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : I think the policies are decided by the parties.

**श्री नाथूराम मिर्धा** : पार्टी से डिसाइड नहीं होती है।

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : पौलिसी को डिसाइड करने का अधिकार हमारा भी है, सदन का भी है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं कह रहा हूँ कि आपका जो अधिकार है, वह समझ सकते हैं।

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : It is with concurrence and we are entitled to have the knowledge of it.

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं आपको जो कह रहा हूँ वह सुन लें, आपका जो अधिकार है, उसकी सीमा को जानते हैं और उस सीमा में रहना चाहिए और मैं आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता कि जो पॉलिसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्लानिंग कमीशन ने बनाई, वह बिल्कुल स्पष्ट और साफ है और उस पालिसी में पिछले दो वर्ष में कुछ रद्दोबदल हुए हैं, और उन हमारे देश के नेताओं ने बहुत सोच समझ कर परिवर्तन किया है, रद्दोबदल किया है, अब उसी रद्दोबदल के अनुसार अमल हो रहा है और हम उसी दिशा में चल रहे हैं।

उन्होंने अपने भाषण में रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की रिपोर्ट, सरकार और रिजर्व बैंक की पालिसी और वर्किंग ग्रुप का हवाला देते हुए नागपुर रिज़ोल्यूशन के बाद जो परिवर्तन हुआ है उसका जिक्र किया, पर उन्होंने अपनी बहस के दौरान में जो कुछ बातें कहीं, उसमें या तो उन्हें जानकारी कम थी, या उन्होंने अपने किस हिसाब से कहा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने यह कहा कि सहकारी समितियों में लार्ज साइज सोसाइटीज़ को रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ने रोका और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वे हमारी प्लान का एक अंग है, अब परिवर्तन किया है, उन्होंने मिनिस्टरों की कान्फ्रेन्स का हवाला दिया कि उसमें यह कहा गया कि लार्ज साइज़ सोसाइटीज़ नहीं बनायें ठीक है, यह फैसला कर लिया है कि भविष्य में नहीं बनायेंगे, पर जो बन गई हैं वे कायम रह सकती हैं अगर वे लोग जो मेम्बर हैं, इनको कायम रखना चाहते हैं। पांच - दस गांवों के लोग हैं, जिन लार्ज साइज सोसाइटीज में, जिनकी मेम्बरशिप की संख्या बड़ी तादाद में है; एरिया आफ आपरेशन भी ज्यादा है, वे लार्ज साइज सोसाइटीज़ को तोड़ कर छोटी छोटी सोसाइटीज़ बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जिसको वर्किंग ग्रुप ने कहा है और हमने स्वीकार कर लिया है। एक हजार, दो हजार से ज्यादा आबादी नहीं है वहां सहकारी समितियां बनाई जाय और जो बैकवर्ड इलाका है, स्केयर्सली पोपुलेटेड है वहां छोटे छोटे गांवों की यूनियन्स बना कर ग्रुप्स काम करें, ऐसे इलाकों में इस प्रकार की यूनियन्स बनाई जा सकती हैं। यह हमारे देश की पालिसी है और लार्ज साइज सोसाइटीज के बारे में, जैसा कि मैंने कहा वैसी हमारे देश की पालिसी है।

स्टेट शेयर कैपिटल के बारे में भी कहा गया। स्टेट शेयरिंग कैपिटल का प्रश्न द्वितीय पंच वर्षीय योजना में, हमारी तीन प्रकार की सहकारी समितियां थीं, उनके बारे में निश्चित किया गया था, एक तो लार्ज साइज सोसाइटीज, दूसरी मार्केटिंग सोसाइटीज और तीसरी कोआपरेटिव बैंक्स। जब लार्ज साइज सोसाइटीज़ के निर्माण के प्रश्न को ही छोड़ दिया तो उसमें हिस्सा पूंजी लगाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, पर दूसरी मार्केटिंग सोसाइटीज़ और कोआपरेटिव बैंक्स में हिस्सा पूंजी लगाने का वैसा ही सिद्धान्त स्टेट शेयर केपिटल का जारी है और यह जारी रहेगा, दूसरी में जारी रहेगा और तीसरी में भी जारी रहेगा। इस रीति-नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और न वह उचित ही था क्योंकि

( श्री नाथूराम मिर्धा )

जितने सेन्ट्रल बैंक हमारे जिलों में बन रहे हैं उनमें लोगों की कैपिटल के साथ साथ स्टेट की कैपिटल नहीं होती है तो लोगों की उतनी शक्ति, सामर्थ्य नहीं है कि उतना कैपिटल इकट्ठा कर लें और रिजर्व बैंक से उनको लोन मिल सके जिससे कि वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। तो दो प्रकार की सोसाइटीज में शेयर कैपिटल का उ ल माना गया है वही माना जायगा और भविष्य में भी यह जारी रहेगा। स्टेट शेयर कैपिटल का लार्ज साइज सोसाइटीज में शेयर करने का कोई सवाल ही अब पैदा नहीं होता।

ऐसी छोटी सहकारी समितियों में उनको यह भी कन्फ्यूज़ था कि इस विभाग के अधिकारी कहते हैं, सोसाइइटीज़ के इन्स्पेक्टर कहते हैं कि हर गांव के हर आदमी को सहकारी समिति का मेम्बर बनाया जायगा। ऐसी बात नहीं है, वे गलत समझे हैं। दर असल हर गांव के हर घर से एक फेमिली का एक हेड सहकारी समिति का सदस्य हो, यह हमारा टार्गेट है। इस टार्गेट को जनता का आन्दोलन बना कर पूरा करना चाहते हैं, जिसमें इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का सहयोग हो, तभी इतना बड़ा काम हो सकता है। इतने बड़े काम को करने के लिये इतनी सहकारी समितियां होंगी, राजस्थान में कुल ३७,००० गांव हैं तो कम से कम २२ या २३ हजार सहकारी समितियां हों तो हर फेमिली का एक मेम्बर सहकारी समिति का सदस्य हो सकता है, तभी इस टार्गेट को पूरा कर सकते हैं। आज राजस्थान में १२.००० सहकारी समितियां हैं और उनकी मेम्बरशिप करीब ७ लाख है, तो अभी केवल १५ प्रतिशत फेमिलीज को कवर कर पाये हैं। जो सहकारी समितियां गांवों में हैं उनमें मेम्बरशिप कम है, उनकी मेम्बरशिप संख्या को बढा कर उन्हें मजबूत करना है। जहां पर सहकारी समितियां नहीं हैं वहां पर नई सहकारी समितियां हों, इस प्रकार हमारा यूनिवर्सल टार्गेट है उसको पूरा करना है। प्लानिंग कमिशन दो तीन साल से इस टार्गेट को पूरा करने को कहता है, पर यह तभी हो सकता है जब कि हमारे विभाग के अधिकारी और आम जनता के लोग मिल जुल कर काम करें। जितना यह काम आगे बढेगा उतना ही सरलता से इस उद्देश्य को हासिल सकेंगे।

तो जो हमारी सहकारिता की पॉलिसी है और जो इसमें परिवर्तन हुआ है, बड़े बड़े लोगों की. नेताओं की राय से परिवर्तन हुआ है। इस बदले हुए युग में सहकारिता को सोशलिस्ट समाज की आधारशिला मानते हैं तो इस प्रकार के शेयर केपिटल और उसूल हैं उनमें जहां तक सुधार की, परिवर्तन की बात है, उनमें जहां तक उचित था परिवर्तन किया है और तुरन्त ही वह सदन के सामने आयेगा, जो पुराने रूल्स में, कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, इसकी जांच के लिये सरकार की एक कमेटी बैठी है, वह विचार कर रही है कि और किस प्रकार की रद्दोबदल करना है।

माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी रेट आफ इन्ट्रेस्ट है वह ज्यादा है। जैसा कि मैं एक दो बार जिक्र कर चुका सैंट्रल बैंक की रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट वह ५॥) पर्सेन्ट है, ५॥) पर्सेंट से सहकारी समितियों को देता है और ७॥ पर्सेन्ट रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट सहकारी समितियां चार्ज करती हैं। वे कहते हैं कि यह ज्यादा

(श्री नाथूराम मर्धा)

है, बोहरे भी करीब ६ पर्सेंट पर कर्ज देते हैं। मेरा ख्याल है फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य को राजस्थान के किसी सीमित इलाके की बात मालूम होगी कि प्राइवेट लोग ६ प्रतिशत पर कर्ज देते हैं उन्होंने राजस्थान के किसी सीमित दायरे में, छोटे से इलाके में शायद ऐसा देखा होगा। हो सकता है किसी सीमित इलाके में छोटे से दायरे में इस प्रकार की रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट हो पर वास्तव में १८ पर्सेन्ट तो रेट आफ इन्ट्रेस्ट राजस्थान में नीचे से नीचो रेट है, वर्ना २४ प्रतिशत और इससे भी ज्यादा रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट चार्ज की जाती है।

**श्री पी० के० चौधरी** : प्राइवेट लोग देते हैं यह मैंने नहीं कहा, मैंने यह कहा था कि राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इन्डेटेड १९५७, एक्ट में ६ प्रतिशत रखा है। आप गलत समझे हैं।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं समझ गया। इसको भी में बता देता हूँ। इस व्यवस्था को उस व्यवस्था से कम्पेअर करने में थोड़ा सोचना होगा। फिर भी मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि बोहरे को किसानों से चुकवाते हैं तो वह रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट ६ पर्सेन्ट नहीं ९ पर्सेंट है।

**श्री पी० के० चौधरी** : I have read the Act myself. What is the talal amount of loan given as Crop loan ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : जहां तक मुझे याद है और मैं समझता हूं कि यह सही है, वह ९ पर्सेन्ट है। अगर हम यह खयाल करें कि उनको ६ पर्सेन्ट से लोन मिलता है तो भी मैं यह कहूंगा कि जहां से लोन आता है और कहां कहां किन किन हाथों से निकलता है और उस पर खर्चा भी तो लगता है। सहकार समितियां भी हैं, कोऑपरेटिव बैंक, सेन्ट्रल बैंक, मोर्टगेज बैंक आदि हैं ....

**श्री पी० के० चौधरी** : लैंड मोर्टगेजी बैंक ४॥ पर्सेंट से देता है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : ठीक है, लेकिन जो अभी रिज़र्व बैंक ने आधा पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट बढ़ाया है उसको हमने अल्टीमेट किसानों पर नहीं पड़ने दिया है। हमने किसानों के लिये ७॥ पर्सेंट का इन्ट्रेस्ट रखा है। इसके लिए मैं आपको यह आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में सिवाय एक या दो स्टेटों को छोड़ कर जिनकी रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट ७ पर्सेन्ट या ६॥ पर्सेन्ट है, उसके सिवाय हमारी रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट है वह सबसे लोएस्ट है। इसके अलावा हमारा मूवमेंट अभी नया है। हमें इन सारी संस्थाओं को मज़बूत बनाना है। इसके बावजूद भी मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे तो इससे संतोष है। कोआपरेटिव एडवाइजरी कौन्सिल है उसने कहा है। हमने देखा है और इस निश्चय पर पहुँचे हैं कि यह ७॥ प्रतिशत रेट आफ इन्ट्रेन्ट है वह किसी भी हालत में राजस्थान में ज्यादा नहीं है। इस रेट आफ इन्ट्रेस्ट में घटाने की कोई गुंजाइश नहीं है, अगर गुंजाइश होती तो हम भी घटा सकते थे, मगर कोई गुंजाइश नहीं आती है। इसके अलावा जब ये संस्थाएं नई हैं तो हमें उनकी आर्थिक हालत को सुधारना है और इसलिए भी हम यह नहीं कर सकते। इसलिए हमें ऐसा मान कर चलना चाहिये कि रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट है उसको हम किसी भी हालत में कम नहीं कर सकते।

( श्री नाथूराम मिर्धा )

अब सहकारिता की पालिसी के बारे में कहा गया कि यह हैपहैज़र्ड है। इसलिये इस संबन्ध में थोड़ी सी बातों को मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। हम छोटी कैपिटल वाली समितियों को सेवा समितियों का रूप देना चाहते हैं और उनके शेयर केपिटल में सरकार को किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना चाहिए। यह फन्डामेंटल सिद्धान्त है और यह नीति है और यही सहकारी समितियों की भी नीति है। डालिंग की रिपोर्ट है, और भी रिपोर्टें हैं उनका यह मत है। छोटी समितियों को बनाना जरूरी है और वह इसलिए कि हैन्डीक्राफ्टस में उन्नति हो। अगर सरकार उसमें हिस्सा लेने लगेगी और पूंजी लगावेगी तो यह जरूरी है कि सरकार का प्रतिनिधि वहां पर होगा और इसलिये सरकारी लोग वहां पर मैनेजमेंट में हिस्सा लेने लगेंगे। इसलिये ऐसी सूरत में शेयर कैपिटल को उन्हीं लोगों के हाथ में रखना उचित समझा और यह ठीक है कि छोटी सहकारी समितियां जो बने उनका मैनेजमेंट ठीक तरह चलाने के लिये शुरू शुरू में दो तीन साल तक के लिये उनको सबसिडी दी जावे, तो उचित होगा। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसकी तस्वीर अभी हमारे सामने साफ नहीं है।

**श्री पी० के० चौधरी** : यही तो मैं भी कहना चाहता हूं कि अभी तक तस्वीर साफ नहीं है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : आप हेपहैजार्ड की बात करते हैं। मुझे ऐसी आशा है कि उनको सबसिडी जरूर मिलेगी और हर साल में उनको कुछ कम करते चले जावें ताकि कुछ समय में वह सोसाइटी अपने पैरों पर खड़ी हो जावे, यह सहकारिता की नीति है और जल्दी से जल्दी हमारी यह नीति है कि जिस प्रकार हमारे देश की जो नीति है कि किस प्रकार की सोसाइटीज़ हो उनके साथ साथ कार्य किया जावे। कुछ इन्डस्ट्रियल, कुछ दूसरे प्रकार की सोसाइटीज़, इनके बारे में मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की सेवा - सहकारी समितियां बनी हैं उनको जितने लोन की आवश्यकता है रिजर्व बैंक देने को तैयार है। इसके लिये हमारे राजस्थान में रूल्स बने हुये हैं कि कितना शोर्ट टर्म, कितना मीडियम, व कितने लोंग टर्म लोन। हमारे सामने कितनी सेवा समितियां के रूप में बनी हैं उनको कितना रुपया दिया जा सकता है उसके लिये नियम बनाये जा चुके हैं। जैसे फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसके लिये रूल्स नहीं बने हैं। मैं यह कहूंगा कि या तो उनको इस सम्बन्ध में गलत सूचना मिली होगी या जान बूझ कर उन्होंने ऐसा कहा है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि यह नियम पचायत समितियां तक पहुंच चुका है और कई समितियां का गठन भी हो चुका है और लोगों ने समितियां बना कर लोन मागे हैं और उनको लोन दिये गये हैं और अगले फसल में काम आये हैं और खरीफ क्रोप में भी लोन लिया है और उनको मिला है।

**श्री पी० के० चौधरी** : आपने कितने रुपये दिये हैं ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : यह तो मैं आपको यहां नहीं बता सकता। मुझे याद नहीं, किन-किन जिलों में किन किन को दिये गये, ये आंकड़े मुझे याद नहीं हैं। लेकिन यह कह सकता हूं कि लोन लिया जा रहा है।

( श्री नाथूराम मिर्धा )

सोसाइटीज़ बन गई हैं और काम चालू है और चल रहा है और जो आगे बढ़ेंगे उनको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी । चाहे शोर्ट टर्म लोन; मीडियम या लांग टर्म लोन हों ।

अब यह कहा गया कि लेन्ड मोर्टगेज बैंक बना है, उसके पास तीन-चार लाख लोन की एप्लीकेशन्स आई और बहुत कम लोगों को लोन स्वीकार किया गया । माननीय सभापति, मैं आपके जरिये सूचना देना चाहता हूं कि लैन्ड मोर्टगेज बैंक को कायम होने और कार्यवाही करने में समय लगा है । इसमें कई दिक्कतें होने की वजह से समय लगा है, हालांकि रात दिन कोशिश करने के बावजूद भी लोन के लिये जो अर्ज़ियां आई, उनको लोन पूरा नहीं दिया जा सका । मगर मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस साल ३० लाख रूपया मीडियम और लौंग टर्म लोन....

**श्री पी० के० चौधरी** : लैन्ड मोर्टगैज बैंक शोर्ट टर्म लोन नहीं देता है ।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं मीडियम और लांग टर्म लोन्स की बात कह रहा हूं । मैं आपके जरिये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि (अश्रव्य) का काम चार महीने तक पूरा नहीं होगा । अब लोन उनको जल्दी ही दे दिये जावेंगे और जब तक यह साल खत्म होगा यह लोन मीडियम और लौंग टर्म, ३० लाख का लोन दे दिया जावेगा और वह मशीनरी अब सेट अप हो चुकी है और अब कोई आपत्ति नहीं रही है ।

इसके बाद में, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक छोटा सा संशोधन सदन में रख कर, उन्होंने सहकारी समितियों के बारे में कहा । उन्होंने इस सम्बन्ध में सदन में प्रश्न भी पूछा था और उसका उत्तर भी दिया, वह उनके पास था, वे एक दो सोसाइटीज़ से नाराज थे । वे बता रहे थे कि वे लोन सोसाइटी का रूप रखते हैं और रुपया लोगों को देते हैं और उनसे वापिस वसूल कर लेते हैं और सरकार के पास वह रुपया नहीं पहुंच पाता । माननीय सभापति, उन्होंने इन सहकारी समितियों का जिक्र किया उनके संबन्ध में व्यक्तिगत जानकारी मुझे नहीं है जितनी उनको है, जो उस इलाके के रहने वाले हैं ।

हो सकता है कि उन्होंने जो कुछ बात कही हो वह सोसाइटी के बारे में सच भी हो सकती है । मैं जरूर इस बारे में देखूंगा, मेहरोली सोसाइटी का नाम लिखा, उसको डिटेल्स में देख कर ही कह सकता हूं और सदन के समस्त माननीय सदस्यों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सहकारिता के बारे में सहकारी विभाग की ओर से पूरे प्रयत्न किये जा रहे हैं । विभाग की ओर से सेमीनार आयोजित किये गये थे और उनमें जो रिकमन्डेशन्स हुई हैं उन पर विचार करते हुए सारे ही राजस्थान का सर्वेक्षण कराया है कि १२ हजार कोआपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनमें से कितनी संख्या की ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनमें इस प्रकार से गड़बड़ी के मामले हैं, नियमों के अनुसार काम होना चाहिये था वह नहीं हुआ है, उन सोसाइटीज को चालू रखा जाय या उनका किसी प्रकार से विघटन किया जाय या जो नियमों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही हैं उनको किस प्रकार से रोका जाय । चेयरमैन महोदय, मैं आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों को जान-

( श्री नाथूराम मिर्धा )

कारी देना चाहता हूं कि २५० ऐसी सोसाइटीज़ निकलो हैं जिनमें कई प्रकार की गड़बड़ियां हैं और एक एक की पूरी तरह से छान-बीन करके जिनको लिक्विडेट करने की आवश्यकता है, जिनके खिलाफ गबन या वसूली की कार्यवाही करने की आवश्यकता है, वह पूरी की जायगी। माननीय सदस्यों को कई दफा ऐसा महसूस होता है कि जब मैं कहता हूं कि कार्यवाही कर रहे हैं; छानबीन की है, तो ऐसा महसूस होता है कि मैं उनकी बात को न मान कर उस सोसाइटी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी बात नहीं है। सहकारिता के रूल्स बने हुए हैं। रजिस्ट्रार को ऑथोरिटी दी हुई है। खुद को भी अपील करने के पावर्स हैं, इन सारे तरीकों से गुजरते हुए जो विभागीय काम हैं उनमें भी कई स्टेजेज़ पर देर हो जाती है। इन्क्वायरी करने का जहां तक मामला है उनमें पुलिस और कोर्ट के स्टेजेज़ से भी कई रुकावटें आती हैं। उनको पूरा करने के लिए जितना समय होना चाहिये वे सोचते हैं कि जल्दी करना चाहिये, लेकिन हमारे जल्दी करनेके बावजूद भी मर्यादा में जो कमी की जा सकती है वे की जाती है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी तरफ से लैतलाली नहीं रही है कि ऐसी रद्दी सोसाइटीज़ को जिनमें काम नहीं होता है उनको पेट्रोनाइज़ किया जाय या उनको शील्ड किया जाय। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि कई माननीय सदस्य उनके हल्के में सोसाइटीज होती हैं उनमें अपने राजनैतिक दृष्टिकोण को खुद डाल देते हैं, वे समझते हैं कि वे कुछ लोगों से चलाई जाती हैं और उन लोगों से चलाई जाती हैं जिनसे उनके राजनैतिक विचार मेल नहीं खाते अथवा दृष्टि कोण मेल नहीं खाता। मैंने खुद भी यह रियेलाईज़ किया है कि उन सोसाइटीज़ का काम ठीक होते हुये भी कुछ माननीय सदस्यों को वे पसन्द नहीं हैं? आसींद की सोसाइटी के बारे में यहां बात आयी। कितना लोन मिला, कितनी जमीन मिली, सदन में इस बारे में कई बार प्रश्न आया और मैंने उस सम्बन्ध में बता दिया। कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं कि वह सोसाइटी नहीं चलनी चाहिये क्योंकि कुछ अमुक आदमियों के बारे में माननीय सदस्यों के दृष्टिकोण भिन्न हैं। राजनैतिक दृष्टिकोण में भिन्नता आने के कारण ही वे उनको पसन्द नहीं करते। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि यह बात सच है कि सहकारी सोसाइटीज़ में राजनैतिक दृष्टिकोण को नहीं लाना चाहिये, राजनैतिक दृष्टि कोण से उनको दूर रखा जाना चाहिये. यह बात सच है ...

**श्री श्रीभानसिंह** : बात सच ही कह रहे हैं। आसींद कहां है और मैं काम करने वाला कहां का हूँ।

**श्री नाथूराम : मिर्धा** मैंने आपके बारे में नहीं कहा है। लोग कोई आकर आपके सामने, कान में आकर कह दें और आप वैसी ही यहां फूंक मार देते हैं। भरतपुर और धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्यों की वैसे ही मेरे पर बड़ी कृपा रहती है ...

**श्री श्रीभानसिंह** : I appreciate the shy manner in which he is saying.

**श्री नाथूराम मिर्धा** : वह रहें, मुझे एतराज नहीं है। आप अपने एक दृष्टिकोण से सोचते हैं और एक ही चश्मे से देखते हैं। सुनें और

( श्री भानसिंह )

देखें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझसे व्यक्तिशः नाराज होते हुये भी मेरी जति से भी नाराज हैं। जिस गन्दे तरीके से उन्होने इस मामले को रखा मैं कहूँगा, फिर मामला बढ़ेग एक असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार पंचायत में असिस्टेन्ट थे, उनको कोआपरेटिव में ले लिया और इसलिए उन्होंने कहा कि जाति विशेष के लोग पनप रहे हैं। क्रय-विक्रय संघ बनाता है। यह भी कहा कि सहकारिता के नाम पर अमेरिका, विलायत भेज दिया और उनके जाने का नम्बर नहीं आया। सहकारिता के विषय में भाषण देते हैं, बजट के विषय में भी भाषण दे देते है। सहकारिता क्या है, कहां है, कहां पनप रही है, सहकारिता में क्या काम होता है, मुझे जानकारी है, माननीय सदस्य को उतनी जानकारी नहीं है।

**श्री श्रीभानसिंह** : आपने तो काम करके ही यह पोर्टफोलियो लिया है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : आपने क्या पोर्टफोलियो दिया, मुझे कैसे मिला, क्या मिला, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यूनियन और सहकारिता में काम करने वाले लोग हैं उनको मैंने मुकर्रर नहीं किया। यूनियन का विधान है और उसके नीचे चुनाव होते हैं।

**श्री श्रीभानसिंह** : अपॉइन्टमेन्ट के बारे में बतायें। यूनियन पर आ गये।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : अमेरिका और विलायत की बात पर आ गया उसको पहले सुन लीजिये। यूनियन के ऑफिस बियरर्स, सेक्रेटरी बने वे मेरे मुकर्रर किये हुए नहीं हैं, वे दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मेरी कौम के लोग हों, तो आप यही देखें कि मैं कौमवाद फैला रहा हूं। यह तो माननीय सदस्य का चश्मेसे देखने का दृष्टिकोण हो सकता है। वे रात दिन खपते हैं, काम करते हैं, आफिस बीयरर्स हैं, बनते हैं तो यह मेरी बात नहीं हैं, मेरे द्वारा मुकर्रर किये हुए हैं। उनको अमेरिका या रूस भेजा। मैंने कभी उनको अमेरिका या रूस भेजने में सिफारिश नहीं की। वे अगर गये हैं तो संगठन के जरिये से ही गये हैं, अपने कामकाज के कारण गये हैं। ऑल इन्डिया को आपरेटिव देश की यूनियन है, उसने सिलेक्शन किया और वे रूस और अमेरिका गये।

**श्री श्रीभानसिंह** : When was this Co-operative union formed and when his case was recommended?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : आप उस यूनियन को फोरफिटेड यूनियन कहते हैं जो आज तीन वर्ष से देश में चल रही हैं। उस कोआंपरेटिव को लाखों रुपया सबसिडी के मिलते हैं, उसको आप कोन्कोक्टेड यूनियन कहते हैं। जो भाई अन्धेरे में सौते रहते हैं, जिनको कोऑपरेटिव के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिनको कोऑपरेटिव मूवमेन्ट क्या है, यह समझना भी बाकी है

**श्री सभापति** : Order please

---

XXXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

**श्री श्रीभानसिंह :** I take serious objection of this Sir. What does he mean by saying this ? He should be asked to withdraw.

**श्री नाथूराम मिर्धा :** जरा संतोष रखना चाहिये।

**श्री श्रीभानसिंह :** I rise on a point of Order, Sir............

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

**श्री भैरोंसिंह :** यह क्या तमाशा है ?

**श्री श्रीभानसिंह :** यह क्या बात हुई ?

I rise on a point of order, Sir., the Hon'ble Minister is going very personal. × × × × He has no right to say so.

**श्री सभापति :** Order ! Order !!

**श्री पी० के० चौधरी :** He is getting very personal......

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप मंत्री) :** How does the Hon'bie Member say ?

× × × ×

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** You cannot.

**श्री सभापति :** Order ! Order. !!

**श्री पी० के० चौधरी :** On a point of Order, Mr. Chairman, while speaking in this House, to some extent we may be personal but × × × × this is objectionable.

× × × × श्री अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

**श्री सभापति :** मिनिस्टर इन्चार्जप्लीज। प्रोसिडिंग्ज़ में श्री श्रीभानसिंह ने कहा XXXX और आपने कहा वह डिलीट कर दिया गया।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** माननीय सभापति महोदय, मुझे आपका रूलिंग सर्वमान्य है। जब उन्होंने कहा, मुझे भी कहना पड़ा।

माननीय सदस्य ने सहकारिता के बारे में जो कुछ बातें कहीं, बड़े ढंग से कहीं और अपने तरीके से बोले। एक श्री नाहरसिंहजी के अपॉइन्टमेंट के बारे में भी कहा उसके लिये में निवेदन कर देना चाहता हूं कि वे असिस्टेन्ट डाइरेक्टर पंचायत में थे जो पोस्ट अभी तक एबोलिश नहीं हुई और वह २०० से ६०० के ग्रेड की थी और यहां भी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार की जो जगह है वह भी २०० से ६०० की ग्रेड की है

**श्री श्रीभानसिंह :** क्या उनको पी० एस० सी० ने सिलेक्ट कर लिया था ?

**श्री नाथूराम मिर्धा :** आज भी सिलेक्शन नहीं किया, पहले भी नहीं किया, जिस तरह की हालत पहले थी वही है। इस विभाग में ४०, ५० असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार काम करते हैं और हर साल २५, ५० नये भरती होते हैं। वैसी हालत में ये तो सात आठ साल से सरकारी सर्विस में हैं, इस कार्य में रुचि रखते हैं, इनके गांव के लोगों का इनके साथ अच्छा सम्पर्क है चालीस-पचास आदमी जब हर साल लेते हैं तो इनको ले लिया इसमें क्या ऐसी बात हो गई।

**एक माननीय सदस्य :** वर्ग विशेष से टंटा है।

× × × × श्री अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं निवेदन करूंगा आप किसी जाति विशेष पर आक्षेप करें तो यह उचित नहीं। हरएक व्यक्ति किसी न किसी जाति विशेष से है ही इस तरह से जाति विशेष की वैमनस्यता को लेकर सदन में कुछ कहना उचित बात नहीं होगी। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे इस दृष्टिकोण से नहीं सोचें। सहकारिता एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है, इस काम को करने के लिये मैं माननीय सदस्यों का आह्वान करता हूं इसकी रीति–नीति बिल्कुल साफ है इसके कामकाज की जो नीति है वह निर्धारित है। वैसे भी सहकारिता बहुत बड़ा काम है। हमें और भी सोसाइटीज का गठन करना है हम इसमें आम लोगों का पूर्ण सहयोग चाहते हैं। जहां तक सोसाइटीज का सम्बन्ध है उनमें बिना पढ़े-लिखे लोग भी होते हैं। इससे कुछ पढ़े-लिखे लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। कहीं कहीं आपसी तनातनी से गड़बड़ भी हो जाती है, कई दफा हिसाब किताब में भी गड़बड़ी पैदा हो जाती है उससे क्या होता है विभाग को बदनाम करते करते मंत्रियों तक को भी बदनाम कर दिया जाता हैं। जहां कहीं भी समितियों में गड़बड़ी पाते है हम पूरी चेष्टा करते हैं उसको दूर करने की। हमारा विभाग और विभाग के अफसर भी पूरे प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसी हालत में जो यह पांच आदमियों की कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है उससे कोई मकसद हल होने वाला नहीं है। ज्यादा आदमियों की कमेटी बनाने से भी किसी प्रकार का मकसद हल होने वाला नहीं है। यह न तो सहकारिता के पॉलिसी निर्माण में सहयोग दे सकती है और न किसी प्रकार का सोसाइटीज के वर्किंग में ही परिवर्तन ला सकती है। इस प्रकार सहकारिता का कामकाज देखने के लिये एक एडवाइजरी कौन्सिल बनी हुई है वह अपनी राय दे सकती है जिला लेवल पर और यूनियन लेवल पर भी कमीटीयां हैं जिनमें ऑफिशियल और नान आफिशियल दोनों प्रकार के मेम्बर हैं। सहकारी एडवाइजरी कौन्सिल बनी हुई है जिसके इस सदन के मेम्बर भी सदस्य हैं वह जो कुछ राय देती है सरकार उसको मान्यता देती है। उनकी वाजिब बातों को स्वीकार किया जाता है। वैसी हालत में इस प्रस्ताव द्वारा जो सदन के मेम्बरों की समिति बनाने का प्रस्ताव है वह मैं समझता हूं कोई आवश्यक नहीं है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वे अपने इस प्रस्ताव को वापिस लें।

**श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा)** : I may be permitted to withdraw.

**श्री सभापति** : क्या सदन की अनुमति है कि श्री पी० के० चौधरी को प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

'हां' पक्ष जीता

**श्री भैरोसिंह (श्रीमाधोपुर)** : 'ना' पक्ष जीता।

**श्री सभापति** : Do you claim division?

**श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर)**: He is not serious about it.

**श्री सभापति** : आज्ञा दी गई।

**श्री पी० के० चौधरी** : I withdraw my amendment.

# Page No.112



**श्री सभापति** : सदन की कार्यवाही दिनांक १७-१२-५९ के ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ बज कर ५ मिनट पर दिनांक १७-१२-५९ के ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई )

———

# संक्षिप्त-विवरण

( बुद्धवार, दिनांक १६ दिसम्बर, १६५६ )

स्कम्भ

**तारांकित प्रश्नों के शीर्षक** २६३८

पार्वती बांध में आई हुई भूमि का मुआवज़ा।

नागोर जिला कृषि अधिकारी द्वारा लॉग बुक में गलत इन्दराज।

देसूरी, खारची और सोजत तहसीलों में सड़क निर्माण योजनाएं।

कुचामन नगरपालिका के नामजद उपाध्यक्ष द्वारा नगरपालिका कोष का दुरुपयोग।

लालसोट राजमार्ग।

कोटा (Quota) लाइसेन्स देने के आधार

जैतारण के पंचायत इन्सपेक्टर के विरुद्ध हुई शिकायत की जांच 'की' विलेज स्कीम (Key village Scheme).

बीदरखा पंचायत

भूमिहीनों को राजस्थान नहर पर कार्य करने हेतु आकर्षित करना।

जन सेवा आयोग तथा विभाग द्वारा आर० टी० ओज़ तथा ए० आर० टी० ओज का चयन

सुभाषनगर (अजमेर) के पास डाले जाने वाले कूड़े की अन्यत्र व्यवस्था।

राजस्थान यातायात कर्मचारियों की वेतन श्रृंखलाओं एवं भत्तों में समानता।

राजस्थान अस्पताल कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत मांगपत्र पर निर्णय।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी परीक्षाओं के संचालन हेतु बोर्ड की स्थापना

श्रमिकों के लिए मुकर्रर न्यूनतम वेतन।

जयपुर नगर की डिस्पेन्सरियों के कम्पाउन्डर्स का स्थानान्तरण।

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के संचालक द्वारा पत्रकारों के साथ ज्यादतियां।

बीकानेर की राजकुमारी मालू की मृत्यु के बाद उसके माल को चुराने व गबन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही।

चिकित्सा की मान्य पद्धति।

जिला झंझुनू में यातायात विभाग द्वारा अदालत में किए गये चालान।

बेगी नगरपालिका द्वारा करवाये गये निर्माण कार्य

श्री रामपाल बावरी, ग्राम अरड की मृत्यु के विषय में हुई जांच का परिणाम

स्कम्भ

दूसरे मैडिकल कॉलेज खोले जाने के विषय में व्यक्त कमेटी की राय।

कस्बा झुंझुनू में वाटर वर्क्स की योजना।

कच्चे मकान वाले हरिजनों को १ रु० में जमीन का पट्टा देना।
ग्राम उगरियावास ( दूदू ) में औषधालय का प्रबन्ध।

सिरोही जिले में माइनर व मीडियम परियोजनाओं की स्वीकृति।

**प्रतिवेदनों का उपस्थापन** ३००५

(क) श्री हरिदेव जोशी, सभापति, ने जन लेखा समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

(ख) श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी, सभापति, ने सहकारी आश्वासनों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

(ग) श्री ब्द्रीप्रसाद गुप्ता ने कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

**कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार** ३००६

श्री ब्द्रीप्रसाद गुप्ता ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया :—
'यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।'

**गैर सरकारी संकल्प** ३००६

(१) श्री मुरलीधर व्यास, सदस्य, विधान सभा, ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया :—
'सदन की यह सम्मति है कि राज्य की शिक्षण संस्थाओं में सैनिक शिक्षा दी जाने की व्यवस्था की जाय।'

उपरोक्त संकल्प पर डा० चन्द्रकला तथा श्री गोकुलचन्द जाटव द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये।
संकल्प पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. श्री मनोहर कोठारी
२. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
३. श्री लक्ष्मीचन्द
४. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
५. श्री मूलचन्द डागा
६. श्री सूबेदारसिंह
७ श्री मोगजी भाई
८. श्री मोहरसिंह
९. श्री बी. एन. जोशी

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री, ने बहस का उत्तर दिया।
तत्पश्चात् श्री मुरलीधर व्यास ने अपना संकल्प वापस ले लिया।

(२) श्री पी० के चौधरी, सदस्य, विधान सभा, ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तु किया :—

"This House resolves that a five-man Committee be appointed consisting of the members of this House to examine the Government's policy in respect of the co-operative movement and also to examine the working of the existing co-operative societies in the State."

इस संकल्प पर डा० बहादुरसिंह, सदस्य, विधान सभा ने एक संशोधन प्रस्तुत किया।

वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. श्री श्रीभानसिंह
२. श्री हरिप्रसाद यादव
३. श्री शंकरलाल
४. श्री मुरलीधर व्यास
५. श्री भैरोंसिंह (१४)

श्री नाथूराम मिर्धा. सहकारी मन्त्री, के उत्तर के पश्चात्, संकल्प वापस ले लिया गया।

**गुरुवार १७ दिसम्बर, ५६ की**

**कार्य-सूची**

१. राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियंत्रण) संशोधन विधेयक, १६५६ (पुरःस्थापन)

२. सदन की मेज पर रखा गया पत्र राज्य के भूमि आयोग (State land Commision) का प्रतिवेदन

३. भारतीय सविधान के आर्टिकल ३३४ में संशोधन सम्बन्धी संकल्प

४. विचारार्थ लिये गये

(अ) राजस्थान लैण्ड रिफोर्म्स एण्ड रिज़म्पशन आफ जागीर्स (बारहवां संशोधन) विधेयक, १६

(ब) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान श्रमदान विधेयक १६५६ (विचार-विमर्श)

## परिशिष्ट १

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३८३ का उत्तर देखिये )

STATEMENT SHOWING THE EXPENDITURE OF M. T. C. ON ROADS IN. KHARCHI, DESURI AND SOJAT TEHSILS.

( UP-TO 31st, OCT. 1959 )

| No. | Name of Roads. | No. of Routes | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | G. Total. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | M/Rd. Pali to Sojat | 24 | — | 8479/— | 2645/— | 5216/— | — | 16340/— |
| 2. | F. W. Rd. Sojat to Bagri. | 4 1/4 | 677/— | 3727/— | 142/— | 776/— | — | 5322/— |
| 3. | —do— Sojat to Mr. Juncdl. | 13 | — | 684/— | 401/— | 619/— | — | 1704/— |
| 4. | —do— ,, to Sardarsanand | 15 1/4 | — | 360/— | — | 3558/— | — | 4019/— |
| 5. | G./Rd. ,, to Bilara | 23 | 5938/— | 1122/— | — | 1276/— | 282/— | 8618/— |
| 6. | M/Rd. ,, to Sojat Rd. | 6 | 6330/— | 3638/— | 3570/— | — | 2654/— | 16192/— |
| 7. | G/Rd. Mr. Junct. to Jojawar | 18 | 3480/— | 4450/— | 2155/— | 2408/— | 1784/— | 14242/— |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | „ „ to Sardarsamand. | 28 | 9281/— | 2707/— | 2715/— | 2775/— | 2009/— | 19487/— |
| 9. | „ & F. W. R. from Desnri to Panota | 38 | 1311/— | 1281/— | 1959/— | — | 989/— | 5140/— |
| 10. | F. W. R. Desuri to Rani | 19 | 692/— | 1047/— | — | 299/— | — | 2038/— |
| 11. | C/Ed. Sojat to Nusalia. | 9 | — | 269/— | 170/— | — | — | 439/— |

परिशिष्ट

APPENDIX 'B'

The list of the Roads constructed during First Five Year Plan in Sojat, Kharchi and Desuri Tehsils.

| S. No. | Name of the Road. | Expinditure |
|---|---|---|
| 1. | Gravel Road from Marwar Junction to Ahuwa 4 miles. | 20,000/- |
| 2. | Gravel Road from Sojat Road to Bagri 6/2 1miles. | 27,000/- |
| 3. | Metalled road from Ranawas Railway Station to Town 2 miles. | 30,000/- |
| 4. | Bitumen treatement of road from Pali to Sojat 24 miles. | 50,000/- |

APPENDIX 'C'

LIST OF PROPOSED ROADS IN TEHSIL DESURI & KHARCHI OF PALI DISTRICT DURING THE SECOND FIVE YEAR PLAN.

| S. No. | Name of Roads. | Miles | Amount for 2nd Five Year Plan. |
|---|---|---|---|
| 1. | Metalled road from Kot to Devair. | 2 | Rs. 1,50,000/- |
| 2. | Metalled road from Goguada to Sadri. | 4 | „ 1,55,000/- |
| 3. | Metalled road from Kanpura to Desuri. | 71/2 | „ 1,87,000/- |
| 4. | Metalled road from Sojat to Seriari. | 6 | „ 1,61,000/- |
| 5. | Gravelled road from Marwar Junction to Jojawar Part length. | 4 | „ 20,000/- |
| 6. | Metalled road from Jojawar to Kamali Ghat. | 2 | „ 92,000/- |

# परिशिष्ट २

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३८७ का उत्तर देखिये )

List of showing the names and addresses of the parties to whom Essentiality Certificates for import of Iron & Steel during the licensing period April-September, 1959 for industrial purpose have been issued.

| S. No. | Name & Address of the Party to whom Essentiality certificate recommended & Issued. | Industry for which licence issued. | Progress made. |
|---|---|---|---|
| 1. | Jaipur Cycle & Part Industries Shriji-Ki-Mori, Jaipur. | Cycle & Cycle parts. | Tools & Equipments availble in the factory. |
| 2. | R. S. Brothers, Bakshiji ka Chowk, Jaipur. | —do— | —do— |
| 3. | Rajasthan Cycle Industries, Gangori Bazar, Jaipur. | —bo— | —do— |
| 4. | Wire Products Bhindon-ka-Rasta, Purohitan Ka Chowk, Jaipur, | Wire Netting. | Handlooms installed. |
| 5. | Rajasthan Wire Netting Factory, Neem ka Thana, (Chhoni) | —do— | Looms installed. |
| 6. | Ashoka Wire Netting Industry, Near Khawasji-ka-Rasta, Parasram Marg, Jaipur, | —do— | Looms Installed. |
| 7. | Rajasthan Iron & Steel Mfg. Works, Industrial Estate, Jaipur, | —do— | Some looms have been installed & machines are to be installed. |
| 8. | Rajasthan Steel Corporation, Moti Doongri Road, Jaipur. | —do— | Handlooms installed. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | Khandelwal Udyog, Purani Basti, Bagruwalon-ka-Rasta, Jaipur. | —do— | Looms existing. |
| 10. | Jaipur Wire Netting, Shriji ki Mori, Jaipur. | —do— | Looms installed. |
| 11. | Rajasthan Wire & Steel Co., Beni Park, Jaipur. | Wire & Nails. | Machinery installed. |
| 12. | Rajasthan Steel Corporation, Moti Doongri Road, Jaipur. | —do— | —do— |

No case was recommended for import of license in respect of sewing machines and Bolts and nuts during the aforesaid period.

———

# परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३८६ का उत्तर देखिये )

| | श्रेष्ठतर प्रजनन | बधिया किये गये | बिमारी के बचाव हेतु टीके लगाये । |
|---|---|---|---|
| महाजन | १८२ | ५०६ | ४०२८ |
| बीकानेर | ८३० | ६६६ | ३६३५ |

इसके अलावा बीकानेर केन्द्र वहां के वेटेरिनेरी कालेज के विद्यार्थियों के प्रतिक्षण में भी लाभदायक सिद्ध हुआ है ।

---

# परिशिष्ट ४

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १८६ का उत्तर देखिये )

(१) सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम १६४८ के अनुसार राज्य पर में समस्त उन कारखानों में जहां उक्त कानून लागू किया जा सकता है लागू कर दिया है। इस अधिनियम के द्वारा जिन जिन उद्योगों में न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है उसका विवरण निम्न प्रकार है। न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के पूर्व सरकार ने Cost of living index की वृद्धि होने के कारण तथा अजमेर व अन्य राज्यों में प्रचलित वेतन दरों के आधार पर इन दरों को निश्चित किया:—

| क्र०स० | उद्योगों के नाम | न्यूनतम वेतन नोटिफिकेशन प्रकाशित होने की तारीख | श्रेणीबध न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का विवरण | दैनिक | मासिक | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | |
| १ | राइस फलौर एण्ड दाल मिल्स | १५–१–५६ | (क) प्रौढ़ पुरुष | रु० १. ५० न० पै० | रु० ४५. ०० | |
| | | | (ख) ,, स्त्री | रु० १. ५० | रु० ४५. ०० | |
| | | | (ग) किशोर | रु० १. २५ | रु० ३७. ५० | |
| | | | (घ) किशोरी | रु० १. २५ | रु० ३७. ५० | |
| २ | वुलन कारपेट और शाल वीविंग एसेब्लिशमैन्ट | ७–५–५६ | ,, | , | ,, | |

| १ | २ | ३ | ४ | | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ३. | स्टोन ब्रेकिंग एण्ड स्टोन क्रशिंग | ७–५–५६ | ” | ” | ” | |
| ४. | माइका वर्क्स | ७–५–५६ | ” | ” | ” | |
| ५. | कन्सट्रक्शन सड़क व बिलडिंग औपरेशन | ७–५–५६ | ” | ” | ” | |
| ६. | टोबको इनक्यूडिंग ब्रीडी मेकिंग मेन्यूफेक्शरिंग | ७–५–५६ | ” | ” | ” | |
| ७. | वायल मिल्स | २३–४–५६ | ” | ” | ” | |
| ८. | लोकल ओयेरिटी | ६–७–५६ | ” | ” | ” | केवल श्रेणी 'ए' के लिये। |
| | | | (क) प्रौढ़ पुरुष | रु० १. २५ | रू० ३७. ५० | केवल श्रेणी ब के लिये। |
| | | | (ख) प्रौढ़ स्त्री | रु० १. २५ | रू० ३७. ५० | |
| | | | (क) प्रौढ़ पुरुष | रु० १. १२ | रू० ३३. ७५ | केवल श्रेणी स और ग के लिये। |
| | | | (ख) प्रौढ़ स्त्री | रु० १. १२ | रू० ३३. ७५ | |
| ९. | पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट | ७–५–५६ | (क) ड्राईवर | रु० २. ५० | रू० ७५. ०० | |
| | | | (ख) कन्डक्टर व प्लाइंग चैकर्स | रु० १. ७५ | रू० ५२. ५० | |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (ग) क्लीनर्स, पिऑन्स खलासी व यारर मैन इत्यादि | रू० १. ५० | रु० ४५. ०० |
| | | | (घ) क्लर्कस | रु० २. ०० | रु० ६०. ०० |
| १०. | माइका माइन्स | ६–४–३६ | (क) प्रौढ़ पुरुष | रु० १. ३१ | |

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

## परिशिष्ट ५

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४०८ का उत्तर देखिये )

### सूची अ

बेगूं नगरपालिका; जो अब ग्राम पंचायत में बदल दी गई है द्वारा १५ फरवरी, १९५६, से अब तक किये गये निर्माण कार्यों की सूची

| नाम निर्माण कार्य | रकम जो प्रत्येक कार्य में खर्च की गई रु० न० पै० |
|---|---|
| १. अधूरी सडकें पूरी की गईं | ६५६५.८ |
| २. झालरा नामी पुल बनवाई गई | १३४४.६ |
| ३. म्युनिसिपल आफिस में २ कमरे व वरन्डा बनाया गया। | ५१४५.१४ |
| ४. सड़क की नालियां बनवाई गईं | ३८४.६२ |
| ५. मोटर स्टेन्ड पर चबूतरा बनवाया गया | ५२०.२६ |
| ६. श्मशान निर्माण कार्य | २००.३१ |
| | १४.१५६.५३ |

## सूची ब

| नाम कार्य | रकम रु० न०पै० | टेन्डर देने वाले का नाम | टेन्डर लेने की तिथि | टेन्डर मंजूरी की तिथि | जिसके नाम टेन्डर मंजूर हुआ | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १. सड़क कार्य | ५७२६.७० | (१) श्री रूप सिंह रातड़िया<br>(२) श्री सुमान खां पठान | ३१–५–५६ | ३१–५–५६ | श्री सुमान खां | |
| २. म्यूनिसिपल आफिस के दो कमरे व बरेन्डा | ५१४५.१४ | (१) श्री रूप सिंह रातड़िया<br>(२) श्री सुमान खां पठान<br>(३) श्री समर्थ सिंह | १८–५–५६ | १८–५–५६ | श्री रूप सिंह | श्री रूप सिंह ने आधा कार्य करके छोड़ दिया इसलिये दुबारा बाकी कार्य के लिये टेन्डर मांगे गये। |
| ३. म्यूनिसिपल आफिस के दो कमरे व बरेन्ड | २३२९.८९ | (४) श्री समर्थ सिंह | १–८–५६ | १–८–५६ | श्री समर्थ सिंह | |
| ४. मोटर स्टेन्ड पर चबुतरा | ५२०.२६ | (१) श्री रूप सिंह<br>(२) श्री सुमान खां | १६–३–५६ | १६–३–५६ | श्री सुमान खां | |

## सूची स

नगरपालिका बेगूं के द्वारा १-२-५६ से अब तक जो निर्माण कार्य अमानी में कराये गये हैं।

| नाम कार्य | व्यय किया गया धन | दिनांक जिसको पेमेन्ट किया गया। |
|---|---|---|
| १. म्यूनिसिपल आफिस में बनाये गये कमरों के किवाड़। | १६८) रु० | २८-८-५६ |
| | | ४-६-५६ |
| | | २३-६-५६ |
| २. सड़क का बाकी कार्य | रु० ८३८.३८ नपै० | १-५-५६ |
| | | ४-५-५६ |
| | | ७-५-५६ |
| | | ६-५-५६ |
| | | ६-५-५६ |
| | | ६-५-५६ |
| | | १०-५-५६ |
| | | ११-५-५६ |
| | | १८-५-५६ |
| | | १५-५-५६ |
| | | २५-५-५६ |
| | | १०-६-५६ |

परिशिष्ट

सूची ग

नगरपालिका बेगूं द्वारा १-२-५६ से अब तक ठेकेदारों द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की सूची।

| नाम कार्य | धन जो लगाया गया | नाम ठेकेदार | पेमेन्ट करने की तिथ |
|---|---|---|---|
| झालरानामी पुल | रु० १३४४.६ न० पै० | श्री सुमान खां | २५–५–५६ |
| | | | ८–६–५६ |
| | | | ८–६–५६ |
| | | | १५–६–५६ |
| | | | १३–७–५६ |
| | | | २१–५–५६ |
| नालियों का निर्माण। | रु० ३८४. १४ न० पै० | श्री सुमान खां | ३०–६–५६ |

———

परिशिष्ट ६

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४०६ का उत्तर देखिये )

POST—MORTEM REPORT.

Dated 8th, April, 59.

District AJMER.

Body brought by :- Devising P. C. No. 393.

Body identified by : Brother of deceased-Dhanna.

Name, sex, age and caste :— Rampal S/o Tiku Bavaria of Rarka.

Whence brought, village thana. Vill. Tehsil Ajmer—age 30 years.
P. S. Kuchil.

DATE AND HOUR OF :—

Death :— 8.30 A. M. 8-4-1959.

Examination of body :— 12.50 Noon. 8-4-59.

Despatch of matter to Chemical Examiner :— NIL.

Appearance of Symptoms of poison or disease :— NIL.

Symptoms observed before death :— Deeply unconscious. Pupils contracted equal & fixed conj and cernaul refferes about. Swelling behind the left ear and below It pling on pressure. Tendervess Ahresuions in the limber region of spina.

Information furnished by Police :— H/O fall from two storey building.

N. B. :— The Medical officer will observe the state of all the organs, and when he finds no disease or injury, he should write in the appropriate places the word "healthy".

1. EXTERNAL APPEARANCE.

1. Condition of subject :— Stout emaciated, decomposed & Dark compleminal well built hindu male.

POST-MORTEM VIGULALY PRESENT

2. Wouuds — position, size, character :— (1) Abrazion. Multiple. A scorted sizes on the lower fourth of the right leg. (2) Swelling of diffused nature below and behival the left ear in the vegior mastoral (3) Multiple Aprasion of different. sizes

3. Br.ises—position, size, character. on 4x1" are of the luntraozim of the vertebraxolum.

4. Marks of ligature on neck, dissection & NIL.

5. Condition of pupils. EQUAL & DELATED.

## II. CRANIUM AND SPINAL CORD.

Note :— The spinal canal need not be examined, unless any indication of disease or injury exist,

1. Scalp, Skull and vertebrace. 2. Membranes. 3. Arain and spinal.

A liaimatoma in the left side pareto-occifxtal region of the head in the scale 2" × 2" Blood elets noticed in the left tempral regram of the skull also under the sealp. A coractfruction noticed running upwards arms the first part of the left tempral bone and panelal but with left side of skull running toward size 2 1/2" in length lacembed (supersfecial) of the fmta lops of the pinum more of the right side with sufleng of the puen marks and cloth of plane.........

Fracture of the fronsuret (left) and...... of the I and II Lunber Vertebrae.

## III. THORAZ.

1. Walls, ribs and eartilages. Healthy.
2. Pleura e. Healthy.
3. Larynx and trachease.
4. Hight lung. Healthy.

5. Left lung. Healthy.

6. Pericardium. Healthy.

7. Heart. Healthy. Blood in the left vaulvels.

8. Large vessels. Healthy.

IV. ABDOMEN.

1. Walls. Healthy.

2. Peritoneum. Healthy.

3. Mouth, pharynx and Esephague. Honey and full of moon.

4. Stomach and its contents.

5. Small intestines and their contents Healthy and full of......

6. Large intestines and their contents. The........with faual........ and grace.

7. Liver. Healthy

8. Speen. Healthy.

9. Kidneys. Healthy.

10. Bladder. Healthy and Empty.

11. Organs of generation ext·rnal & internal. HEALTHY.

7. MUSCLES, SONES JINTS.

1. INJURY. "DISEASES OR DEFORMITY. 3. FRACTURE. 4. DISLOCATION.

REMARKS BY MEDICAL OFFICER.

Patient died of Head injury aggravated by spineal injury shock on account of fall from the storey. height.

Sd/—H. K. KHANNA.
S.4.:9.

TRUE COPY.

Inquiry u/s 176 Cr. P. C. by Shri J. P. Dixit, Asstt. Collector & Magistrate First Class, Kishangarh into the cause of death of Rampal Baori s/o Tikku Baori of village Arnarka.

The Dy. Superintendent of Police, Kishangarh informed me that Rampal s/o Tikku Baori of village Ararka while under Police invastigation in C. P. Kuchil had a fall from the upper roof of the O. P. building of Kuchil on 7.4.59 has received serious injuries and became unconscious. On receiving this information I reached the spot along with the Dy. S. P. and the Medical Officer I/C. Y. N. Hospital Kishangarh to record statement of the injured. He was found to be absolutely unconscious and as such no statements were recorded.

The said Rampal was removed to Y. N. Hospital Kishangarh in the evening of the same date where he was admitted for observation, examination and treatment. On 8.4.59 at 8-30 A. M. the injured Rampal died.

The Dy. S. P. requested me to hold an inquiry into the cause of death of Rampal, who died during Police investigation. I also thought it expedient to hold an inqu!ry into the cause of this death in addition to the investigation held by the S. H. O., Kishangarh, who discovered that the cause of death was suicide by Rampal, who fell from the two storey-height to end his life.

The dead body of Rampal was seen by me before its post martem in presence of Dr. S. S. Bhargava, M. B. B. S. and Shri Chiranjilal Compounder to detect external injuries, if any, the deceased had three injuries at his persons noted down in memo. At page 4 one injury was swelling only below the left ear and the remaining two were multiple absresssions of different sizes.

I have also examined 13 witnesses in this case of whom Ramdeen, Kana 2, Mangia 3, Suwalal 4, Bajranga 5, and Mohan 6 are persons who were present when Rampal climbed the upper storey of O. P. Kuchil and fell down. Witness No. 7 Shri Kailash Chandra is Sarpanch of Kuchil Panchayat, he also gives out how Rampal occassioned his end. Noratmal 8, Panna 9, Jiwan 10, also belong to village Kuchil and are eye-witnesses.

Laxmi Narain 11 is a neighbour of O. P. Kuchil and Peer Khan a village headman, Chinna 13, is one of the supects of theft who was also on the spot at the time of occurrence of the incident.

It is clear from evidence that Baories of village Kuchil Hussiara, Ararka, Singra, Nondpura and of near vicinity were collected by Head

constable Chhoga Lal in O. P. Kuchil for investigation in case No. 24 u/s 457/380 IPC of Police Station Kishangarh. The deceased Rampal was one of the persons to be investigated.

Ramdeen W. 1 states that he was summoned by Thanedar, Chowki Kuchil yesterday and he reached there at about 10 or 11 A. M. At that time Panna, Chimna, Mangia, Amra, Rampal were also present in the Chowki. Investigation was going on. When Rampal's turn for investigation came he went up side the Chowki to make water and fell from the roof. This witness further says that one constable also accompanied Rampal. This witness was specifically asked by the court if any beating was given to Rampal by Police to which he has replied that Rampal was never beaten in his presence. Nor did he see any injuries over his persons. Kana W. 2 also gives a similar version but he says that no constable accompanied Rampal when he rushed to the roof to have fall. On court question as to beating by the Police he also says that no beating was given to Rampal in his presence. Mangia W 3 also says that when Rampal's turn to reply as to the theft came, he went to the roof to make water and fell there from and became unconscious. Suwa Lal W. 4 is a witness in whose house theft occurred and who lodged the report for investigation. This witness also says that he was also present at the time when Baories were being interrogated. No beating was given to Rampal in his presence. Bajrang W. 5 and Mohan W. 6 also say the story of Rampal's falling from roof in similar terms. They also do not mention any thing as to Police torture. Kailash Chandra W. 7 says that on 7.4.59 at about 2-30 P. M. he was present in O. P. Kuchil where Baoris were being interrogated in a theft case which occurred on 4.4.59. When Rampal s turn came, he went away saying that let him make water first. He then went to upper storey of the O. P. building where-from he fell down. In reply to court questions this witness has also said that Rampal was not beaten by the Police. Noratmal W. 8 a local Mahajan says that he was summoned by Chhogalal Head Constable. He was present in the Chowki. No man was tortured by the Police.

Panna W. 9 and Jiwan W. 10 say that no Policeman accompained Rampal to the roof wherefrom he fell. They also say that Rampal was not given any beating.

Laxmi Narain W. 11 is a neighbour. He was sure to have heard any cry of noise, if Rampal could have been given any injuries by the police.

This witness says that he did not hear any noise of beating either in day or at night.

Peer Khan W. 12 who is a village Lumbardar says that he was sitting in Patwarkhana which is also situated in O. P. Kuchil compound. Rampal was not given any beating nor did any Policeman accompany him when he climbed the roof and fell down.

Chimna W. 13 says that the Kotwal of Kishangarh beat all the Baories. He further says that they were also beaten in Kuchil O. P. According to this witness, Panna, Kana, Mangia, Jiwan, Bhanwara, Ramdeen, Gopal, Bhura, Amra, all were beaten. As for Rampal this witness says that when Rampal was beaten he was not present. Thus nearly all the witnesses who are said to be present on the spot say that Rampal was not beaten by the Police. Except Ramdeen W. 1, no witness say that Rampal was accompanied by any Policemen when he fell down.

On closer examination of the dead body I noticed three injuries the person of the deceased. The multiple abrasions of different sizes over the legs and in the back in an area of 4″ × I″ cannot be inferred to be beating in absence of direct evidence.

According to the post-mortem report Rampal's death is due to "Head injuries aggravated by spinal injury shook on account of fall from two storey height."

From evidence of eye-witnesses it appears that when Rampal's turn of interrogation came some change occurred in his mind and some idea so much distrubed him that he willed the destruction of his life. Falling down from the high building was the only available method of committing suicide to him at that particular hour. No crime has been made out nor is there any evidence to connect anybody with it. The verbal and the medical evidence is good enough to believe the cause of death to be "Head Injury aggravated by spinal injury shook on account of fall from two storey height." There being thus nothing to warrent registering of a crime the papers be filled and copy be sent to District Magistrate, Ajmer, for his information.

Sd/- J. P. Dixit.
Asstt. Collector & Mag. Ist Class
Kishangarh.

## शुद्धि–पत्र

( कार्य विवरण दिनांक १६ दिसम्बर, १६५६ )

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| २६४० | ७ | ग | नागौर |
| २६४५ | अन्तिम से २ | इकराने का | कराने का |
| २६४६ | ६ | प्रयाा किय | प्रयास किया |
| २६४८ | प्रथम | table | table of the |
| २६४८ | अन्तिम | only wan | only wanted |
| २६४६ | ७ | Quitea | Qmte a |
| ,, | १४ | te l | tell |
| २६५६ | शीर्ष | प्रभूलाल | प्रभुलाल |
| २६५६ | अन्तिम २-१ | numbr for ch | number for |
| २६६० | १६ | requistion | such requisition |
| २६६१ | २१ | separatel | separately |
| २६६० | १० | अध्वद्द | श्री अध्यत्त |
| २६६४ | ७ | ट्रें न्चिग | |
| २६६८ | १४ | मत्री | मंत्री |
| २६६६ | ८ | मरलीधर | मुरलीधर |
| २६७१ | २२ | स्टेटस | स्टेट्स |
| ,, | २४ | गवर्नमेंत्ट | गवर्नमेन्ट |
| २६७२ | १७ | चाहते कि है | चाहते हैं कि |
| २६७३ | १७ | परिशिष्ट ३ | परिशिष्ट ४ |
| ,, | ८ | कम स कम | कम से कम |
| ,, | ,, ,, २ | १ रु० २५० न० पै० | १ रु० २५ न० पै० |
| २६७४ | ११ | नहींह | नहीं है |
| ,, | अन्तिम से ५ | निर्धारत | निर्धारित |
| २६७८ | २४ | निश्चत | निश्चित |
| २६८६ | २४के पश्चात् | जांच का परिणाम | — |
| २६६० | १५ | रमकिशोर | रामकिशोर |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| २९९३ | १७ | प्रजेन्स | प्रेजेन्स |
| २९९३ | १७ | प्रजेन्स | प्रेजेन्स |
| २९९४ | ६ | जा है | जाता है |
| २९९४ | १६ | रामकिशेर | रामकिशोर |
| २९९५ | ५ | कह कि | कहा कि |
| २९९६ | अन्तिम से ७ | ऑथोगइज | ऑथोराइज्ड |
| २९९७ | ६ | शख्त | सख्त |
| ,, | १८ | रामकिशो | रामकिशोर |
| ,, | अन्तिम से ३ | कार्य विवरण) | (कार्य–विवरण) |
| ३००८ | १० | Desartment | Department |
| ,, | १६ | ता उसका | तो उसका |
| ३००६ | शीर्ष | सहकारी | सरकारी |
| ३०११ | ७ | तिव्रती | तिब्बत |
| ३०१४ | ६ | क्योंक | क्योंकि |
| ,, | २० | ज अपने | जो अपने |
| ३०२० | शीर्ष | १२ दिसम्बर | १६ दिसम्बर |
| ३०२१ | १२ | हुई थ....था । कि | हुई थी....था कि |
| ,, | २१ | के लि | के लिये |
| ३०२२ | शीर्ष | दसम्बर | १६ दिसम्बर |
| ३०२६ | अन्तिम से | कोठारा | कोठारी |
| ३०३० | १६ | ट्रटर वगैरह | ट्रैक्टर वगैरह |
| ३०३१ | १ | गरा | गिरा |
| ,, | ८ | अनिवार्यत: | अनिवार्यता |
| ,, | १६ | अध्यक्ष महोदय | अध्यक्ष महोदय |
| ३०३४ | २२ | चाहते हूँ | चाहता हू |
| ,, | अन्तिम से ५ | शा | शिक्षा |
| ३०३५ | १४ | डालेगे | डालेंगे |
| ३०३६ | ६ | मनिक | सैनिक |
| ३०४२ | शीर्ष | शिक्षा क | शिक्षा का |
| ३०४४ | ११ | डिसिप्लेन | डिसिप्लिन |
| ,, | अन्तिम से १० | oJar | so for |

# Page No.138



| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ३०४६ | ६३ | स्वभावत: | स्वभावत: |
| ,, | २७ | Sytem | System |
| ,, | ३० | to de | to be |
| ३०४७ | १० | डिसीप्लेन | डिसिप्लिन |
| ,, | अंतिम | उच्छृखलता | उच्छृंखलता |
| ३०५२ | १२ | इ बात | इस बात |
| ३०५२ | ८ | शिा | शिक्षा |
| ३०५७ | अंतिम २ | कर जवज | जाकर जब |
| ३०५७ | अन्तिम | माजदूर | मजदूर |
| ३०६० | ,, | b en | been |
| ३०६५ | १० | S rplus | surplus |
| ३०६७ | ६ | fron | front |
| ,, | १३ | पाध्यक्ष | उपाध्यक्ष |
| ३०७२ | १३ | inculated | inculcated |
| ३०७४ | शीर्ष | सुखाड़िया | सुखाड़िया |
| ३०७५ | अंतिम से ८ | चीधरी | चौधरी |
| ३०७६ | अंतिम से ७ | हमरा | हमारा |
| ३०७७ | शीर्ष | सरकार | सरकारी |
| ३०७९–८१ | ,, | सन्दन्धी | सम्बन्धी |
| ,, | १८ | और आयदा | और आयन्दा |
| ३०८० | शीर्ष | १३ दिसम्बर | १६ दिसम्बर |
| ३०८२ | १ | जायया | जायगा |
| ३०८३ | २१ | Caudery | Chaudhry |
| ३०८८ | २ | फिविटरस | फिक्टीशियस |
| ,, | ५ | देने | देते |
| ,, | ६ | monylader | money lender |
| ,, | अन्तिमसे ३ | साफशियेन्ट | सफिशियेन्ट |
| ३०८८ | शीर्ष | संकलन | संकल्प |
| ,, | प्रथम | तीसरा | तीसरी |
| ,, | ६ | एग्रीकल्चरिट्स | एग्रीकल्चरिस्ट्स |
| ३०९० | २० | मनीलेडर | मनीलेंडर |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ३०६१ | अन्तिमसे ४ | al | all |
| ३०६२ | अन्तिमसे २व १ | कन्समोकिडेटेड | कन्सोलिटेड |
| ३०६६ | प्रथम | समति | समिति |
| ३१०७ | शीर्ष | सम्बन्ध | सम्बन्धी |
| ३११५, १६ | ,, | ,, | ,, |
| ३१२१, २७ | ,, | ,, | ,, |
| ३१२६, ३१ | ,, | ,, | ,, |
| ३१६१ | ,, | ,, | ,, |
| ३११० | अन्तिम | डा करते | ड़ा करते |
| ३१११ | २४ | अ जेक्शन्स | ऑब्जेक्शन्स |
| ,, | अन्तिमसे ४ | गया | गया होता |
| ,, | ,, ३ | है केवल | है लेकिन केवल |
| ३११२ | प्रथम | प्रिन्सीपल | प्रिन्सिपल |
| ३११४ | अन्तिम | मैं सद | मैं सदा |
| ३११७ | प्रथम | सथियों | साथियों |
| ३१२२ | १२ | आपरेटिव | कोऑपरेटिव |
| ,, | १६ | एक्सपीयरियेन्स | एक्सपीरियेन्स |
| ,, | अंतिम से ६ | और सोसा | और जो सोसा |
| ३१२४ | ,, ,, | जो है | हैं |
| ३१२७ | १५ | बनी रही है | बन रही है |
| ३१३२ | २२ | चाहये | चाहिये |
| ३१४२ | ६ | कि जो | की जो |
| ३१४४ | शीर्ष | आन्दोन | आन्दोलन |
| ,, | ८ | का उल | का उसूल |
| ,, | १४ | कन्फ्यूज़ | कन्फ्यूजन |
| ३१४६ | अंतिम से ६ | tatal | total |
| ,, | ,, ,, ४ | बुके | मुझे |
| ,, | ५ | ढैंक | बैंक |
| ,, | १० | अल्टीमीट | अल्टीमैटली |
| ३१५० | ४ | लग टर्म लोनहों | लौंग टर्म लोन हों |
| ३१५३ | अंतिम से ४ | hymanner | shy manner. |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ३१५४ | शीर्ष | श्री भानसिंह | श्री श्रीभानसिंह |
| ,, | १६ | मिधा | मिर्धा |
| ३१५५ | ११ | गये है | गये हैं |
| ,, | अन्तिमकेऊपर | — | × × × × |
| ३१५७ | १२ | लिये में | लिये मैं |
| ३१५८ | २१ | दा हो | पैदा हो |
| ३१५८ | २२ | है | है कि |
| ३१५६ | शीर्ष | सम्वन्ध गर | सम्बन्धी गैर |
| | ४ | औफिशियल ...आसफिशियल | ऑफिशियल ....ऑफिशियल |
| ३१६३ | अन्तिम से५ | बेगी | बेगू |
| ३१६४ | २ | न्यक्त | नियुक्त |
| ३१६४३१६७ | शीर्ष | १५ | १६ |
| ३१६६ | ५ | five—man | five-men |
| ३१६८ | सीरियल ३ | Juncill | Junction |
| ३१७० | ,, २ | 612 | 61½ |
| ३१७५ | २ | पर में | भर में |
| ,, | ४ | को वृद्धि | की वृद्धि |
| ,, | ६ | श्रेणीबध | श्रेणी बद्ध |
| ,, | अन्तिम | एसोब्लिशमेंट | एस्टेब्लिशमेंट |
| ३१७६ | सीरियल ६ | टोबको....बीडी | टोवेको....बीड़ी.... |
| | | मे न्यूफेक्शरिंग | मेन्यूफेक्चरिंग |
| ३१७८ | ,, ४ | सडक | सड़क |
| ३१७६ | २ | नंजूरी | मंजूरी |
| ३१८६ | अन्तिम ४से३ | accompained | accompanied |